मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 55 | अंक : 11-12 | मई-जून, 2015
| पृष्ठ : 52 | मूल्य : ₹10

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते –श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 55 | अंक : 11-12 | वैशाख-आषाढ़ २०७२ | मई-जून, 2015

प्रधान सम्पादक
सुखलाल

वरिष्ठ सम्पादक
सन्तोष कुमार

सह सम्पादक
मुकेश व्यास
भोमाराम जीनगर

प्रकाशन सहायक
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 10

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 60
- संस्थाओं/विद्यालयों/अन्य व्यक्तियों के लिए ₹ 100
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएं।

पत्र व्यवहार हेतु पता

वरिष्ठ सम्पादक
शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528876
फैक्स : 0151-2201861
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –वरिष्ठ संपादक

इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

- कर्तव्य पथ पर बढ़ें कदम 5

आलेख

- वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप 6
  सतीश चन्द्र श्रीमाली
- प्रातःस्मरणीय विभूति प्रताप 8
  विजय सिंह माली
- रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं उनका शिक्षादर्शन 10
  द्रोपदी डालिया
- विश्व में बढ़ती लोकप्रियता : योग दर्शन 11
  मनमोहन अभिलाषी
- ध्वनि प्रदूषण : कितना घातक 13
  डॉ. श्याम मनोहर व्यास
- पर्यावरण संरक्षण 14
  रामचन्द्र स्वामी
- स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण 16
  अशोक गुप्ता
- सूर्य नमस्कार 33
  डॉ. देवाराम काकड़
- योग गीत 35
  संकलन : सुमित्रा राठौड़
- बाल श्रमिकों की कहानी:कवियों की जुबानी 36
  संग्राम सिंह सोढ़ा
- प्राइमरी शिक्षा का स्तर उन्नत करना होगा 38
  रूपनारायण काबरा
- बाल सहभागिता कानून 39
  डॉ. मुकेश चौबीसा
- नशा मुक्ति को समर्पित शिक्षक-लादूलाल सेन 40
  दिनेश विजयवर्गीय
- ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के बारे में पौराणिक कथाएं 44
  विजय शंकर आचार्य

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

- सद्भाव एवं सहिष्णुता का प्रतीक:अजमेर 43
  स्नेहलता पारीक

स्तम्भ

- आदेश-परिपत्र 19-32
- शिविरा पंचांग (मई-जून 2015) 35
- शाला प्रांगण से 45
- चतुर्दिक समाचार 48
- हमारे मामाशाह 49

इस माह का गीत

- हल्दी घाटी 18

लेखा स्तम्भ

- अर्द्ध वेतन अवकाश, रूपान्तरित अवकाश एवं अदेय अवकाश 41

पुस्तक समीक्षा 46-47

- देवां री घाटी : राजस्थानी अनुवाद-नीरज दइया
  समीक्षक-मदनगोपाल लढ़ा
- छूटे हुए संदर्भ : नवनीत पाण्डेय
  समीक्षक-डॉ. उमाकांत

प्रतिध्वनि

- उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति... 50

आवरण :
अविनाश कुमावत, जयपुर
मो. 09261355185

▼ **विचारार्थ**

भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि वह सम्पूर्ण जीवन का, सम्पूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। संसार में एकता का दर्शन कर उसके विविध रूपों के बीच परस्पर पूरकता की पहचान कर उनमें परस्पराभुकूलता का विकास करना तथा उसका संस्कार करना ही संस्कृति है।

–पं. दीनदयाल उपाध्याय

- अप्रैल माह की पत्रिका में दिशाकल्प में माननीय निदेशक महोदय द्वारा अध्यापकों को राजकीय सेवा का समझाया गया अर्थ परोक्ष रूप से अध्यापकों के विद्यालय में अध्यापन कार्य तक सीमित रहने एवं इधर-उधर न भटकने के लिए ध्यान आकर्षित किया गया है। निदेशक महोदय के विचारों को साधुवाद। श्री सतीशचन्द्र श्रीमाली द्वारा 'पृथ्वी दिवस की सार्थकता' एवं कृष्णचन्द्र टवाणी का आलेख 'विद्यार्थी किस केरियर को चुने' प्रासंगिक लेखों की सार्थकता को दर्शाते है। इस माह का गीत 'यही है संकल्प अपना' तथा श्री गोमाराम बीनगर द्वारा रचित 'भक्ति धारा' को पढ़कर मन को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। भगवान महावीर व डॉ. अम्बेडकर के आलेख बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक लगे। लेखा स्तम्भ के अन्तर्गत संकलित जानकारी निसन्देह संस्था प्रधानों एवं अध्यापकों को लाभान्वित करेगी। प्रतिध्वनि 'बिन खोजा तिन पाईया' में शिक्षकों से जो अपील की गई है वह उनके आध्यात्मिक चिन्तन को बढ़ाने के साथ विद्यालयों के चहुंमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही शिक्षक दिवस (05 सितम्बर) को पाँच पुस्तकों के प्रकाशन के स्थान पर शिविरा विशेषांक निकाले जाने के निर्णय हेतु निदेशक महोदय को हार्दिक बधाई एवं साधुवाद।

–अमृत अग्रवाल, अजमेर

- शिविरा अप्रैल अंक में प्रतिध्वनि 'बिन खोजा तिन पाइयां' व्यक्ति को जीवन में सफलता की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पत्रिका में आगे भी जीवन को स्वस्थ गति प्रदान करने वाले लेख प्रकाशित होते रहेंगे। सतीश चन्द्र श्रीमाली का 'पृथ्वी दिवस की सार्थकता' तथा हरिकृष्ण आर्य का 'हमारी पृथ्वी आइये इसे जाने, समझे और बचायें।' सुभाष चन्द्र कस्वां का 'पुस्तक खोलो, हालात बदलो', लियाकत अली खां का 'आओ पुस्तकों से मित्रता करें' तथा नारायण सिंह राव 'निराकार' का 'सुन्दर अक्षर शिक्षा का आवश्यक अंग' लेख प्रभावित करते हैं। शिविरा में बेहतर पठनीय सामग्री के चयन हेतु सम्पादक मंडल को बधाई। शिक्षक दिवस पर प्रकाशनार्थ पाँच साहित्यिक पुस्तकों के स्थान पर अब शिविरा विशेषांक निकलेगा, यह समसामयिक महत्व का अच्छा बदलाव है।

–विनेश विजयवर्गीय, बूंदी

- विश्व पुस्तक दिवस (24 अप्रैल) सम्बन्धी प्रचुर पाठ्यसामग्री पढ़ने को मिली, यह हर्ष का विषय है। श्री लियाकत अली खान, श्री सुभाषचन्द्र कस्वां, गायत्री शर्मा, गोपेशशरण शर्मा 'आतुर' के आलेख पुस्तकों की महत्ता व पुस्तकालयों की उपयोगिता को भलीभांति समझाने में सफल रहे। यथार्थतः आज विद्यालयों में पुस्तकालयों की दुर्दशा हो रही है। पुस्तकें पढ़ने में रुचि अभिरुचि शिक्षकों में से भी गायब हो रही है। विचारणीय, चिन्तनीय समस्या है यह। 'कोई और भी बने परसाराम' आलेख शिक्षक पाठकों के लिए प्रेरक सिद्ध होगा। 'भगवान महावीर की देन' सारगर्भित अपने आप में पूर्ण आलेख है। पूनम जी का लेख स्वास्थ्य को पूर्णरूपेण व्याख्यायित करने में सक्षम रहा।

–टेकचन्द्र शर्मा, झुंझुनूं

- शिविरा पत्रिका अप्रैल 2015 का अंक पढ़ा जिसमें 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत' लेख में पढ़ने को मिला कि मनुष्य के सामने चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो उसमें लगन हो तो सब कुछ सम्भव है, यह युग प्रवर्तक संविधान निर्माता समानता, न्याय, बन्धुत्व का हक दिलाने वाले बाबा साहब ने कर दिखाया। रामस्वरूप लैकरा के लेख से बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं शिविरा के सम्पादक मण्डल की सकारात्मक सोच को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस तरह के प्रेरित लेख समय-समय पर पाठकों को पढ़ने को मिले तो हम सभी उन महापुरुषों के विचारों से लाभान्वित हो सके।

–सहीराम बबेरवाल, खेतड़ी (झुन्झुनूं)

- शिविरा अप्रैल 2015 का अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में विविध विषयों पर सामग्री प्रकाशित होती है जो सभी के लिये उपयोगी होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक लेखों के अतिरिक्त राजस्थान शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण समाचारों की जानकारी के साथ ही पुस्तक समीक्षा का भी प्रकाशन होता है, जो एक शिक्षक या विद्यालय के लिए ही नहीं अपितु जन साधारण के लिए भी उपयोगी है। माह अप्रैल में प्रकाशित सम्पूर्ण आलेख एवं विविध आवश्यक प्रस्तुतियों के प्रकाशन हेतु सम्पादक मण्डल को हार्दिक बधाई।

–कृष्णचन्द्र टवाणी, मदनगंज-किशनगढ़

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

सुवालाल
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

कर्तव्य पथ पर बढ़ें कदम

वर्षभर के अध्ययन-अध्यापन के उपरान्त शिक्षक एवं विद्यार्थियों का 17 मई से ग्रीष्मावकाश हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों एवं कार्य निष्पादन में प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा पारदर्शिता के सम्बन्ध में विद्यालय स्तर तक सभी शिक्षकों को जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास नये जोश एवं उत्साह के साथ माह अप्रैल 2015 में विभिन्न स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से आप तक पहुँचाया जा चुका है।

ग्रीष्मावकाश से पूर्व विद्यालय परिसरों की आकर्षक साफ-सफाई एवं आगामी प्रवेशोत्सव के क्रम में नामांकन में वृद्धि करने की कार्य योजना एवं मानस, सभी शिक्षकों द्वारा बना लिया गया होगा। सरकारी विद्यालयों से आम नागरिक का जुड़ाव, शिक्षक की प्रभावी सहभागिता से ही सम्भव है। यदि सहभागिता की दिशा में प्रयास किये हैं तो नामांकन-प्रवेशोत्सव 2015 में शानदार एवं उत्साहजनक सफलता मिलेगी। इस सफलता का आकलन ही हमारी भूमिका एवं कर्तव्यबोध को इंगित करेगा।

मई माह में रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं महाराणा प्रताप की जयन्ती तथा बुद्ध पूर्णिमा है। इन महापुरुषों को प्रणाम करते हुए शिक्षक एवं विद्यार्थियों से मेरी उम्मीद है कि महापुरूषों के जीवन चरित्र का अनुकरण एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु योगदान दें।

सुखद एवं सफल ग्रीष्मावकाश 2015 के लिए हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

(सुवालाल)

> "सरकारी विद्यालयों से आम नागरिक का जुड़ाव, शिक्षक की प्रभावी सहभागिता से ही सम्भव है। यदि सहभागिता की दिशा में प्रयास किये हैं तो नामांकन-प्रवेशोत्सव 2015 में शानदार एवं उत्साहजनक सफलता मिलेगी। इस सफलता का आकलन ही हमारी भूमिका एवं कर्तव्यबोध को इंगित करेगा।"

महाराणा प्रताप जयंती

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप

❒ सतीश चन्द्र श्रीमाली

मेवाड़ की वीर प्रसूता भूमि के कटारगढ़ (कुम्भलगढ़) दुर्ग में ज्येष्ठ शुदी तृतीया, रविवार वि.सं. 1597 को सिसोदिया वंश में महाराणा उदयसिंह के यहां देदीप्यमान पुत्र रत्न का जन्म उनकी महारानी जैवन्ताबाई के दक्षिण कुक्ष से हुआ। जिनका नाम प्रतापसिंह रखा गया। प्रताप के जन्म के समय महाराणा उदयसिंह अपनी मातृभूमि को पुनः प्राप्त करने हेतु बनवीर से युद्ध लड़ रहे थे, और वे इस युद्ध में विजयी हुए। अतः महाराणा उदयसिंह ने चित्तौड़ के किले में 'प्रताप' के जन्म और विजय का उत्सव धूमधाम से मनाया।

'प्रताप' बाल्यकाल से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के बलवान एवं सत्य-न्यायप्रिय थे। उन्हें बाल्यावस्था से ही ऐसे संस्कार प्राप्त हुए जिससे उनमें चारित्रिक गुणों की श्रेष्ठता सदा बनी रही। वे निर्भीक और साहसी थे। उनको श्रेष्ठ गुरु आचार्य राघवेन्द्र जी से शिक्षा-दीक्षा प्राप्त हुई तथा वे युद्ध कला में भी निपुण हुए। बालक 'प्रताप' में कुशल नेतृत्व शक्ति देखकर सभी को आश्चर्य होता था। भगवान एकलिंग महादेव उनके आराध्य देव थे।

मेवाड़ के शासकों ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। चूंकि वे जानते थे कि पराधीनता से केवल राजा का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण प्रजा के स्वाभिमान का हनन होता है और उसका दुष्प्रभाव कालान्तर तक रहता है। स्वाभिमान को श्रेष्ठ धन माना है। अतः स्वाभिमान की रक्षा के लिए मेवाड़ के हजारों वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किये वहीं दूसरी ओर सैकड़ों वीरांगनाओं ने जौहर किया। ऐसा करना उनके श्रेष्ठ चरित्र के कारण ही सम्भव था। कहा गया है कि-''ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति'' अर्थात् चरित्रवान, तपस्वी राजा ही राष्ट्र की सम्यक् रक्षा कर पाता है, चूंकि वैयक्तिक चरित्र राष्ट्र की अक्षय-निधि है। समाज वैयक्तिक चरित्र पर बड़ी आशा करता है, क्योंकि समाज का गठन व्यक्तियों से बना है और समाज की यह दृढ़ प्रतीति होनी चाहिए कि चरित्र ही नियति है।

मेवाड़ को सदैव वीर साहसी नेतृत्व मिला। उसी क्रम में पुनः मेवाड़ को एक श्रेष्ठ चरित्रवान्, शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान, ईश्वर भाव से युक्त क्षत्रिय के स्वभावज गुणों से सम्पन्न महाराणा प्रताप जैसा नेतृत्व मिला। 24 फरवरी 1572ई. को गोगुन्दा नामक स्थान पर उनका राज्याभिषेक हुआ। पूरे मेवाड़ में एक विश्वास जगा कि उन्हें एक वीर, पराक्रमी, न्यायप्रिय तथा राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाने वाले और अपनी सेवा के द्वारा सामाजिक श्रेय का प्रतिपादन करने वाला चरित्रवान्, सुसंस्कृत-शिष्ट नेतृत्व मिला। प्रजा में आततायों के आतंक से मुक्त होकर निर्भयपूर्वक रहने का विश्वास जागृत हुआ।

महाराणा प्रताप पर श्रेष्ठ संस्कारों का प्रभाव था। अतः उनके आचरण भी वैदिक साहित्य में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप ही थे, यथा-''भद्रं मनः कृणुष्वः'' अर्थात् हमारे मन, अन्तःकरण और कर्म भद्र भावनामय हों। उन्होंने पराधीनता और स्वाधीनता की परिभाषा को इस मायने में भी परिभाषित किया कि किस चरित्र का व्यक्ति दूसरों को पराधीन करने की प्रवृत्ति का होता है, तथा स्वतंत्रता के पक्षधर का चरित्र कैसा होता है। तत्कालीन राजपूताना क्षेत्र के लगभग सभी राजाओं ने मुगल शासक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। परन्च एक मात्र मेवाड़ ही वह राज्य था, जिसकी स्वतंत्रता की पताका गगन में लहरा रही थी। यह मुगल शासक को सहन नहीं था, चूंकि वह स्वेच्छाचारी था। जबकि महाराणा प्रताप विभववान थे, यह देखकर मुगल शासक अकबर के मन में महाराणा के प्रति मत्सरता हमेशा रहती थी। चूंकि वह मत्सरी एवं स्वेच्छाचारी था अतः वह अन्य शासकों की स्वतंत्रता को क्षति पहुँचाता था और उन्हें अपने अधीन करता था।

महाराणा प्रताप ने अनेक युद्ध लड़े, परन्तु सन् 1576 को लड़ा गया। हल्दीघाटी का युद्ध इतिहास में सदैव स्मरण रहने योग्य है। इतिहासकारों का मानना है कि यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें न तो महाराणा प्रताप हारे और न ही अकबर जीता। दोनों ओर से हजारों सैनिक मारे गये। इस युद्ध में महाराणा के अनेक वीर सरदार व सेनापतियों यथा- सादड़ी, के जुझारू झाला सरदार मानसिंह बीदा आदि ने प्राण न्यौछावर किये। इस युद्ध में उनका घोड़ा 'चेतक' भी वीरगति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में महाराणा को भी भारी मात्रा में जन-धन की हानि हुई।

कहा जाता है कि मनुष्य के लिए देवत्व और अमृतत्व की ओर पदन्यास करने में सदैव बाधाएं आयी हैं। ये बाधाएं ऐसी होती है जो उनके मूल स्वभाव-चरित्र को सर्वदा समाप्त करने वाली होती है। परन्च देवयोग से बिरला ही व्यक्ति ऐसा होता है जिन्हें ऐसे सहयोगी प्राप्त होते हैं, जिसके कारण उनके मूल स्वभाव चरित्र समाप्त होने से बच जाते हैं। महाराणा प्रताप के जीवन में भी ऐसी बड़ी बाधा एक बार आयी। जब वे जंगलों-पहाड़ों में रह रहे थे। यह समय उनके लिए घोर संकट भरा था। परिवार के सदस्यों को भी भोजन प्राप्त करने में कठिनाइयां आने लगी। एक दिन जब उन्होंने अपने पुत्र कुँवर अमरसिंह को भोजन के अभाव में बिलखते हुए देखा तो महाराणा का धैर्य टूट गया। असहाय महाराणा ने मुगल सम्राट अकबर के पास सन्धि प्रस्ताव भेज दिया। अकबर उस प्रस्ताव को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरन्त बीकानेर के राजा पृथ्वीसिंह (पीथल) को बुलवाया और कहा कि जिस मेवाड़ नरेश की, तुम वीरता-साहस और धैर्य की बढ़-चढ़ कर बड़ाई करते थे, देखो! उन्होंने मुझसे सन्धि करने का प्रस्ताव भेजा है। महाराणा के प्रति सदैव श्रद्धा-मान रखने वाले पीथल को विश्वास नहीं हुआ। परन्तु जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो वे सन्न रह गये, तत्काल अकबर से कहा-मैं महाराणा को पत्र लिखकर इसकी सत्यता का पता लगाऊँगा।

राजा पीथल ने मन ही मन सोचा कि महाराणा प्रताप ऐसा कदापि न करें, जिससे उनके वे मूल गुण नष्ट हों, जिनके रहते ही तो

अकबर उनसे भयभीत है, और स्वतंत्रता के प्रेमियों को उन पर गर्व है। पीथल ने महाराणा को जो पत्र लिखा उसके भाव यही थे कि- यदि आपने सन्धि की तो स्वतंत्रता के मूल्यों की पहिचान सदा-सदा के लिये धूमिल हो जायेगी। वर्तमान में आप ही तो एकमात्र इसके अस्तित्व की पहिचान बने हुए हैं। मैं मुगल दरबार में रहकर भी सदैव आपके श्रेष्ठ गुणों का बड़े गर्व के साथ बखान करता हूँ। आप मुझे इसका प्रत्युत्तर भेजें।

महाराणा ने पीथल को, पत्र के प्रत्युत्तर में लिखा-मैं मुगल दरबार में मेरे व्यवहार से आपके मान को नहीं गिराऊँगा, मेरा सन्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उक्त घटना से स्पष्ट होता है कि पीथल के पत्र ने महाराणा को उनके मूल स्वभाव-चरित्र पर कायम रहने को प्रेरित किया। ठीक इसी प्रकार का दृष्टान्त हमें वाल्मीकि रामायण में अरण्य काण्ड के सर्ग 65 व 66 में मिलता है। जब सीता हरण से श्रीराम शोक से पीड़ित होकर इतने संतप्त हुए कि प्रलयकालिक अग्नि के समान समस्त लोकों का संहार करने को उद्यत हो गये थे। तब श्री लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर उनसे कहा-

पुरा भुत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूत हिते रतः।
न क्रोध व शमापन्नः प्रकृतिं हातु मर्हसि।।

अर्थात् आर्य! आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेन्द्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति (स्वभाव) का परित्याग न करें।

एकस्य नापराधेन लोकान् हन्तुं त्वमर्हसि।

आप किसी एक के अपराध से समस्त लोकों का संहार न करें। लक्ष्मण ने उनसे फिर से कहा-

बुद्धिश्च ते महाप्रज्ञ दैवेरपि दुरन्वया।
शोके नाभि प्रसुप्तं ते ज्ञानं सम्बोधयाम्यहम्।।

महाप्रज्ञ! देवताओं के लिये भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया-खोया सा जान पड़ता है। इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ।

उक्त दृष्टान्त से स्पष्ट है कि सच्चे बन्धु ही मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होते हैं। महाराणा पुनः नव ऊर्जा के साथ मेवाड़ को स्वतंत्र करवाने में जुट गये। उन्हें भामाशाह जैसे दानवीर, भील सरदार राणा पुंजा नरपत जैसे वीर योद्धा, परथा भील जैसे विश्वस्त सहायकों का साथ मिला। वे विपत्तिकाल में महाराणा को मिले इस अपार जन-धन का सहयोग मेवाड़ की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने में सहायक सिद्ध हुआ। महाराणा ने अब युद्ध प्रणाली को बदला और मेवाड़ के अधिकांश प्रदेश को स्वतन्त्र करवा लिये परन्तु चित्तौड़ नहीं जीत सके। यह व्रत पूर्ण नहीं होने के कारण उन्होंने अपने जीवन में राजसी सुखों का त्याग कर रखा था। महाराणा की इस त्याग की प्रतिज्ञा का प्रभाव उनकी प्रजा पर भी रहा। गाड़िया लौहार इसके उदारहण हैं चूंकि उन्होंने इस प्रतिज्ञा की पालना में भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात भी वे कई वर्षों तक मकानों में नहीं रहे।

महाराणा प्रताप ने राज्य को संगठनात्मक स्वरुप देने के लिये प्रजा को अपना परिवार मानने की व्यवहारिकता को सदैव बनाये रखा। यही कारणा था कि मेवाड़ की प्रजा उनके लिए सदैव अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रतिबद्ध थी। यह महाराणा प्रताप के सद्चरित्र का ही प्रभाव था कि उन्होने अपना जीवन की मेवाड़ की स्वतन्त्रता के लिए आहूत कर दिया। उनका जीवन हमें सदा प्रेरणादायक रहेगा। उनके श्रेष्ठ गुणों को हमारे केन्द्रीय व राज्यों के नेतृत्व को आत्मसात् करना चाहिये और यह तभी सम्भव होता है जब वे जागृत हों। यहां जागृत से तात्पर्य निज हित से राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानना है, तभी-''वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः'' की सार्थकता होगी।

वर्तमान समय में महाराणा प्रताप के सम्मान में हमारे राष्ट्र के संसद भवन के प्रांगण में 18 फीट ऊँची प्रतिमा, भवन के गेट नं. 12 के बायीं ओर स्थापित है। इसकी स्थापना दिनांक 21.8.2007 को की गई थी। इसका अनावरण तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान सोमनाथ चटर्जी द्वारा किया गया था। इस मूर्ति को तत्कालीन संसद सदस्य (L O P राज्यसभा) श्रीमान् जसवन्त सिंह द्वारा प्रदत्त की गई थी।

अतः स्वतंत्रता के पर्याय बन चुके महाराणा प्रताप की जयन्ती पर हम सब भारतवासियों को गर्व की अनुभूति होनी चाहिये तथा उनके सद्गुणों का वितान भावी पीढ़ी में हो, ऐसे कार्यक्रम उनकी जयन्ती पर पूरे राष्ट्र में हम करें, यही उनके लिए सम्मान होगा।

-जस्सुसर गेट रोड, धर्मकांटे के पास, बीकानेर
मो. 9414144456

प्रेरणा पुञ्ज-प्रताप

वियतनाम विश्व का एक छोटा सा देश है, जिसने अमेरिका जैसे बड़े बलशाली देश को बीस वर्ष तक चले युद्ध में पराजित किया। अमेरिका पर विजय के बाद वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि 'आप अमेरिका से युद्ध कैसे जीते?' राष्ट्राध्यक्ष का उत्तर सुनकर सभी भारतीयों का मस्तक गर्व से उन्नत हो गया। उन्होंने कहा-'सभी देशों में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को हराने के लिए मैंने एक महान् व श्रेष्ठ भारतीय राजा का चरित्र पढ़ा और उस जीवनी से मिली प्रेरणा व युद्ध नीति का प्रयोग कर हमने सरलता से विजय प्राप्त की।'' आगे पत्रकार ने पूछा- ' कौन थे वो महान राजा ?' वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने खड़े होकर जवाब दिया- 'वो थे भारत के राजस्थान में मेवाड़ के महान् राजा महाराणा प्रताप सिंह।' महाराणा प्रतापसिंह का नाम लेते समय उनकी आंखों में एक वीरता भरी चमक थी। उन्होंने आगे कहा- 'अगर ऐसे राजा ने हमारे देश में जन्म लिया होता तो हमने सारे विश्व पर राज किया होता।'

कुछ वर्षो बाद उस राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हुई तो उसने अपनी समाधि पर लिखवाया-'यह महाराणा प्रताप के एक शिष्य की समाधि है।'

कालान्तर में वियतनाम के विदेशमंत्री भारत के दौरे पर आए थे। पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार उन्हें पहले लालकिला व बाद में गांधी जी की समाधि दिखलाई गई। ये सब देखते हुए उन्होंने पूछा-''मेवाड़ के महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है।'' तब भारत सरकार के अधिकारी चकित रह गए और वहाँ उन्होंने उदयपुर का उल्लेख किया। वियतनाम के विदेशमंत्री भी उदयपुर गये, वहाँ उन्होंने महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन किये। समाधि के दर्शन करने के बाद उन्होंने समाधि के पास की मिट्टी उठाई और उसे अपने 'बैग' में भर लिया। इस पर पत्रकार ने मिट्टी रखने का कारण पूछा।

उन विदेशमंत्री महोदय ने कहा ''ये मिट्टी शूरवीरों की है। इस मिट्टी में एक महान राजा ने जन्म लिया। ये मिट्टी मैं अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा। ताकि मेरे देश में भी ऐसे ही वीर पैदा हों। मेरा यह राजा केवल भारत का गर्व न होकर सम्पूर्ण विश्व का गर्व होना चाहिए।''

आइये, हम सभी भारतवासी ऐसे वीर प्रखर राष्ट्रभक्त को कोटि-कोटि नमन् करें।

संकलन : **इंजि. ज्येष्ठानन्द जीनगर,**
गोपश्वर बस्ती, गंगाशहर, बीकानेर
मो. 9982426280

प्रताप जयंती विशेष

प्रातःस्मरणीय विभूति प्रताप

❒ विजय सिंह माली

प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि, महान स्वाभिमानी, स्वतंत्रता के पुजारी, रणकुशल, भारतीय गौरव के रक्षक, वीरता के अवतार, नर श्रेष्ठ हिन्दुआ सूरज महाराणा प्रताप पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, भारत के प्रत्येक बलिदानी विप्लवी क्रान्तिकारी ने अहर्निश प्रताप से प्रेरणा प्राप्त की है तथा उनकी जयकार की है। उनका व्यक्तित्व-कृतित्व आज भी हमें भारत तथा भारतीयता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। कवि राम सिंह सोलंकी ने ठीक ही लिखा-

जात धरम तज वरग मन, वृद्ध शिशु नर नारीह।
जद जद भारत जुंझसी, पातल जय थारीह।।

अर्थात जब जब भारत युद्धरत होगा प्रत्येक भारतीय वृद्ध शिशु नर नारी जाति वर्ग भुलाकर प्रताप की जय जयकार से स्वतंत्रता की प्रेरणा लेता रहेगा।

प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत् 1597 तद्नुसार 9 मई 1540 ईस्वी रविवार को कुंभलगढ़ (राजसमंद जिला) में पाली के वीर श्रेष्ठ राव अखैराज सोनगरा की पुत्री जयवन्ती देवी की कोख से हुआ। भारत के सबसे प्राचीनतम मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया राजवंश के 53वें महाराजा उदयसिंह उनके पिता थे। प्रताप का जन्म उनके पिता के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ क्योंकि उसी वर्ष वह पुनः अपने राज्य की पुरानी राजधानी चितौड़ लेने में सफल हो गये तथा उन्हें पिता राणा सांगा का विस्तृत राज्य मिल गया। बालक प्रताप ने चितौड़गढ़ में ही वीर माता जयवन्ती देवी की देखरेख में अस्त्र-शस्त्र, घुड़सवारी, राजधर्म की शिक्षा ली। भारमल कावड़िया के पुत्र भामाशाह व ताराचंद इनके बाल सखा थे। युवा होते-होते उन्होंने छप्पन-वागड़ तथा गोडवाड़ को जीत लिया। गिरवा की मोतीमगरी के महलों में रहते हुए वनवासी भीलों में वह 'कीका' के रूप में लोकप्रिय हो गए। अकबर के 1567 ई.में चितौड़ आक्रमण के समय युद्ध परिषद की सर्व सम्मत राय के अनुसार महाराणा उदयसिंह को चितौड़ छोड़ कर जाना पड़ा तब प्रताप भी परिवार के साथ थे और पिता के साथ राजपीपला से वापस उदयपुर होते हुए 28 फरवरी 1572 होली का दिन था। महाराणा उदयसिंह का बीमारी के कारण प्राणान्त हो गया दाह कर्म में जनता उमड़ पड़ी। सभी प्रमुख सामन्त वहाँ उपस्थित थे। परम्परानुसार उत्तराधिकारी युवराज का उसी समय महलों में राज्याभिषेक होता है, परन्तु प्रताप तो यहाँ थे। पता चला कि भटियाणी राणी के पुत्र जगमाल को महाराणा की गद्दी सौंपी गई है। सभी सरदार दाह सस्कार से निवृत होकर गोगूंदा में महादेव बावड़ी पर आये तथा प्रताप का राजतिलक किया तत्पश्चात् राजमहल में जाकर जगमाल को राजगद्दी से हटाकर सलुम्बर के रावत कृष्णदास ने उदयसिंह ज्येष्ठ पुत्र प्रताप का विधिवत राजतिलक किया व सभी सरदारों ने प्रताप को नजराना भेंट किया।

चितौड़ को जीत लेने पर भी अकबर मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह को अधीन नहीं कर पाया था, यह बात उसे खटकती थी। उसने नये महाराणा प्रताप के पास भी क्रमशः चार दूत जलाल खां कोरची, मानसिंह, राजाभगवंत दास व राजा टोडरमल को भेजा। प्रताप 1568 ई. के चितौड़ के जौहर व अकबर द्वारा चितौड़ में किए कत्लेआम को नहीं भूले थे, पर संयम और नीतिज्ञता का परिचय देते हुए प्रताप ने अकबर के उन दूतों को ससम्मान खाली हाथ लौटा दिया। अकबर ने आमेर के राजकुमार मानसिंह के सेनापतित्व में एक फौज मेवाड़ विजय हेतु भेजी जो मांडलगढ़ आकर रुकी। वहाँ और अधिक मुगल सेना आकर सम्मिलित हुई। इधर प्रताप भी यह समाचार पाकर कुंभलगढ़ से गोगूंदा आ गए व युद्ध की तैयारियो में जुट गए। प्रताप के सरदारों की हल्दीघाटी से ही प्रत्यक्ष व छापामार युद्ध करने तथा विपरीत परिस्थिति आने पर सेना को फिर पहाड़ों में लौटाकर वहीं मोर्चाबंदी कर शत्रु को परास्त करने की रणनीति बनी। प्रताप ने सेना को लोसिंग गांव की ओर कूच करने के निर्देश दिए मानसिंह ने भी मांडलगढ़ से सेना को निकालकर मोही रुकते हुए खमनोर के पास मोलेला गांव में डेरा डाल दिया।

18 जून 1576 ई. को दोनों सेनाओं ने मोर्चा बंदी की। हल्दीघाटी के दर्रे के दोनों ओर दोनों सेनाएं अवस्थित थी। इस दर्रे में से एक बार में एक ही व्यक्ति या घुडसवार निकल सकता है। महाराणा प्रताप के दक्षिण पार्श्व में हकीमखाँ सूरी, सलुम्बर राव कृष्णदास, रावत सांगा रामशाह तंवर व उनके पुत्र तथा भामाशाह व उनके भाई ताराचंद कावेड़िया थे। तो वाम पार्श्व में झाला मान सिंह, झाला बींदा सोनगरा मानसिंह थे। चंदावल दस्ते में राजापूजा, पुरोहित गोपीनाथ जगन्नाथ बच्छावत, मेहता जयमल, रतनचंद, चारण जैसा केशव थे। भीलों की टुकड़ियां तीर चलाने व बड़े-बड़े पत्थर लुढ़काने के लिए तैनात थी। प्रताप की सेना में सभी छत्तीस कौमों के लोग थे। यह जनयुद्ध था। दूसरी तरफ मानसिंह के दक्षिण पार्श्व में सैयद हुसैन खां व वाम पक्ष में गाजी खां था। हरावल में आसफ खां व जगन्नाथ कच्छवाहा को व चंदावल में मिहत्तर खां को रखा। मानसिंह स्वयं हाथी पर सवार होकर सेना के बीच में था।

हर हर महादेव, एकलिंगनाथ की जय के उद्घोष के साथ प्रताप के रणबांकुरों के आक्रमण से मुगल सेना लड़खड़ा गई। प्रताप के हरावलदस्ते आक्रमण से अकबर की सेना भाग खड़ी हुई। मेहत्तर खां बड़ी मुश्किल से अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं कह कर खमनौर गांव के पास रक्ततलाई स्थान पर युद्ध करने लगे। इतिहासकार बदायुनी जो स्वयं अकबर की ओर से युद्ध भूमि में था, उसने भी यह बात स्वीकार की है। युद्ध जबरदस्त था। प्रताप के बड़े मामा मानसिंह सोनगरा, रामशाह तंवर, उनके तीन पुत्र, रामदास मेड़तिया, हकिम खां सूरी अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अब प्रताप मानसिंह का आमना-सामना हुआ। मानसिह हाथी पर सवार था और प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर। चेतक ने अपनी आगे की दोनों टांगे उठाकर हाथी के मस्तक पर गड़ा दी। प्रताप ने तेजी से भाले द्वारा मानसिंह पर वार किया, हौदा टूट गया, मानसिंह दुबक कर छिप गया। प्रताप का घोड़ा चेतक व स्वयं प्रताप भी घायल हो गए। झाला मान ने तत्कालीन

परिस्थिति को भांप कर प्रताप से सुरक्षित जाने व महाराणा के छत्र मुकुट स्वयं धारण करने का अनुरोध किया। मुगल फौज झाला मान को प्रताप समझ कर तब तक संघर्ष करती रही जब तक वे वीर गति को प्राप्त नहीं हुए प्रताप सुरक्षित बाहर निकल गये बीच रास्ते मे चेतक भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। चेतक की स्वामी भक्ति इतिहास में दर्ज हो गई। प्रताप की सेना सुरक्षित पहाड़ों में चली गई, मुगल हाथ मलते रह गए। प्रताप गोगुन्दा को खाली करके कोल्यारी चले गए। प्रताप ने प्रतिज्ञा की-''जब तक मैं मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक न मैं महलों में रहूँगा, न ही मैं सोने-चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा तथा पलंग पर भी नहीं सोऊंगा, पत्तों की पत्तल ही मेरे भोजन पात्र व धरा ही मेरा बिछौना होगी।'' 21 जून को मानसिंह जब गोगुंदा मिला तो सारा नगर खाली मिला। भयभीत मानसिंह ने गोगुन्दा के चारों ओर खाइयां खुदवा दी, दीवारें बनवा दी। प्रताप ने उनकी रसद आपूर्ति बन्द करवा दी। प्रताप वन-वन, पहाड़-पहाड़ घूमते रहे। मानसिंह चार माह तक गोगुन्दा में रहा परन्तु प्रताप को पकड़ना तो दूर उल्टे प्रताप ने उनकी नाक में दम कर दिया। अकबर ने आसफ खाँ व मानसिंह की ड्योढ़ी बन्द कर दी व उन्हें लौट आने के आदेश दिए। मानसिंह के लौटते ही प्रताप ने पुन: सभी स्थान अपने कब्जे में कर लिए। चार माह बाद अक्टूबर 1576 ईस्वी में स्वयं अकबर प्रताप को हराने आया, बादशाही बाग में डेरा लगा कर सम्पूर्ण भोमट में प्रताप को पकड़ने सैन्य अभियान चलाया व असफल रहा। अब अकबर ने यह जिम्मेदारी अपने विश्वस्त शाहबाज खाँ को सौंप दी। प्रताप कुंभलगढ़ के किले में आ चुके थे, शाहबाज ने कुंभलगढ़ पर भीषण आक्रमण किया, प्रताप के मामा भाण सोनगरा वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप कुंभलगढ़ से सुरक्षित निकल कर राणकपुर होते हुए चूलिया गांव (ईडर) मे चले गए। वहाँ भामाशाह व उनके छोटे भाई ताराचंद कावेड़िया ने 20000 स्वर्ण अशर्फियां व 25 लाख रुपये भेंट किए जिससे प्रताप ने सेना का पुनर्गठन किया व नये जोश से मुगलों पर आक्रमण किया। शाहबाज खाँ के असफल अभियानों से रुष्ट होकर अकबर ने उसे बिहार भेज दिया व 1580 में बेराम खाँ के बेटे कवि अब्दुल रहीम खानखाना को प्रताप के विरुद्ध अभियान पर भेजा। खानखाना ने भामाशाह ताराचंद को मुगलों के पक्ष में मिलने का प्रलोभन दिया परन्तु भामाशाह व ताराचंद जैन बन्धुओं ने देश हित में यह प्रलोभन ठुकरा दिया। कुंवर अमरसिंह ने खानखाना के कैम्प पर अचानक हमला कर बेगमों को बन्दी बना लिया। प्रताप ने अमरसिंह को इस हेतु फटकार लगाई व ससम्मान बेगमों को खानखाना के पास वापस पहुँचा दिया। खानखाना प्रताप के इस व्यवहार से द्रवित होकर उनके मुरीद बन गये और अपना तबादला यहाँ से अन्यत्र करवा लिया। प्रताप ने 1582 ई. में चावण्ड को अपनी राजधानी बनाया जो सुरक्षित थी। विजया दशमी 1582 को महाराणा प्रताप ने भामाशाह, ताराचंद व कुंवर अमरसिंह के साथ मेवाड़ के पहाड़ों के उत्तरी द्वार दिवेर पर आक्रमण किया जहां के थानेदार सुल्तान खाँ सेरीमा को जो अकबर का काका लगता था को अमरसिंह ने भाले से मार दिया। इस विजय के बाद प्रताप ने मुगलों को एक एक कर कई स्थान खाली करने को बाध्य किया। प्रताप ने पुन: कुंभलगढ़ जीत लिया। कर्नल टॉड ने भी दिवेर की विजय की तुलना यूनान की मेराथन विजय से की है। तत्पश्चात् अकबर ने 1582 ई. में जगन्नाथ कच्छवाह को प्रताप के विरुद्ध भेजा लेकिन उसे भी असफलता हाथ लगी। अब अकबर ने मन से मेवाड़ से हार मान ली तथा अपना रुख पंजाब अफगानिस्तान अभियान की ओर कर लिया। अब महाराणा प्रताप ने चावण्ड से शांति पूर्वक मेवाड़ का राज्य भामाशाह जैसे त्यागी दूरदर्शी वीर-स्वामी भक्त प्रधान की सहायता से श्रेष्ठ राजनीति के अनुसार 'सबका साथ सबका विकास', 'सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय' को ध्यान में रख कर किया। धीरे-धीरे उन्होंने चितौड़ व मांडलगढ़ को छोड़ शेष मेवाड़ पर पुन: अधिकार कर लिया। प्रताप प्रजावत्सल थे। चावंड में चामुण्डा माता का मंदिर बनवाया। उन्होंने खेती, व्यापार, प्रशासन को श्रेष्ठ गति दी। उनके सान्निध्य में पण्डित चक्रपाणि मिश्र ने चावंड में रह कर राज्याभिषेक पद्धति विश्ववल्लभ और मुहूर्त्तमाला ग्रंथ लिखे। नसीरुद्दीन (निसारदी) ने चावण्ड की चित्रकारी का प्रार्दुभाव किया, मेवाड़ से निकलने वाले सभी व्यापारिक मार्ग खुल गए, वे अब सुरक्षित हो गये, राज्य का कर, चुंगी, जकात वसूल होने लगा। पुन: मेवाड़ हरा-भरा, धन-धान्य पूर्ण हो गया। प्रताप एवं उनके मंत्री मेवाड़ के सारे क्षेत्र का समय-समय पर दौरा करके प्रजा की फरियादों का निवारण करते थे। आम नागरिकों व भील वनवासियों का प्रताप में अटूट विश्वास था। वे उन्हें ईश्वर के अवतार के रूप में मानते व प्रताप के आदेशों का अक्षरश: पालन श्रद्धापूर्वक करते थे। सचमुच सर्वत्र समरसता दिखाई देने लगी जिसमें मेवाड़ समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ने लगा।

1597 ईस्वी में एक बार जंगल में शेर का शिकार करते हुए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय प्रताप की आंतों में चोट लगी जिससे वे रोगग्रस्त हो गए। मेवाड़ के प्रमुख सरदारों से 'मेवाड़ को पराधीन नहीं होने देंगे' आश्वासन लेकर 57 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1597 (माघ सुदी11 विक्रम संवत् 1653) को अपनी देह त्याग दी। चावण्ड के पास बांडोली में उनका दाह संस्कार किया गया जहाँ अब भव्य छत्री बना दी गई है। कहते है कि अकबर को जब प्रताप के देहावसान की सूचना मिली तो उसकी भी आँखें नम हो गई। वहाँ उपस्थित चारण कवि दुरसा आढा ने तत्काल कहा-

अस लेगो अणदाग, पाघ लेगो अणनामी,
गौ आडा गवडाय, जिको बहुतो धुर कामी।
नवरोजे नह गयो, न गौ आंतसा नवल्ली,
न गौ झरोखा हेठ, जेठ दुनियान दहल्ली।
गहलोत राण जीती गयो, दसण मूंद रसणा डसी
नीलास मूक भरिया नयन, तो मृत शाह प्रताप सी।

''तूने अपने घोड़े को शाही दाग नहीं लगने दिया, अपनी पगड़ी तूने कभी भी किसी दूसरे के सामने नहीं झुकाई, तू अपने यश के गीत गंवा गया, अपने राज्य के धुरे को तू अपने बायें कंधे से चलाता रहा, तू न तो नवरोज में गया और न शाही डेरों में, तू शाही झरोखे के नीचे नहीं गया, तेरी श्रेष्ठता के कारण दुनिया ही दहलती रही। हे प्रतापसिंह! तेरी मृत्यु पर शाही (अकबर) ने दाँतों के बीच जीभ दबाई, निश्वासें छोड़ी और आँखों में आंसू भर गए। गहलोत राणा (प्रताप) तेरी ही विजय हुई। तू जीत गया।'' हम भी महाराणा प्रताप के श्रेष्ठतम जीवन आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर सार्थकता का अनुभव करें।

-व्याख्याता (इतिहास), रा.आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिन्दरली-देसूरी (पाली)
मो. 9829285914

रवीन्द्रनाथ टैगोर जयन्ती

रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं उनका शिक्षादर्शन

❒ द्रोपदी ढालिया

विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में देवेन्द्रनाथ टैगोर के घर एक सम्पन्न बांग्ला परिवार में हुआ। उनकी मां का नाम शारदा देवी था।

रवीन्द्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बड़ी सहजता से कला के कई स्वरूपों जैसे साहित्य, कविता, नृत्य नाटक, निबंध, चित्रकारी और संगीत की ओर आकृष्ट होते हुए उस पर अपनी कलम चलाई। वे विश्व के लिए भारत की आध्यात्मिक विरासत की आवाज बन गए। उन्होंने भारत में कला और संस्कृति की अमूर्त शैली को विकसित करते हुए पश्चिमी देशों तक पहुँचाया और वहां की संस्कृति को भारत तक ले आए। एक ऐसे साहित्यकार थे जिनके अन्दर असीम सृजन शक्ति थी।

रवीन्द्रनाथ की प्राथमिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई किन्तु अधिकांश शिक्षा उनकी घर पर ही हुई। वैरिस्टर बनने की चाहत में उन्होंने 1878 में इंग्लैण्ड के बिजरोन पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज करवाया किन्तु 1880 में बिना कानून की डिग्री हासिल किए वे लौट आए और अपनी साहित्यक रुचि (सृजनात्मक शक्ति) को कागजों पर उतारने लगे। साहित्य व शिक्षा से उनको इतना प्यार था कि देश विदेश में उन्हें गुरुदेव के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। साहित्य की विविध विधाओं में महारत हासिल गुरुदेव की अनमोल रचना 'गीतांजली' रही जिस पर 1913 में 'नोबेल साहित्य पुरस्कार' उन्हें प्राप्त हुआ। वे विश्व के एकमात्र ऐसे साहित्यकार थे जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी पहला भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' और दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रीयगान 'आमार सोनार बांग्ला।' 'गीतांजली' लोगों को इतनी पसंद आयी कि इसे जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी आदि विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया गया।

1901 में टैगोर ने पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में 'स्थित शांति निकेतन' से एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की जहाँ उन्होंने भारत और पश्चिमी परम्पराओं और संस्कृति को मिलाने का प्रयास किया। 1921 में यह विश्व भारती विश्व विद्यालय बन गया।

रवीन्द्र नाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के तीन तत्व है-(1) प्रकृतिवाद (2) मानवतावाद (3) विश्व बंधुत्व। उन्होंने शिक्षा को दो ध्रुव माना है 1. शिक्षा, 2. छात्र। इन दोनों के बीच पिता-पुत्र का सम्बन्ध होना चाहिए। इसी कारण उन्होंने शांति निकेतन को आवासीय रखा था।

प्रकृतिवाद : टैगोर की दृष्टि में प्रकृति और मानव के बीच गहरा सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इस कारण बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देना चाहिए। इस स्वाभाविक वातावरण में शिक्षित हुए छात्र प्रकृति से शुद्ध और सरलता से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। ये बच्चे अपने जीवन और पूरे विश्व के समाज में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं।

मानवतावाद : रवीन्द्रनाथ टैगोर मानव को ऊँचे स्थान पर देखते थे और मानव में ही ईश्वर का वास मानते थे। वे बच्चों को भी ईश्वर मानते थे। बच्चों को प्यार करने की बातें करते थे। परम्परागत शिक्षा पद्धति के विरोधी रहे। दण्ड प्रावधान, कड़ा अनुशासन उन्हें पसंद नहीं था। वे इन सबसे दूर स्वाभाविक वातावरण में बच्चों का विकास चाहते थे।

विश्वबंधुत्व : टैगोर का मानवतावाद सीमाहीन था। उनका मानव जाति, धर्म, भाषा, रंग एवं सीमा से दूर था। समस्त मानवता की एकता को उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती में जीवन्त प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि भारतीय विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों की सबसे बड़ी बाधक अंग्रेजी भाषा है। वे मातृभाषा में बालकों को शिक्षा देने के हितैषी थे।

इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने बालकेन्द्रित शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। शिक्षा में प्रकृतिवादी विचारधारा को स्थान दिया। गुरुदेव ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयोग किया एवं नई दिशा दी। उनकी शिक्षा विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। अध्यात्म और मानवीय आस्था का समन्वय यहां दिखाई देता है। उन्होंने विश्व की समस्त संस्कृतियों को शिक्षा के द्वारा मिलाने का प्रयास किया है। उन्होंने नये और प्रगतिशील दृष्टिकोण शिक्षा जगत को दिया।

गुरुदेव की शिक्षण पद्धति : गुरुदेव प्रकृतिवादी थे। वे युक्त वातावरण में बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते थे। उनका कहना था कि शिक्षक का कर्तव्य है मुक्त और स्वाभाविक वातावरण का निर्माण करना।

शिक्षा और परीक्षा : रवीन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा पद्धति में परीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। वैज्ञानिक ढंग से समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए।

शिक्षक और छात्र : टैगोर शिक्षक व छात्रों को पिता-पुत्र के समान मानते थे। शिक्षक का जीवन सादा, सरल हो, आचरण शुद्ध हो, चरित्रवान हो, अध्ययनशील हो, परिश्रमी, उदार ममतावान हो तब बच्चों पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा।

नैतिक शिक्षा : धर्म और नैतिकता का सम्बन्ध मानव के व्यावहारिक जीवन से है। बालकों के आचरण में शुद्धता लाने हेतु नैतिक शिक्षा का होना आवश्यक है और यह केवल किताबी ज्ञान से न होकर शिक्षक के आचरण से झलकना जरूरी है।

शिक्षा एवं राजनीति : छात्र राजनीति में भाग लेते हैं तो उनमें पारस्परिक सहयोग, एकता तथा सौहार्द्र की भावना कम होने लगती है। शिक्षा पर राजनीति हावी हो जाती है। पाठ्यक्रम एवं विषयों का संचालन शासन के हाथ में चली जाती है।

शिक्षा का माध्यम : टैगोर का मानना था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए इससे बच्चों में स्वतंत्र चिंतन व विवेचन की भावना विकसित होती है।

स्वअनुशासन : टैगोर स्वअनुशासन के पक्षधर थे। उनकी सोच थी कि ममतावान, चरित्रवान योग्य शिक्षक के साथ रहने से बच्चों में स्वतः अनुशासन आ जाएगा।

इस प्रकार टैगोर का शिक्षा दर्शन बाल केन्द्रित व प्रकृति केन्द्रित था। उनका शांति निकेतन इसी भावना को लेकर ही शुरू किया गया था। टैगोर का शिक्षा दर्शन आज भी प्रासंगिक है। आज की बोझिल पाठ्यक्रम वाली शिक्षा उनके विचारों के विपरीत है।

-व्याख्याता (इतिहास), रा.उ.मा.वि., जालोर

विश्व योग दिवस

विश्व में बढ़ती लोकप्रियता : योग दर्शन

❒ मनमोहन अभिलाषी

सारा विश्व 21 जून को विश्व योग दिवस मनाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पारित इस प्रस्ताव से भारत की छवि योग दर्शन में विश्व के मानस पटल पर स्थापित होकर, जो डंका बजा रही है उससे हमारे ऋषि मुनियों के वेद का ज्ञान एक बार पुनः उभरकर चिरस्थापित हो गया है। इससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पश्चिम के देशों में योग शिक्षण बाजार में क्या स्थिति स्थापित कर चुका है? इसे व्यापार बनने से बचाया जाए। इस सब महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर शिविरा के लेखक श्री मनमोहन अभिलाषी ने बेबाक चर्चा कर, छात्रों की उपयोगिता के लिए भी ये कितना कारगर प्रमाणित होगा? राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में प्राथमिकता को भी स्पष्ट किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 175 देशों की सहर्ष सहमति से 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इससे इतना तो आभास हम सभी को हो गया है कि विश्व को हमारा योग दर्शन उसके हृदयस्थल तक अपनी छवि स्थापित कर चुका है। विश्व की भोगवादी संस्कृति में ये आतुरता के साथ प्रतिष्ठित होकर किस रूप में इसे अपने गणवेश में स्थापित करेगा? गणवेश से तात्पर्य पहनावा या पोशाक नहीं है। अपितु अपने विचारों में ये इसे किस रूप में स्थापित करेगा? ये भविष्य की गतिविधियों के गर्भ में छिपा है। पर हाँ इतना अवश्य है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसने योगऋषि रामदेव के अथक प्रयासों से जो सफलता अर्जित की है उससे विश्व के चिकित्सकों ने योग के बढ़ते प्रचार और इसकी लोकप्रियता से असाध्य रोगों में मिली सफलता से वेदों के इस ज्ञान के आगे अपने घुटने टेक दिए है और योग ऋषियों की इस अमूल्य निधि के आगे उसका लोहा मान लिया है।

ऐसा लगता है पश्चिमी देशों को, भोगवादी संस्कृति को आत्मदर्शन हो चुका है। वह शायद इस ओर दौड़ते हुए परास्त होकर अपनी बढ़ती अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भारत के योग दर्शन की ओर मुंह ताककर टुकुर-टुकुर लालायित दृष्टि से देखने को विवश हो गई है।

इन सब पर विचार करते हुए हमें लगता है कि ये तो अब निश्चित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व के 175 देशों ने स्वीकार कर, इस दिन (21 जून) को विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित कर, भारतीय योग दर्शन से विश्व अत्यधिक प्रभावित हुआ है।

विश्व योग दिवस 21 जून को मनाने के निर्णय से अब ये तो अक्षरशः निश्चित हो गया है कि ये विश्व में स्वर्णिम दिवस होगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ में एक दिन तो इस भारतीय योग दर्शन की चर्चा अवश्य होगी। इसके महत्व पर चर्चा होने से विश्व को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा संदेश जाएगा। विश्व योग करने के लिए प्रेरित होगा। विश्व योग दिवस मनाए जाने से समूचे विश्व में इसके प्रति जागरूकता का प्रबल अभियान होगा। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में असाध्य रोगों के निवारण में सफलता अर्जित कर योग दर्शन में हमारे वेदों के इस ज्ञान को जो ऊँचाईयां प्रदान की है; वह सर्व विदित है।

प्रोफेसर ईश्वर बसवरड्डी निदेशक, मोरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्थान, दिल्ली ने विश्व योग दिवस के संयुक्त राष्ट्रसंघ के पारित प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है ''विश्व में इससे सकारात्मक सोच को बल मिलेगा।''

योग क्या है?-योग केवल मात्र शारीरिक क्रियाओं और व्यायाम का नाम नहीं है। योग एक जीवन शैली है। एक दर्शन है। इसका संबंध केवल शरीर मात्र से नहीं है। वह व्यक्ति के समुचित विकास की शिक्षा और साधना है।

जब यह व्यक्ति के समुचित विकास की शिक्षा और साधना का प्रदाता है। फिर हमारे छात्र इसे दैनिक रूप में अपनाकर कितना लाभान्वित होंगे? ये सर्वविदित विचार का प्रश्न है। योग दर्शन हमारी बुद्धि को प्रखर कर स्मृति को परिपुष्ट करता है। साथ ही विचारों में पवित्र भावना का प्रसार कर ब्रह्मचर्य को स्वयंमेव बल प्रदान करता है। इससे हमारे वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्थाओं में प्रथम आयाम को कितना बल मिलेगा? ये भविष्य के सुपरिणाम देकर अनेक कुप्रवृत्तियों पर स्वतः ही प्रतिबंध लगाकर नैतिक विचारों को बल प्रदान करेगा।

हमारी राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में योगदर्शन अध्ययन और प्रशिक्षण के स्वर्णिम निर्णय के प्रार्थना सभा में भी इसे सम्मिलित किए जाने का जो निर्णय लिया है वह छात्र-हित में अत्यंत लाभप्रद होगा। छात्रों का शारीरिक सौष्ठव तो आकर्षक होगा ही उसके साथ-साथ वह नीरोग भी रहेंगे। स्मरण शक्ति बढेगी। रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बल मिलेगा।

शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के हित में योग पाठ्यक्रम की योजना की जो क्रियान्विति हो रही है वह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की चिर अभिलाषा को साकार रूप देने का सफल प्रयास है। एतदर्थ राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया, शिक्षा मंत्री श्री वासुदेव देवनानी राजस्थान सरकार की जितनी सराहना की जाए वह कम है। इतनी गहरी दूरदर्शिता जिसमें नई पीढ़ी में सुसंस्कारों को रोपित कर नैतिकता की शिक्षा के साथ विचारों की पवित्रता को बल मिलेगा। हमारे छात्रों की बौद्धिक क्षमता में इस योग दर्शन के अभ्यास से महती वृद्धि होगी। वह अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये दृढ़ता के साथ हम पूर्ण विश्वास प्रखर आस्था के बीज अंकुरित करने जा रहे है। इससे आए दिन जीवन मूल्य गिरने के समाचारों से हमारी संस्कृति कलुषित होने से बचेगी। ऐसी हमारी प्रबल आकांक्षा है।

योग दर्शन से मिलने वाले असंख्य लाभ हैं। लेकिन सभी नियमित अभ्यास चाहते हैं। इससे सभी नीरोग होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से भी इसका अभ्यास सभी को रोग मुक्त करता है। संकल्प शक्ति में दृढता पैदाकर ये सकारात्मक सोच को बल प्रदान करता है। जो छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। योग अभ्यास से छात्रों के राष्ट्रीय चरित्र में भी ईमानदारी और कर्मनिष्ठा के साथ देशभक्ति की भावना का पवित्र संचार होगा। जो भविष्य में राष्ट्र निर्माण में बहुत ईमानदार होकर योगदान देने की नींव का प्रस्तर प्रमाणित होगा। पातंजलि ऋषि ने योग के

अष्टांग मार्ग की चर्चा की थी। जिसमें प्रथम भाग में यम और नियम। यम के पांच पक्ष दृष्टव्य हैः- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक इसी तरह नियम के पांच पक्ष बताए गए हैं। जिसमें-शौच यानि आंतरिक और बाह्य सफाई और स्वच्छता, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। योग की समग्रता की ओर ध्यान दें तो ये निश्चित हमारे शारीरिक जीवन को तो रोग मुक्त करता है। साथ-साथ सामाजिक जीवन को भी विकार रहित कर उसमें विचारों की पवित्रता प्रवाहित करता है।

योगदर्शन से लाभ हर क्षेत्र में मिलता है। हमारे कुछ शिक्षणगणों के विचारों के परिणाम जब परिणित होकर समाज में समूची धारणा को परिवर्तित करने के लिए ललकारते हैं तो हमारी आंखें शर्म से झुक जाती है। किसी से आंख मिलाने लायक भी हम समाज में नहीं रह पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम तो ये समझते हैं कि उनको भी योग का अभ्यास कराया जाएगा तो उनकी आंखों के देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। पवित्र भावनाओं का निश्चित ही प्रसार होगा। उनके विचारों में विशुद्ध पवित्रता पुष्ट होगी। आए दिन की घटनाओं पर विराम लग जाएगा और **राष्ट्रनिर्माता की छवि स्वर्णिम शिखिर पर श्रद्धा और आस्था का दीप प्रज्वलित कर शैक्षिक कर्म में वर्तमान में व्याप्त अंधेरे विनाशकारी विचार को रोशनी देकर सम्पूर्ण शैक्षिक जगत का मार्ग प्राचीन गुरुओं की प्रणाली में स्थापित करेगा।** ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है।

योग की लोकप्रियता विश्व में जिस प्रगति के साथ विश्व-शिखर पर आसीन हुई है वह अपना स्थान उसी तरह बनाए रखे। क्षुद्र आर्थिक लाभ पाने के लिए इसका व्यावसायिक कारण नहीं होना चाहिए। योग शिक्षकों को योग शिक्षा देने के लिए समय निकालकर पवित्र भावनाओं के राष्ट्रनिर्माण में योगदान देने की निःशुल्क धारणा दृढ़ होनी चाहिए। तब ही हमारा राष्ट्र शिक्षा का क्षेत्र हो अथवा समाज का, हर क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना के साथ संकल्पित होकर समर्पित होने की भावना होनी चाहिए। इसी में देश हित निर्माण के स्वर्णिम बीज रोपित हैं।

इस सन्दर्भ में प्रो. गणेश शंकर गिरि और डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) ने भी विचारव्यक्त करते हुए लिखा है कि-''योग अध्यात्म का विषय है और इस ओर झुकाव के बिना इसे सीखना बहुत ही कठिन है। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि योग ऋषियों ने इसे लोकप्रिय तो बनाया है। लेकिन लोकप्रियता का आधार बीमारी का इलाज बना दिया है। इसके माध्यम से धन अर्जित कर इस योग दर्शन को व्यापार बनाने में किंचित मात्र भी नहीं चूक रहे हैं। जो सर्वथा अनुचित है। और इसे बदनाम करने की स्पष्ट तैयारी का श्री गणेश लगता है।''

इसमें कोई दो मत नहीं है कि योगदर्शन से भारत को विश्व में पहचान मिली है। असाध्य रोगों को दूर करने में योगदर्शन ने अच्छे परिणाम दिए हैं। लेकिन जो अल्पज्ञानी योगी है वह अपने अधूरे ज्ञान को प्रदान कर समाज को भ्रमित कर अपना आर्थिक लाभ अर्जित करने में लगे हैं। वह ऐसा न करें। तब ही देश और राष्ट्र हित में उनका पुनीत योगदान होगा।

भारतीय योग दर्शन विश्व के हृदय में अपनी सफलताएं स्थापित कर आज विश्व योग दिवस 21 जून को घोषित हो गया है। जो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के विद्यालयों में सुनहरे पृष्ठ जोड़ गया है। यह छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी प्रमाणित होगा। इसके लाभ छात्रों को असीमित रूप से प्राप्त होंगे।

''योगा-स्टार्ट'' के सह संस्थापक जस्टिन हकूता ने अपने एक आलेख में बताया है कि आई.बी.आई.एस. की वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम में योग शिक्षण का बाजार 7 अरब डालर पहुंच गया है। ठीक इसी तरह 'योगा-जर्नल' के अनुसार अमरीका में सात प्रतिशत नागरिक योग करते हैं और लगभग इतने ही लोग योग प्रशिक्षण प्राप्त करने को आतुर भी है। अमरीका में 70 हजार पंजीकृत योग शिक्षक हैं। विचारणीय प्रश्न है कि क्या योग ने अपनी आत्मा को खो दिया है? वर्तमान परिवेश में विचारणीय है कि इन सब परिस्थितियों में भी यदि मनोयोग और दृढ़ संकल्पना के साथ हम कर्म करें तो इसके भूल स्वरूप को अभी बचाया जा सकता है।

जानकारी के लिए पश्चिम में देखा जाए तो योग की अनेक नवीन शैलियों का आविर्भाव हो गया है। यथाः- पॉवर योगा, जीवन मुक्ति, विक्रम, हास्य योग, कुर्सी योग, एक्रो योग, पार्टनर योग, हाईकिंग योग और डॉग योग भी विक्रय के लिए उपलब्ध है। बताया जाता है कि 19वीं शताब्दी में ही भारत से योग पश्चिम में गया था। अब तो आवश्यकतानुसार हरेक रोग में उपयुक्त योग की अलग-अलग सी.डी. भी बाजार में उपलब्ध है।

अंत में हम तो यही कहेंगे कि विश्व में बढ़ती लोकप्रियता ने **हमारे योगदर्शन को जो मान-सम्मान देकर 21 जून को 'विश्व योग दिवस' घोषित किया है, इससे हमारी प्राचीन वेदों की, योग दर्शन विद्या की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही है, इसके साथ-साथ राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में इसे प्राथमिकता देकर छात्रों में नैतिकता, चरित्र निर्माण के साथ स्वस्थ्य रहने के लिए जो योग पाठ्यक्रम लागू किया है उसका सभी धर्मों के शिक्षार्थियों को सम्मान करना चाहिए।** सूर्य नमस्कार योग प्राणायाम का ही आयाम है। इसमें शिक्षा विभाग द्वारा सूर्य की आराधना को बाध्य नहीं किया गया है। अपितु योग शिक्षा के एक आयाम को जोड़कर स्वस्थ्य रहने की प्रेरणा दी गई है। जो सराहनीय है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में प्रार्थना के समय योगदर्शन के इस सूर्य नमस्कार योग/प्राणायाम का अभ्यास छात्रों को कराने के पार्श्व में संकीर्ण विचारधारा के अभिभावक इसे धर्म से न जोड़कर, बालकों के स्वास्थ्य में लाभ को देखें तो राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान होगा।

हम तो यही कहेंगे सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता है। उसके विचार में तो सभी समान है यह फिर भला हम योग के सन्दर्भ में उसे दूसरे सन्दर्भ में क्यों जोड़ते हैं? ये विचारणीय प्रश्न है।

सूर्य के प्रति इस सन्दर्भ में हम तो यही कहेंगे कि उसकी दृष्टि में सभी समान है-

जाति-पांति से विलग हो कोई
धर्म कोई हो किसका,
देता सब को एक रोशनी
भेदभाव नहीं इसका।
मैल हटाता जाति धर्म का
अन्तर्मन का अंधियारा
कर उजागर गिरिजा, मंदिर
मस्जिद भी गुरुद्वारा।
नभ में ऊंचा मुसकाकर
वह हर्ष किरण बिखराता,
इस वसुधा पर जो भी जन्मे
है सब उसके भ्राता।

-गुप्ता-सदन,
एस.बी.के. कन्या उ.मा. वि. के पास
मंडी अटलबंद, भरतपुर-321001
मो. 9983409454

विश्व पर्यावरण दिवस

ध्वनि प्रदूषण : कितना घातक!

❒ डॉ. श्याम मनोहर व्यास

आज सारा विश्व पर्यावरण प्रदूषण से आक्रान्त है। पर्यावरण के प्रमुख आधार तत्व वायु, जल, भूमि आदि जहाँ प्रदूषित होकर मानव जीवन के लिये घातक सिद्ध हो रहे हैं, वहाँ ध्वनि प्रदूषण मस्तिष्क व कर्णेन्द्रियों पर प्रभाव डाल कर अनेक मानसिक रोग उत्पन्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष प्रदूषण व मानसिक प्रदूषण भी अपना अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखा कर मानव जीवन को अनेक मनोरोगों तथा अन्य घातक रोगों से ग्रसित कर रहे हैं। जनसामान्य द्वारा भी यातायात के नियमों की खुली अवहेलना की जाती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। अनेक आवाजें जैसे परस्पर धीमी बातचीत, मधुर संगीत की धुन, पक्षियों का चहचहाना, झरनों का कलरव आदि हमें प्रिय लगते हैं परन्तु मोटर-ट्रक की कर्कश आवाज, मशीनों का शोर और किसी का चिल्लाना हमें अप्रिय लगता है। व्यावहारिक जीवन में ऊँची आवाज शोर कहलाती है।

आधुनिक यांत्रिक युग में निरन्तर बढ़ते कल-कारखाने, उद्योग-धन्धे, रेलगाड़ियां, जेट व हवाई जहाज की आवाज शोर की मात्रा बढ़ाती है। बढ़ता हुआ यांत्रिक शोर पर्यावरण की शांति को भंग करता है। निरन्तर बढ़ता हुआ शोर एक प्रकार का ध्वनि-प्रदूषण है जो शान्त वातावरण को अशान्त करता है। अतः शोरगुल की अधिकता से उत्पन्न अदृश्य प्रदूषण को ध्वनि (शोर) प्रदूषण कहा जाता है।

नगरों व महानगरों में तो यह तीव्रगति से बढ़ रहा है। आज के नगरीय जीवन में शोर-प्रदूषण एक अनिवार्य अंग बन गया है। शोर स्वास्थ्य के लिए अभिशाप है। इसे भी अन्य प्रदूषणों की भाँति धीमी गति वाला विष माना है। शोर से हमारी श्रवणेन्द्रियां (कान) प्रभावित होती हैं। इससे कार्यक्षमता में कमी आती है। सुनने की शक्ति मंद पड़ती है। मानसिक तनाव बढ़ता है, फलस्वरूप कई मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

कारखानों एवं सड़कों की दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण शोर बढ़ना भी है। प्रसिद्ध ध्वनि विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. राबर्ट कात्रे ने कहा है- ''तांबा कूटने वाले और पीतल के बर्तन बनाने वाले मजदूर आगे चल कर बहरे हो जाते हैं।''

आगे उन्होंने लिखा है-''एक दिन ऐसा आयेगा, जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बुरे शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से जूझना पड़ेगा।'' शोर से सिरदर्द, उच्च रक्त चाप, मितली, कमर के दर्द, चमड़ी में जलन, स्मरण शक्ति में कमी आदि शारीरिक व मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शोर की अधिकता से मानसिक दबाव, निराशा, चिड़चिड़ापन, जी घबराना आदि मानसिक रोग भी उत्पन्न हो जाते है।

शोर का मापन : एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका में औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ पिछले दस वर्षों में शोर की मात्रा सौ गुनी बढ़ गई है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ. बर्न नुहानन के मतानुसार धुंए के समान शोर भी एक धीमी गति वाला मृत्यु दाता है। ध्वनि सदैव किसी न किसी प्रकार की गति के साथ जुड़ी रही है जैसे चलने, दौड़ने तथा कम्पन्न आदि के समय उत्पन्न ध्वनियां।

सामान्यतः ध्वनि की गति 335 मीटर प्रति सैकण्ड होती है। ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण तरंगों से होता है। शोर (ध्वनि) की तीव्रता मापने की इकाई 'डेसीबल' है। एक सामान्य माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत शक्ति में परिवर्तित कर देता है। इसी आधार पर शोर मापक यंत्र बनाये गये हैं जो 'डेसीबल' में पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। एक सौ डेसीबल की ध्वनि अत्यधिक तीव्र ध्वनि की श्रेणी में आ जाती है। यह पैमाना लघुगणकीय है अर्थात् 10 डेसीबल की वृद्धि का अर्थ 10 गुना बढ़ोतरी, 20 डेसीबल की वृद्धि का तात्पर्य 100 गुना बढ़ोतरी है। एक हल्की फुसफुसाहट 10 डेसीबल की होती है। बिजली की कड़क, भारी यातायात का शोर 120 से 140 डेसीबल तक होता है जो पीड़ा पहुँचाता है। जेट विमान, तोपों की गड़गड़ाहट, आतिशबाजी आदि का शोर 150 डेसीबल से 160 डेसीबल होता है जिससे असहनीय पीड़ा होती है। कान के परदे तक फट जाते हैं।

डीजल से चलने वाली गाड़ियों का शोर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से 20 प्रतिशत अधिक होता है। कल-कारखानों, सड़क निर्माण तथा अन्य कार्यों में प्रयुक्त मशीनों से उत्पन्न शोर भी श्रमिकों के जीवन पर घातक प्रभाव छोड़ता है। शहरी क्षेत्रों में शोर के मुख्य स्रोत मोटर वाहन एवं रेले आदि हैं। लगातार शोर सुनने से कान के नाजुक अंग खराब हो जाते हैं। शोर का सबसे बुरा असर स्कूली बच्चों पर पड़ता है। इससे उनकी स्मरण शक्ति निर्बल हो जाती है तथा पढ़ाई में कम ध्यान लगता है। छात्रों को सिरदर्द तथा चिड़चिड़ाहट की शिकायत हो जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार कुलियों व सब्जी-फल विक्रेताओं को सबसे ज्यादा आवाज के कारण सुनने में कष्ट होता है।

भारत के महानगरों में गत 20 वर्षों में शोर आठ गुना बढ़ गया है। यदि यह शोर इसी तरह बढ़ता रहा तो आगामी 20 वर्षों में शहरी आबादी के पचास प्रतिशत लोग बहरे तथा अन्य बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। कई देशों में शोर रोकने के लिए कानून बने हैं। इसके बल पर ध्वनि प्रदूषण रोका गया है। सड़क, रेलपथ एवं भवन आदि ध्वनिरोधी होने चाहिए। शोर के दुष्प्रभावों से मुक्त रखने के लिये कल-कारखानों को सामान्य बस्तियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। जिन कमरों में अधिक शोर उत्पन्न होता है उनकी अन्दर की दीवारों पर ध्वनि अवशोषण पदार्थों का लेप लगाया जाना चाहिए। अधिक धुँआ छोड़ने वाले वाहनों पर रोक आवश्यक है। पेड़-पौधों में शोर-प्रदूषण को कम करने की काफी क्षमता होती है। अतः जिन संस्थानों में शोर अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है उनके अहाते में पेड़-पौधे अधिक मात्रा में लगाये जाने चाहिए। कटु ध्वनि वाले हार्नों पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। मशीनों का ओवर ऑइलिंग नियमित रुप से होना चाहिए। विद्यालय के समीप चलने वाले कल-कारखानों में भी साईलेंसर लगाये जाने चाहिए। इसी प्रकार लाउडस्पीकरों के अधिक प्रयोग पर भी नियंत्रण होना चाहिए।

ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जन चेतना एवं व्यापक अभियान आवश्यक है।

-पूर्व शिक्षा उपनिदेशक
15, पंचवटी, उदयपुर
मो. 9352103162

विश्व पर्यावरण दिवस

पर्यावरण संरक्षण

❒ रामचन्द्र स्वामी

प्रकृति ईश्वर का दिव्य दर्शन स्वरूप अनुपम अनमोल उपहार है, वर्तमान में सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की चपेट में है, इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या विस्फोट के कारण वनों की कटाई व इसके साथ ही मानव द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले यंत्र, वाहन, कलकारखाने आदि।

विश्व में पर्यावरण प्रदूषण एक ज्वलन्त समस्या है, जिसका निवारण नितान्त आवश्यक है, प्रदूषण का प्रभाव मानव, वनस्पति, जीवजन्तु सब पर होता है, पृथ्वी पर प्रत्येक जीवित प्राणी चाहे वो थलचर, नभचर व जलचर हो इस समस्या से जाने अनजाने दुष्प्रभावित हो रहा है और सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प व महामारी आदि के रूप में इस समस्या को भुगत रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रदूषित शहर आधे से ज्यादा भारत में है, कलकारखानों व अत्यधिक वाहनों के प्रयोग से प्रतिदिन 1000 टन दूषित पदार्थ वायुमण्डल में मिलते जा रहे है। 800 से 1000 टन कार्बन मोनोआक्साइड गैस, 300 से 400 टन हाइड्रोकार्बनस, 150 से 200 टन नाईट्रोजन आक्साइड, 10 टन सल्फर डाईआक्साइड तथा 12 से 15 टन कार्बन कण प्रतिदिन वायुमण्डल में उत्पन्न हो रहे है, यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय इनकी मात्रा चौगुनी हो जायेगी।

वर्तमान की भोगवादी जीवनशैली, बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण जल प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है, पृथ्वी पर 71 प्रतिशत जल है, इसमें जीवन योग्य जल की मात्रा .009 प्रतिशत ही है जिस पर मानव समाज, पशुजीवन, वनस्पति, कृषि व सभी पर्यावरण गतिविधियां निर्भर है। 'जल है तो कल है' अर्थात् जीवन का पर्याय जल है अतः जल संरक्षण भी पर्यावरण शुद्धता के लिए अति आवश्यक है।

पूर्ण विश्व वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, संस्कृति प्रदूषण आदि से ग्रस्त है, इसलिए जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरुकता विकसित होना आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण उन्नयन के कार्य के साथ ही मानव का विकास जुड़ा हुआ है। पर्यावरण को बचाना पूरे विश्व की सामूहिक जिम्मेदारी है।

पृथ्वी की प्राकृतिक स्त्रोत-वायु, जल, पेड़-पौधे, जीव जन्तु विशेष रुप से प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र के भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना प्रत्येक जनमानस का परम कर्तव्य है। वर्तमान में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही है। परन्तु ये संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण में प्रबन्धन एवं नियन्त्रण में सम्पर्क एजेन्सी की भूमिका अदा कर सकती है, संरक्षण के लिए प्रत्येक जनमानस की सकारात्मक सोच अति आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है, कि वह पर्यावरण संरक्षण हेतु अपना विशेष योगदान दे यदि हम जमीन जंगल और जल की सुरक्षा कर सके तो यह सम्पूर्ण जगत की रक्षा होगी।

यदि प्राकृतिक संसाधनों का इसी प्रकार दोहन होता रहा तो आने वाली पीढ़ी शुद्ध हवा और शुद्ध जल के लिए तरस जायेगी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब मानव जाति ने लोभवश प्रकृति के साथ छेड़खानी की तब तब प्राकृतिक आपदा भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा, महामारी आदि मानव जाति पर संकट बन कर आये हैं।

वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं व्यवस्था का दायित्व मानव जाति पर है। पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार के लिए युक्तियुक्त आयोजन किये जाने चाहिये ताकि विकास व पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सके।

भारत सरकार व राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक योजनांए, कार्यक्रम व पुरस्कार आदि के माध्यम से जन जागरुकता अभियान चला रही हैं-

1. हमारे देश में पर्यावरण सूचना व्यवस्था हेतु 10 सूचना केन्द्र 5 दिसम्बर 1982 से संचालित है।
2. पर्यावरण वन तथा वन्य जीवमंत्रालय द्वारा 6 वन अनुसंधान संचालित किये गए हैं, इनमें से एक अनुसंधान केन्द्र मरुवानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान में स्थित है।
3. भारतीय वनसेवा विभाग 1978 से श्री पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फैलोशिप अवार्ड देती आ रही है।
4. 1987 से भारत सरकार इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, प्रियदर्शिनी, वृक्षमित्र पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार आदि के द्वारा जन सहभागिता को बढ़ावा दे रही है।
5. भारत सरकार में पर्यावरण संरक्षण हेतु 1982 में पर्यावरण कार्यबल योजना लागू की।
6. राष्ट्रीय पशुकल्याण बोर्ड का गठन।
7. राष्ट्रीय वृक्षारोपण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड।
8. पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में चार पर्यावरण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये है।
9. टेलीविजन प्रोग्राम एवं प्रिन्ट मीडिया के द्वारा हैड एवं टेल टर्निंग प्वाइंट, सुरभि, पर्यावरण क्विज आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे है।
10. विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया है।
11. पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार ने देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों की स्थापना की है, जिनमें से 3 राजस्थान में अलवर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर में स्थित है।
12. पर्यावरण संरक्षण हेतु 2001 में राष्ट्रीय पार्कों की सुरक्षा हेतु संरक्षण नीति-2001

बनाई गई।

13. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहरों में भारत में 23 विश्व धरोहर स्थानों का चयन किया गया इनमें से दो स्थान राजस्थान में है।
14. विश्व स्तर पर 1985 से अब तक लगभग 18 अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन पर्यावरण संरक्षण व वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु कार्य कर रहे है।
15. विश्व में अनेकों संगठन वन्यजीव जन्तुओं की विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने में अपना महान योगदान दे रहे है।
16. भारत में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु 26 गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठन कार्य कर रहे है, इनमें से राजस्थान में भी एक संस्थान सेवा मन्दिर उदयपुर प्रमुख है।
17. भारत में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता फैलाने हेतु देश के 183 जिलों में पर्यावरण वाहिनी योजना चल रही है।
18. विद्युत ग्रहों से निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ का समुचित उपयोग हेतु फ्लाई एश मिशन योजना 25 संस्थाओं द्वारा प्रचलित की जा रही है।
19. वन्यजीवों के संरक्षण हेतु भारत में 8 वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं चलाई जा रही है इनमें से प्रमुख हैं-
    1. 1970 में प्रोजेक्ट हांगुल
    2. 1972 में गिर सिंह अभयारण्य योजना
    3. 1973 में बाघ परियोजना
    4. 1975 में मगर प्रजनन परियोजना
    5. 1977 में मणिपुर थामिन परियोजना
    6. 1992 में हाथी परियोजना
    7. 1996 में लालपांडा परियोजना
    8. 1997 में हिमालय कस्तूरी परियोजना
20. भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण हेतु 11 स्थानों को जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों के लिए निर्धारित कर रखा है।

पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक पर्यावरण मास घोषित कर पर्यावरण चेतना कार्यक्रम चलाया जाता है। इसी प्रकार 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, जल संरक्षण हेतु प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 18 अप्रेल को विश्व विरासत दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशुपालन दिवस एवं 10 दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर अनेक जन आन्दोलन भी हुए उनमें विश्व चर्चित राजस्थान का खेजड़ली में आत्मोत्सर्ग, गोपेश्वर का चिपको आन्दोलन, रैनी की महिलाओं का आपिक आन्दोलन महत्वपूर्ण है।

पर्यावरण की सुरक्षा हेतु इसकी जानकारी विद्यालय में बालकों को देनी चाहिये। विद्यालयों में जिस प्रकार प्रवेश उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार वर्षा होने पर वृक्षारोपण सप्ताह का भी आयोजन करना चाहिये। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की जानकारी स्काउट, एन.सी.सी., एन.एस.एस. के माध्यम से दी जानी चाहिये। पत्र वाचन, भाषण निबन्ध व चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विद्यालयों में समय-समय पर पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देनी चाहिए।

विद्यालय प्रार्थना सभा में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण व जल बचत की जानकारी देनी चाहिये। समय-समय पर विचार गोष्ठियों व अभिभावकों की बैठकों का आयोजन कर पर्यावरण जागरूकता को प्रोत्साहित करना चाहिये। विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ-साथ बच्चों को अपने घरों में, खेतो में सार्वजनिक स्थानों पर भी वृक्षारोपण करना चाहिए।

आइये! आज ही से हम यह संकल्प लें कि हम जल की बर्बादी नहीं करेंगे, जल को प्रदूषित नहीं करेंगे, वन्य जीव जन्तुओं की रक्षा करेंगे तथा प्रत्येक वर्ष अपने जन्म दिवस पर एक पौधा लगा कर पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

ये जीवन प्रदाता धरती करे पुकार
जल बचाकर, वृक्ष लगाकर करो शृंगार
आज पावन संकल्प लेते है हम
इस धरती को प्रदूषण मुक्त करेंगे हम।

-अध्यापक, रा.उ.मा.वि. सेकों की बगीची,
नत्थूसर बास, बीकानेर
मो. 9414510329

प्रार्थना

❑ रवीन्द्रनाथ ठाकुर

हे प्रभो, वरदान ऐसा
आज मुझको मांगने दो।
स्वर्ग रूप स्वराज में तुम
देश मेरा जागने दो।।

चित्त हो भयमुक्त जिससे
और ऊंचा रह सके सिर।
ज्ञान बाधित हो न जिससे
साधना वह साधने दो।।

यह हमारी वह तुम्हारी
यों विभाजित हो न वसुधा।
संकुचित आसक्तियों के
घोंसलों को त्यागने दो।।

सत्य की गहरी जड़ों से
प्रस्फुटित हों शब्द अपने।
साधना जिन पूर्णता की
मत अधूरी छोड़ने दो।।

निःसत्व रूढ़ाचार के,
वीरान रेगिस्तान में।
विमल प्रज्ञा स्रोत अपना,
मत भटकने, सूखने दो।।

जब विचारों और कर्मों,
में खिले मन की कली तो।
बस तुम्हारी प्रेरणा को,
ही हृदय में खेलने दो।।

-रूपान्तर : दयालचन्द्र सोनी
साभार : अनौचारिका, जनवरी 2004

विश्व पर्यावरण दिवस

स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण

❒ अशोक गुप्ता

स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच एक 'अटूट रिश्ता' माना गया है, अर्थात् यदि उक्त तीनों घटकों के बीच सामन्जस्य स्थापित रहता है तो हमारे आस-पास का परिवेश स्वच्छ रहता है, और परिवेश स्वच्छ रहता है तो हम स्वस्थ रहते है, और हम स्वस्थ रहते है तो हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थितियां अनुकूल होती है, जिससे हम हमारे सद्कार्यों के माध्यम से देश के विकास में योगदान देते है। यह कहावत बिल्कुल सही है कि ''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर तभी रह पायेगा, जब हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा और यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो वह हमारे मन-मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखेगा तथा हमें जीवनभर स्वतः ही स्वच्छता का सन्देश देता रहेगा। भारतीय संस्कृति में तो प्राचीन काल से ही यह कामना की जाती रही है कि-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।।

चूँकि स्वच्छता, स्वास्थ्य और अच्छे पर्यावरण का चोली दामन का साथ रहा है, इसलिए प्राचीन काल में तो इनमें परस्पर सामंजस्य स्थापित ही रहता था। उस समय जनसंख्या भी सीमित थी, कल-कारखाने व वाहन नहीं के बराबर थे, मानवीय आवश्यकताएं तथा लालसायें भी सीमित थी, इसलिए सब जगह स्वच्छता नजर आती थी, पर्यावरण-प्रदूषण बिल्कुल नहीं था एवं हमारी जल, वायु एवं भूमि में प्रदूषण नाममात्र भी नहीं था। हवन एवं यज्ञ इत्यादि के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध रखने के प्रयास किये जाते थे। समय के साथ-साथ, धीरे-धीरे जनसंख्या वृद्धि होने लगी तो हमारी आवश्यकताएँ भी बढ़ने लगीं और बुद्धि के विकास के साथ-साथ ही नये-नये आविष्कार होने लगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से तो युग-परिवर्तन ही हो गया। हम मशीनों एवं यंत्रों पर आश्रित होने लगे तथा शारीरिक श्रम कम करने लगे। कई कल-कारखाने, बिजलीघर, बाँध, पुल स्थापित किये गए, वाहनों के निर्माण से कृत्रिम खाद, कृत्रिम कीटनाशक, संकर बीज, अत्यधिक सिंचाई, इत्यादि का उपयोग किया जाने लगा। साथ ही जहाँ एक ओर देश का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर इसके नकारात्मक प्रभावों पर यदि गौर किया जाये तो जंगलों में कमी हुई, वन्य-जीवों का विनाश हुआ, जैव-विविधता में कमी आई, जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण ने चरम रूप धारण कर लिया, हरित क्रान्ति के दुष्प्रभाव नजर आने लगे, बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते शहरीकरण से शहरों में गरीबी बड़ी एवं शहरों में मलीन बस्तियों तथा झुग्गी-झोंपड़ियों का प्रार्दुभाव हुआ। पाश्चात्य शैली के अन्धाधुन्ध अनुसरण Use and throw away संस्कृति, पॉलिथीन का उपयोग, डिस्पोजल क्रॉकरी का उपयोग, इत्यादि के कारण एवं झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले व मलीन बस्ती के गरीब लोगों के कारण गन्दगी व कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे है, जिससे स्वच्छता में कमी रहने से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य विकृत होकर कई रोगों को जन्म देने लगा; उसी कारण हमारा सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण विनाश की ओर अग्रसर होने लगा है।

स्वच्छता और पारिस्थितकीय संतुलन के मामले में प्रकृति आदिकाल से ही मनुष्य से आगे रही है और 'स्व नियंत्रित' कार्यप्रणाली पर कार्य करती रही है। जल,वायु व भूमि को शुद्ध रखने का प्रकृति का अनूठा कुदरती तरीका रहा था, जिससे मनुष्य द्वारा प्रदूषण के रूप में फैलाई गई गन्दगी की प्रकृति स्वतः स्फूर्त सफाई कर देती थी। चूँकि प्राचीनकाल में गन्दगी या प्रदूषण के स्त्रोत या तरीके भी बहुत ही सीमित स्तर के थे, जैसे-मलमूत्र विसर्जन, ईंधन के लिए लकड़ी काटना व जलाना, कण्डे जलाना, मृत पशुओं को नदी नालों में फैंकना इत्यादि। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण, शहरीकरण, खेती में कृत्रिम खादों एवं रसायनों का उपयोग, अत्यधिक वाहनों का उपयोग, कलकारखानों व बिजलीघरों, नाभिकीय संयंत्रों, इत्यादि के कारण तथा मनुष्य में अभी तक भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण हमारी 'शस्य श्यामला धरती' पर जगह-जगह कूड़ा-करकट एवं गन्दगी के ढेर नजर आने लगे है तथा जल, वायु व भूमि प्रदूषण, 'विकराल' रूप धारण कर चुका है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस कूड़ा-करकट एवं गन्दगी के ढेरों में घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, कृषि-अपशिष्ट, होटल-अपशिष्ट, राख, भवन निर्माण अपशिष्ट, डिस्पोजल क्रॉकरी, पोलिथीन थैलिया, मानव एवं पशुओं का मलमूत्र, मृत जानवरों तथा पक्षियों के अपशिष्ट, इत्यादि अंशों के साथ-साथ ही 'बायोमेडिकल वेस्ट' भी रहता है। इस प्रकार यह सामूहिक कचरा बहुत अधिक संक्रामक होता है तथा मनुष्य में विभिन्न रोगों के लिए उत्तरदायी होता है।

इस मिश्रित कचरे में कुछ अपघटनीय, तो कुछ अनअपघटनीय घटक होते है। पॉलिथीन एक महत्वपूर्ण अनअपघटनीय पदार्थ है, इसके अलावा कृषि-रसायनों, कृत्रिम खादों एवं औद्योगिक अपशिष्टों में खतरनाक भारी धातुओं जैसे पारा, सीसा, जस्ता, कैडमियम, आर्सेनिक के लवण पाये जाते है जो काफी जहरीले एवं कभी विघटित नहीं होने वाले होते है तथा इनकी मात्रा 'खाद्य-शृंखला' के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में 'जैविक आवर्धन' की क्रिया से बढ़ती जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

खुले में शौच से होने वाली बीमारियाँ-

भारत में लगभग 80% आबादी, गाँवों में निवास करती है, जहाँ अभी भी उचित संसाधनों का अभाव है और लोग गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण एवं अस्वच्छ वातावरण में रहने को मजबूर है। बड़े महानगरों एवं बड़े शहरों में लगभग 20-25% आबादी मलीन बस्तियों

अथवा झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करती है। इन ग्रामीण क्षेत्रों एवं मलीन बस्तियों में प्रायः घरों में शौचालय नहीं होते और खुले में शौच जाना अथवा खुले में मलमूत्र विसर्जन एक मजबूरी है, जिसे 'आवश्यक बुराई' कहा जा सकता है। कुछ ग्रामीणों में तो अभी तक भी यह भ्रान्ति है कि खुले में शौच जाना, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, अर्थात यदि उनके घर में शौचालय हो तब भी वो खुले में शौच को प्राथमिकता देते है, ताकि उनका घर तो स्वस्थ रहे और गन्दगी बाहर फैलती रहे। एक अनुमान के अनुसार मानव के मल में औसतन एक करोड़ वाइरस, 10 लाख जीवाणु तथा लगभग 100 विभिन्न परजीवों के कृमि अथवा अण्डे अथवा लार्वा पाये जाते है। शिशु का मल भी उतना ही संक्रामक है, जितना कि वयस्क मनुष्य का। उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि एक मनुष्य का मल इतना संक्रामक हो सकता है तो लाखों मनुष्यों का मल कितना संक्रामक होगा? इस संक्रामक मल को खुले में विसर्जित करने से यह मल, मृदा से होते हुए जल में घुलकर नजदीकी जल स्त्रोतों में पहुँच जाता है। मानव-मल में मौजूद ये संक्रामक वाइरस, जीवाणु या कृमि अण्डे विभिन्न माध्यमों जैसे वायु में उड़कर, जल में घुलकर, मक्खियों या कीटों के माध्यम से अथवा शौच के बाद सफाई के समय हाथों के नाखुनों में फंसकर, खेत-खलिहान में लगे फल-सब्जियों तक पहुँचकर, इत्यादि माध्यमों से इनका संवहन होता है तथा मनुष्य में कई संक्रामक बीमारियों का उद्भव इसी वजह से होता है। संक्रमित-मल के नजदीकी जल स्त्रोतों में पहुँचने एवं इस पेयजल को पीने से पेचिश, दस्त, पीलिया, आंत्रशोध, अतिसार, अमीबाएसिस, जैसे रोग हो जाते है। इसके अलावा मानव मल में यदि राउण्ड वर्म, विपवर्म, अथवा हुक वर्म के अण्डे हो तो ये अण्डे मानव की आंत, फेफड़े, पित्त अग्न्याशय नली, यकृत इत्यादि अंगों में पहुँच कर लार्वा और वयस्क रूप में बदलकर मनुष्य में ऐस्केरिएसिस, हेलमेन्थेसिएसिस व टिनिएसिस जैसे संक्रामक रोग उत्पन्न कर देते है, जिनका समय पर उपचार नहीं होने पर मौत भी हो सकती है। अतः खुले में शौच जाना न केवल स्वयं के लिए वरन् अन्य लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है जिसे रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है, तभी हम स्वस्थ और सुखी रह पायेंगे।

प्रदूषित वातावरण एवं अस्वच्छता के कारण होने वाली प्रमुख बीमारियां:-

1. **जल जनित बीमारियां**-हैजा, टाइफाइड, दस्त,पेचिश, पोलियो, खूनी पेचिश, अतिसार, पीलिया, हिपेटाइटिस, अमीबाएसिस, मलेरिया, फाइलेरिया, नारु, डेंगू, यलो-फीवर, ऐस्केरिएसिस, टिनिएसिस, फ्लोरोसिस, कन्जक्टिवाइटिस इत्यादि।
2. **वायु जनित बीमारियां**-खाँसी, जुकाम, इन्फ्लुएजा, चेचक, खसरा, डिप्थिरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोन्काइटिस, अस्थमा, राइनाइटिस, एलर्जी, हे-फीवर इत्यादि।
3. **शोर जनित बीमारियां**-बहरापन, थकावट, अनिद्रा, रक्तचाप बढ़ना, तनाव, चिड़चिड़ापन, पेट दर्द, कान में झनझनाहट या सीटी बजना, हृदय की धड़कन बढ़ना, कार्यक्षमता में कमी, कान का पर्दा फटना इत्यादि।
4. **विकिरण जनित बीमारियां**-कैंसर, विकलांगता, गर्भपात, विकृत शिशु का जन्म, बन्ध्यता, बाल उड़ना, अपरिपक्व मोतियाबिन्द, अस्थिगलन, अल्सर, रक्तस्राव, चर्मकोप, रक्तकैंसर, वास्तविक आयु में कमी, जीनिटिक उत्परिवर्तन इत्यादि।
5. **कुपोषण जनित बीमारियां**-एनिमिया, क्वाशियोरकोर, रिकेट्स, बेरी-बेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी, आस्टियोमलेशिया, कीलोसिस, एनारोक्सिया, टिटेनी, अन्धापन, कुबड़पन, घेंघा, फ्लोरोसिस इत्यादि।
6. **उद्योग-खनन जनित बीमारियां**-सिलिकोसिस, एन्थ्राकोसिस, बिसिनोसिस, बगेसोसिस, ऐस्बेस्टोसिस, फाइब्रोसिस, न्यूमोकोनिएसिस इत्यादि।
7. **मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोंपड़ियों वाले लोगों की बीमारियां**-मलेरिया, फाइलेरिया, नारु, पोलियों, खसरा, दमा, एलर्जी, कुष्ठरोग, चर्मरोग, नेत्ररोग, एड्स, हीपेटाइटिस-बी, कुपोषण, तपेदिक, हैजा इत्यादि। इसके अतिरिक्त चोरी, डकैती, जेब काटना, जुँआ-सट्टा, नशाखोरी, मदिरापान, बलात्कार, वैश्यावृत्ति जैसी अनेक सामाजिक बीमारियां।

स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान :

(1) प्रतिदिन नहायें, पाक्षिक नाखुन काटें तथा व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। (2) खुले में शौच नहीं जायें। (3) सक्षम होने पर स्वयं के खर्चे से तथा सक्षम न होने पर सरकारी अनुदान से घर में अवश्य शौचालय बनावें। (4) खाने के पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोएं। (5) फल-सब्जियों को सदैव धोकर ही खायें। (6) फास्ट -फूड का सेवन कम करें। (7) पॉलिथीन की थैलियों के स्थान पर कागज की थैली एवं जूट या कपड़े के थैले का उपयोग करें। (8) अपने घर के आसपास कचरा न फेंकें बल्कि निर्धारित कचरा-पात्र अथवा कचरा पॉइन्ट पर ही फेंकें। (9) पेयजल हेतु पानी की टंकी की वर्ष में दो बार सफाई अवश्य करें। (10) अपने घर या विद्यालय के आसपास गन्दा पानी एकत्रित नहीं होने दें। (11) प्राकृतिक जल-स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झरना व कुँओं इत्यादि में कचरा नहीं फेंकें। (12) रासायनिक खाद एवं कृत्रिम उर्वरक के स्थान पर प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद, कम्पोस्ट या वर्मीकम्पोस्ट का उपयोग करना। (13) बड़े घरों, विद्यालयों या सरकारी भवनों, में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करना। (14) कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन यथा संभव नहीं करें। (15) फलों के रस के स्थान पर सीधे ही ताजे फलों का सेवन करें। (16) पीने के पानी को सदैव छानकर पीयें। (17) छींकते व खांसते समय सदैव मुँह पर रूमाल रखें तथा इस रूमाल को प्रतिदिन साबुन से धोएं। (18) डिस्पोजल क्रॉकरी का बहिष्कार करें। (19) पान, मसाला, जर्दा,गुटखा इत्यादि का सेवन नहीं करें। (20) धूम्रपान, मद्यपान, और नशीले पदार्थों से दूर रहें। (21) प्रतिदिन 2-5 किमी पैदल अवश्य चलें अथवा10-15 मिनट का कसरत/व्यायाम/ योग अवश्य करें। (22) तेज आवाज में रेडियो/टीवी/ लाउडस्पीकर इत्यादि न बजायें। (23) किसी भी पेड़ को न तो काटें और न ही

काटने दें। (24) अपने आस-पास के वातावरण को हरा-भरा रखें तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। (25) बच्चों में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत निर्धारित सभी रोगप्रतिरोधक टीके अवश्य लगायें।

स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागरूकता हेतु सरकारी प्रयास–

समय-समय पर इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं अभियान चलाये गये जैसे– राष्ट्रीय मलेरिया उन्मुलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय नारु उन्मुलन कार्यक्रम, पल्स पोलियो अभियान, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दस्त रोग नियंत्रण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, निर्मल भारत अभियान, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, राष्ट्रीय एनिमिया नियंत्रण कार्यक्रम, डिवर्मिंग कार्यक्रम, गंगा शुद्धीकरण परियोजना, यमुना शुद्धीकरण योजना, टाईगर प्रोजेक्ट, इत्यादि के अलावा विश्व जल दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व हाथ धुलाई दिवस सहित कई सम्बन्धित दिवसों का आयोजन पूरे देश में समारोहपूर्वक किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में विश्व हाथ धुलाई दिवस कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम, आयरन फोलिक एसिड कार्यक्रम, विज्ञान क्लब, इको क्लब वृक्षारोपण, स्वच्छता सप्ताह, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट गाइड इत्यादि योजनाओं के माध्यम से स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागरूकता हेतु कई प्रयास किये जाते है।

उपसंहारः– संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनेप सहित कई संस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर; केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्थायें, सामाजिक संस्थायें स्थानीय स्तर पर स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक प्रयास कर रही है। किन्तु इन सबका वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है, जब हम स्वयं जागरूक बनकर हमारी विकृत सोच बदलें, गन्दी आदतें बदलें, स्वच्छ रहें, अपने व्यवहार में परिवर्तन लायें, पाश्चात्य संस्कृति का अन्धाधुन्ध अनुसरण छोड़ें, प्रकृति का दोहन करें, शोषण नहीं, पेड़ नहीं काटें तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं प्रदूषण रहित भारत का निर्माण करें। आइये हम सब मिलकर हमारे देश को स्वस्थ, स्वच्छ एवं निर्मल भारत बनाने हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान एवं हरे-हरे भारत निर्माण के लिए सार्थक पहल की शुरूआत करें, तभी हम स्वस्थ और निरोगी रह पायेंगे तथा हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह पायेगा।

–सहायक परियोजना समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान, बिला कोटा
मो. 9414077273

इस माह का गीत

हल्दी घाटी

हल्दी घाटी चेतक टापों से गूँजी जयकार
शत्रु काँपे थर-थर देखी मेवाड़ी तलवार
मेवाड़ी तलवार गूँजी जय जयकार ।।हुव।।

पहला प्रबल प्रहार हुआ, तीरों की बौछारों से
शाही सेना भगदड़ मच गयी, बहती रक्तिम् धारों से
एकलिंग की जय जय जय से, पलट गयी धुमधार..।।1।।
गूँजी जय-जयकार।

घिर गया मानसिंह घेरे में, मेवाड़ी सरदारों से
रथपथ होकर भागा छुपके, भाले की मह मारों से
राणा रौद्र रूप में करते, प्रलयंकार हुंकार..।।2।।
गूँजी जय-जयकार।

अकबर सुनकर सन्न रह गया, भारत की ललकार से,
थकर नहीं अपनी सेना को, बार-बार धिक्कारते
शक्ति सिंह भी लौट गया था, घाटी के उस पार।।
गूँजी जय-जयकार।

शौर्य, पराक्रम, नीति, कुशलता, गौरवमय यह महासमर
युग युग तक प्रेरक तेजस्वी, है अनुपम इतिहास अमर
स्वाभिमान संस्कृति शिक्षा, कर पहले विजयी हार।।

गूँजी जय-जयकार।

साभार : प्रेरणा पुष्पांजलि

आदेश-परिपत्र : मई-जून 2015

1. राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह–2015 के संबंध में निर्देश।
2. आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की प्रतिबालक प्रतिपूर्ति पुनर्भरण राशि का किश्तवार भुगतान किये जाने पर नियमानुसार ऑडिट (अंकेक्षण) करवाने बाबत।
3. राज्य के माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय/वाचनालय हेतु 'अखण्ड ज्योति मासिक पत्रिका' क्रय करने की अनुशंसा।
4. शिविरा पंचांग वर्ष: 2015–16
5. राज्य के मा. एवं उ.मा. विद्यालयों के पुस्तकालयों/ वाचनालयों हेतु 'शैक्षिक मंथन' एवं 'समुत्कर्ष' मासिक पत्रिकाओं को नियमानुसार क्रय करने की सहमति।
6. राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2015
7. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2015 के सम्बन्ध में।
   प्रथम चरण दिनांक 11 मई 2015 से 16 मई 2015,
   द्वितीय चरण दिनांक 26 जून 2015 से 30 जून 2015

1. राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह–2015 के संबंध में निर्देश।

● कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ● क्रमांकः– शिविरा–प्रारं/साप्र/सी/भामा/2773/2015/20 दिनांकः– 31.03.2015 ● समस्त उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा), समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा) प्रथम–द्वितीय, समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ● विषयः– राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2015

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए दस लाख रुपये अथवा इससे अधिक धनराशि का सहयोग देने वाले दानदाताओं को गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी भामाशाह दिवस (दिनांक 28.06.2015) पर एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाना है। इस सम्मान समारोह से संबंधित समस्त कार्य निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा किया जाना है।

इस वर्ष आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में 01.04.14 से 31.03.2015 तक की अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि का सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं 01.04.13 से 31.03.14 तक की अवधि के लिए निर्धारित राशि का सहयोग करने वाले दानदाता जो गत वर्ष सम्मानित होने से वंचित रह गये थे, उन्हें भी शामिल कर सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे दानदाता जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्माण शाला भवनों की मरम्मत अथवा स्थाई साज सामान के रूप में दस लाख रुपये अथवा इससे अधिक धनराशि का सहयोग उक्त निर्धारित अवधि में किया है, सम्मान हेतु पात्र होंगे। प्रेरकों के लिए 01.04.13 से 31.03.14 अथवा 01.04.14 से 31.03.15 तक की अवधि में 30 लाख रुपये अथवा इससे अधिक धनराशि का सहयोग करने वाले दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किये जाने एवं उनके द्वारा प्रेरित दानदाता इस वर्ष 2015 में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में सम्मान हेतु चयनित होने पर ही चयन का मानदण्ड निर्धारित किया गया है। उक्त वर्णित अवधि से पहले का सहयोग मान्य नहीं होगा।

उपर्युक्तानुसार निर्धारित मानदण्डों की श्रेणी में आनेवाले दानदाताओं एवं प्रेरकों के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंसा सहित निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21.05.15 निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

अतः समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि अपने अधीनस्थ जिले में स्थित विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में सहयोग करने वाले दानदाताओं एवं दानदाताओं को प्रेरित करने वाले प्रेरकों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जाँच कर निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भामाशाह सम्मान समारोह 2015 हेतु भामाशाहों एवं प्रेरकों के प्रस्ताव निदेशालय को चयन हेतु भिजवाने बाबत निम्न दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं–

1. न्यूनतम दस लाख रुपये की धनराशि तक का निर्धारित अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले दानदाताओं का ही प्रस्ताव अभिशंसित कर भिजवावें। यदि दानदाता ने सम्पूर्ण भवन का निर्माण करवाया है या केवल भूमि दान में दी है तो उनके द्वारा निर्मित भवन/भूमि का विधिवत दानपत्र विभाग के पक्ष में लिखा जाना आवश्यक है। यदि विधिवत दानपत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है तो ऐसे प्रस्ताव अभिशंसित कर नहीं भिजवाये जावें।
2. यदि किसी दानदाता ने भवन/भूमि दान में दी है तो दान में दिए गए भवन/भूमि के दानपत्र की प्रति के साथ उक्त भवन/भूमि की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमानित लागत विवरण की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।
3. यदि किसी दानदाता ने स्थाई साज सामान के रूप में सहयोग दिया हो तो उसके द्वारा उपलब्ध करवाये गये साज सामान की संबंधित विद्यालय/संस्था के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित दानदाता द्वारा इस योजना में दिये गये साज सामान का स्टॉक रजिस्टर में विधिवत इन्द्राज कर लिया गया है।
4. यदि किसी दानदाता ने भवन निर्माण, अतिरिक्त निर्माण/चारदीवारी/मरम्मत/के रूप में सहयोग दिया है तो उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित विवरण सक्षम अधिकारी के अनुमानित लागत विवरण पत्र की प्रति संलग्न करें। इसी प्रकार बच्चों की छात्रवृत्ति/पुस्तकालय हेतु सहयोग के संबंध में भी संस्था प्रधान सहयोग राशि का विवरण प्रमाणित कर जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर करवाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
5. भामाशाह से तात्पर्य दानपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अथवा मूल सहयोग देने वाले वाले दानदाता से ही है। यदि किसी दानदाता की

मृत्यु हो जाती है तो उनको यह सम्मान (मरणोपरान्त) उसी दानदाता के नाम से ही दिया जावेगा। ऐसे दानदाताओं के प्रस्ताव में संक्षिप्त जीवन परिचय भिजवाते समय ध्यान रखा जावे कि फोटोग्राफ एवं परिचय ऐसे मूल दानदाता के ही भेजे जावें। इनका सम्मान उनके उत्तराधिकारी प्राप्त करेंगे जिसके लिये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें अधिकृत कर उनके नवीनतम फोटो सहित अधिकृत पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ लगावें एवं भेजे जाने वाले प्रस्ताव में भी इसका स्पष्ट उल्लेख करें।

6. यदि दानदाता कोई ट्रस्ट,संस्था या कंपनी है तो इन्हें दिए जाने वाला प्रशस्ति पत्र ट्रस्ट, संस्था या कंपनी के नाम से ही दिया जाएगा।
7. जन सहभागी विद्यालय मरम्मत योजना के अन्तर्गत दस लाख रुपये अथवा अधिक का विद्यालय मरम्मत कार्य/अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि में योगदान देने वाले दानदाता इस सम्मान हेतु पात्र होंगे।
8. भामाशाहों के प्रस्तावों के साथ संबंधित दानदाताओं द्वारा आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करावें। यदि सहयोग राशि की पुष्टि से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं होगा तो ऐसे प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते हैं।
9. विभाग द्वारा निर्धारित अवधि, मानदण्ड के अनुरूप प्रेरकों के प्रस्ताव होने पर ही प्रस्ताव भेजें। यदि किसी प्रेरक ने एक से अधिक दानदाताओं को सहयोग हेतु प्रेरित किया है तो उनके द्वारा प्रेरित भामाशाहों के कुल सहयोग की राशि 30 लाख रुपये होने एवं प्रेरक द्वारा प्रेरित भामाशाह आयोजित समारोह में सम्मान हेतु चयनित होने पर ही प्रेरक को सम्मान हेतु चयनित किया जायेगा। प्रेरकों के प्रस्ताव संबंधित उप निदेशक प्रेरकों के प्रस्ताव अपनी अभिशंसा सहित इस निदेशालय को निर्धारित अवधि में भिजवायेंगे। उप निदेशक की अभिशंसा के अभाव में प्राप्त होने वाले प्रेरकों के प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
10. यदि एक से अधिक दानदाताओं ने सहयोग किया है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित दानदाता से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें कि किसको सम्मानित किया जाना है। विभाग द्वारा केवल एक दानदाता को ही सम्मानित किया जायेगा। यदि एक से अधिक दानदाताओं ने संयुक्त रूप से सहयोग किया है तो दानदाता की लिखित सहमति प्राप्त होने पर ही उनके द्वारा सहमत दानदाता को सम्मानित किया जायेगा। प्रशस्ति पुस्तिका में सम्मानित होने वाले ही दानदाता का फोटो एवं परिचय प्रकाशित किया जावेगा।
11. जहां तक संभव हो सके भामाशाहों/प्रेरकों के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूटराइज्ड/टाइप कराकर ही भिजवायें।
12. प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों को प्रेरक के रूप में सम्मान हेतु प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए जावें।
13. भामाशाह एवं प्रेरकों को सम्मान हेतु चयन बाबत निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी भामाशाह एवं प्रेरक का प्रस्ताव सम्मान हेतु चयनित नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और न ही चयन नहीं किये जाने के कारण से उन्हें सूचित किया जावेगा।

इस परिपत्र के साथ भामाशाहों एवं प्रेरकों के प्रस्तावों के आवेदन पत्रों का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। जिसे पूर्ण भरवाकर दो फोटो सहित प्रस्ताव समेकित कर भामाशाहों के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रेरकों के प्रस्ताव संबंधित मंडल अधिकारी निर्धारित तिथि तक निदेशालय को भिजवायेंगे। भामाशाह एवं प्रेरकों के प्रस्ताव के साथ पूर्ण विवरण सहित वांछनीय दस्तावेज की प्रतियां संलग्न करें। संबंधित भामाशाह/प्रेरक की एक फोटो फार्म पर निर्धारित स्थान पर चिपकाकर एवं एक फोटो ''यू'' पिन के साथ फार्म के साथ संलग्न कर भिजवानी है। ''यू'' पिन के साथ भेजे जाने वाली फोटो के पीछे संबंधित दानदाता/प्रेरक का पूरा नाम पता अवश्य लिखा जावे।

निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित किये जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। निर्धारित आवेदन पत्र के फार्म में सभी कॉलम पूरे भरे होने आवश्यक है। आधे अधूरे अपूर्ण प्रस्ताव अस्वीकृत किये जा सकते है। यदि कोई भामाशाह या प्रेरक प्रस्ताव के अभाव में सम्मान से वंचित रहता है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित मंडल अधिकारी का होगा। अतः हर संभव प्रयास कर निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाने हेतु पाबंद किया जाता है।

–निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आवेदन प्रपत्र का निर्धारित प्रपत्र

राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह–2015

हेतु प्रस्ताव भामाशाह के लिए

1. दानदाता (भामाशाह) का नाम	पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं
2. पिता/पति का नाम	

3. जाति .....
4. जन्म तिथि .....
5. मूल निवास स्थान व स्थाई पता ....
6. यदि दानदाता कोई ट्रस्ट, संस्था या कंपनी है तो ट्रस्ट, संस्था अथवा कंपनी की ओर से सम्मान ग्रहण करने वाले का नाम..... पद ..... विभाग द्वारा इन्हें दिये जाने वाले प्रशस्ति पत्र/प्रतीक चिह्न में लिखा जाने वाला नाम (दानदाता संस्था, ट्रस्ट एवं कंपनी है तो व्यक्ति का नाम नहीं लिखें संस्था, ट्रस्ट एवं कंपनी का नाम ही लिखें).....
7. पत्र व्यवहार हेतू पूर्ण पता (विभाग द्वारा समस्त पत्र व्यवहार इसी पते पर किये जायेंगे).....
8. सम्पर्क हेतु दूरभाष नं ..... मोबाइल नं ..... फैक्स नं .....
9. शैक्षणिक योग्यता ....

10. व्यवसाय का विवरण .....
.....
11. विद्यालय का नाम जिसके लिए सहयोग किया गया.....
.....
12. आप द्वारा किये गये सहयोग का विवरण .....
.....
13. आप द्वारा किये गये सहयोग की अवधि/वर्ष.....
14. सहयोग की कुल राशि रु. (प्रदत्त सहयोग की राशि की पुष्टि हेतु सहयोग राशि का विवरण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जि.शि.अ. से प्रति हस्ताक्षरित कराकर संलग्न करें).....
15. यदि सम्पूर्ण भवन का निर्माण कराया गया है तो क्या निर्मित भवन का विधिवत् दान पत्र विभाग के पक्ष में लिखा जा चुका है.....
(पंजीकृत दान पत्र एवं विभाग द्वारा दान में एवं राज्याधीन लिये जाने की स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न करें)
16. आपको सहयोग हेतु प्रेरित करने वाले प्रेरक का नाम एवं उनसे आपका संबंध.....
17. शिक्षा विभाग के अतिरिक्त आपके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र/हित में किये गये अन्य महत्वपूर्ण सहयोगों का विवरण.....
.....
18. दानदाता के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है/ है .....
(यदि है तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न करें)
19. संक्षिप्त जीवन परिचय.....
.....
(आवश्यकता होने पर पृथक से संलग्न किया जा सकता है।)
20. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक वाद किसी भी न्यायालय/पुलिस थाना में विचाराधीन नहीं है/दर्ज नहीं है।

दिनांक ..... हस्ताक्षर दानदाता

नाम .....

पता .....

प्रमाणित किया जाता है कि दानदाता द्वारा उल्लेखित सहयोग राशि की पुष्टि संबंधित दस्तावेज से कर ली गई है। उपरोक्त विवरण सही है, गलत पाये जाने पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता उत्तरदायी है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
(मय मोहर)

प्रमाणित किया जाता है कि दानदाता द्वारा उल्लेखित राशि की पुष्टि संबंधित दस्तावेज से कर ली गई है, भामाशाह के प्रस्ताव की जांच कर ली गई है। जांचोपरान्त उपरोक्त उल्लेखित विवरण सही पाये गये अतः इनका राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान के लिए चयन की अभिशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर संबंधित जि.शि.अ.
(मय मोहर)

राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह–2015
हेतु प्रेरक के लिये प्रस्ताव

पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

1. नाम प्रेरक .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. पद व पदस्थापन का स्थान .....
.....
4. दानदाता का नाम जिसे आप द्वारा प्रेरित किया गया.....
.....
5. विद्यालय का नाम जिसके लिये आपकी प्रेरणा से सहयोग हुआ.....
.....
6. आपकी प्रेरणा से दानदाता द्वारा किये गये सहयोग का विवरण.....
.....
7. दानदाता द्वारा किये गये सहयोग की अनुमानित लागत राशि.....
.....
8. दानदाता का आपसे संबंध.....
.....
9. सार्वजनिक क्षेत्र/हित में आप द्वारा किये गये अन्य योगदानों का विवरण.....
.....
10. प्रेरक विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला न्यायालय विचाराधीन नहीं है/है.....
(यदि है तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न करें)
11. क्या आपके विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही तो विचाराधीन नहीं है/है.....
(यदि है तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न करें)
12. दानदाता को प्रेरित कर सहयोग प्राप्त करने की अवधि/वर्ष.....
.....
13. पत्र व्यवहार हेतु पता (विभाग द्वारा समस्त पत्र व्यवहार इसी पते पर ही किये जायेंगे).....
14. सम्पर्क हेतु दूरभाष नं..... मोबाइल नं .....
फैक्स नं.....
15. अन्य विशेष विवरण.....
.....
16. संक्षिप्त परिचय.....
.....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक वाद किसी भी न्यायालय/पुलिस थाना में विचाराधीन नहीं है/ दर्ज नहीं है।

दिनांक..... हस्ताक्षर प्रेरक

नाम.....

पद व पदस्थापन स्थान .....

उक्त प्रेरक ने ही मुझे/हमें सहयोग हेतु प्रेरित किया है अतः मैं/हम इन्हें प्रेरक के रूप में सम्मान हेतु चयन की अभिशंसा करता हूँ/करते है।

हस्ताक्षर दानदाता

नाम .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सही है, गलत पाये जाने पर इसके लिये निम्न हस्ताक्षरकर्ता उत्तरदायी है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान
(मय मोहर)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है। उक्त कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है; कर्मचारी/अधिकारी को प्रेरक के रूप में चयन कर सम्मानित किये जाने की अभिशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर संबंधित जि.शि.अ.
(मय मोहर)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रेरकों के प्रस्तावों का अध्ययन करने के बारे में उक्त प्रेरक का योगदान सर्वश्रेष्ठ रहा है। इन्होंने विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार न्यूनतम तीस लाख रुपये अथवा इससे अधिक योगदान देने वाले भामाशाह को प्रेरित किया है। इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अतः इन्हें प्रेरक के रूप में चयन कर सम्मानित किये जाने की अभिशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर संबंधित उपनिदेशक
(मय मोहर)

2. आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की प्रतिबालक प्रतिपूर्ति पुनर्भरण राशि का किश्तवार भुगतान किये जाने पर नियमानुसार ऑडिट (अंकेक्षण) करवाने बाबत।

● कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/ऑडिट/18871/14-15/75 दिनांक : 03.2.2015 ● उपनिदेशक प्रारम्भिक ● विषयः- आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की प्रतिबालक प्रतिपूर्ति पुनर्भरण राशि का किश्तवार भुगतान किये जाने पर नियमानुसार ऑडिट (अंकेक्षण) करवाने बाबत। ● प्रसंगः- इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक- शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/यूनिट कॉस्ट/18882/13-14/वो-III/ दिनांक 27.05.2014

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में कुल प्रवेशित बालकों के 25 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश उपरान्त सत्यापित बालकों के संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को प्रति बालक प्रतिपूर्ति की पुनर्भरण राशि का भुगतान गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों की पालना में संबंधित बीईईओ/डीईओ प्राशि/ माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा पुनर्भरण की राशि गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में अन्तरित की जाती है। राज्य सरकार ने दिनांक 29.03.2011 को अधिसूचना जारी कर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह को परिभाषित किया है।

शैक्षिक सत्र 2011-12 में राज्य में आर.टी.ई. एक्ट 2009 के प्रावधानों के तहत गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा 25 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के प्रवेश संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक कार्यालयों द्वारा विद्यालयों का सत्यापन करवाने पर उक्त प्रवेशों को आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नहीं दिए जाने के कारण उक्त प्रवेशों को अमान्य करते हुए निदेशालय से बजट राशि की मांग नहीं की गई जिससे शैक्षिक सत्र 2011-12 में राज्य में उक्त प्रवेशों के संबंध में किसी भी गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण नहीं किया गया।

शैक्षिक सत्र 2012-13 में आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत 25 प्रतिशत दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिये जाने के पश्चात गैर सरकारी प्रा./उप्रावि विद्यालयों में प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन बीईईओ/डीईओ प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन डीईओ (माध्यमिक) कार्यालयों द्वारा करवाया गया। सत्यापन के पश्चात सत्यापित बालकों के संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को प्रतिबालक प्रतिपूर्ति हेतु पुनर्भरण राशि का भुगतान बीईईओ एवं डीईओ प्राशि कार्यालयों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के प्रा/उप्रावि/मावि/उमावि विद्यालयों के बैंक खातों में किश्तवार (प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त) पुनर्भरण का भुगतान किया।

शैक्षिक सत्र 2013-14 में आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत 25 प्रतिशत दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों का भौतिक सत्यापन कार्य एवं पुनर्भरण राशि का भुगतान प्रावि/उप्रा विद्यालयों को बीईईओ/डीईओ प्राशि तथा मा/उमा विद्यालयों को डीईओ माध्यमिक शिक्षा के द्वारा किया गया।

शैक्षिक सत्र 2013-14 में पुनर्भरण राशि की प्रथम किश्त का भुगतान करते समय इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/ यूनिटकास्ट/18882/13-14/वो-III/ 195 दिनांक 27.05.2014 के द्वारा संबंधित बीईईओ/डीईओ (प्रा.शि./मा.शि.) को निर्देश प्रदान किये गये थे कि शैक्षिक सत्र 2012-13 की प्रथम/द्वितीय किस्त के समय अधिक/अनियमित भुगतान की स्थिति में अधिक/अनियमित भुगतान की गई राशि का समायोजन शैक्षिक सत्र 2013-14 की प्रथम किश्त/ आगामी वर्षों की पुनर्भरण राशि में से किया जावे। वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए राज्य में लगभग 27 करोड़ रुपये तथा शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए 76 करोड़ रुपये का भुगतान गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में किया जा चुका है तथा आने वाले वर्षों में उक्त भुगतान की राशि लगातार बढ़ती जायेगी। इस प्रकार लगातार बढ़ते वित्तीय खर्च के मध्यनजर किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/हानि को रोकने/वसूली/समायोजन राशियों को तत्काल प्रभावी रूप से संपादित करवाये जाने हेतु किश्तवार (प्रथम किश्त/द्वितीय किश्त) भुगतान के तत्काल पश्चात उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा द्वारा नियमानुसार विभागीय ऑडिट (अंकेक्षण) कार्य करवाये जाने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/यूनिटकॉस्ट/18882/

13-14/197 दिनांक 27.05.2014 के द्वारा प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के मण्डल स्तर पर विभागीय ऑडिट (अंकेक्षण) कार्य करने हेतु निम्नानुसार अंकेक्षण दलों का गठन किया गया था:-

1. उप निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) कार्यालय स्तर पर गठित अंकेक्षण दल

1. उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
2. उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार
3. उप निदेशक(प्राशि) कार्यालय में कार्यरत आरटीई प्रभारी अधिकारी
4. उप निदेशक(प्राशि) कार्यालय में लेखा अनुभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग का कार्मिक

2. उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय स्तर पर गठित अंकेक्षण दल-

1. उप निदेशक (मा.शि.) कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
2. उप निदेशक (मा.शि.) कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार
3. उप निदेशक (मा.शि.) कार्यालय में कार्यरत आरटीई प्रभारी अधिकारी
4. उप निदेशक (मा.शि.) कार्यालय में लेखा अनुभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग का कार्मिक

उपर्युक्त विभागीय अंकेक्षण दल उनके मण्डल में नियंत्रणाधीन बीईईओ/डीईओ(प्राशि) के कार्यालयों का विभागीय ऑडिट(अंकेक्षण) उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में गठित अंकेक्षण दल द्वारा किया जाकर जांच प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) वित्तीय सलाहकार, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार डीईओ (माध्यमिक) कार्यालयों का विभागीय ऑडिट (अंकेक्षण) उप निदेशक (मा. शि.) कार्यालयों में गठित अंकेक्षण दल द्वारा किया जाकर जांच प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर प्रस्तुत करेंगे। विभागीय अंकेक्षण दल शैक्षिक सत्र 2012-13 की प्रथम किस्त के भुगतान से अंकेक्षण कार्य (ऑडिट) प्रारम्भ करेंगे।

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान

1. आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के अनुसार ''धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (III) और उपखण्ड (IV) में विर्निदिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की, उसके पूरा होने तक, व्यवस्था करेगा:

   परन्तु यह और कि जहां धारा 2 के खण्ड (ढ) में विर्निदिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहां खण्ड (क) से खण्ड (ग) के उपबन्ध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगे।
2. एक्ट की धारा 12(2) के अनुसार-''उपधारा(1) के खण्ड(ग) में यथाविनिर्दिष्ट निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (IV) में विनिर्दिष्ट विद्यालय की, उसके द्वारा उपगत व्यय की राज्य द्वारा प्रतिबालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, ऐसी रीति में, जो विहीत की जाए, प्रतिपूर्ति की जाएगी।

   परन्तु यह कि ऐसी प्रतिपूर्ति धारा 2 के खण्ड (ढ) उपखण्ड (i) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय द्वारा उपगत प्रतिबालक व्यय से अधिक नहीं होगी।

   परन्तु यह और कि जहां ऐसा विद्यालय उसके द्वारा कोई भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएं या तो निःशुल्क या रियायती दर पर प्राप्त करने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन है, वहां ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

2. राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के प्रावधान-

1. धारा 2 के खण्ड(ढ) के उपखण्ड (III) और (IV) में विर्निदिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
2. प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को की जायेगी। अप्रेल से अगस्त की कालावधि के लिए पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में की जाएगी और सितम्बर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक की कालावधि के लिए अन्तिम प्रतिपूर्ति जून के अन्त में की जाएगी।
3. कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के संबंध में प्रति-बालक-व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला, धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (III) और (IV) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय अपना दावा (क्लेम बिल) विद्यालय में प्रवेश दिये गए कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में सम्बन्धित बीईईओ/डीईओ (प्रा/माशि) कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
4. बीईईओ/डीईओ(प्रा/माशि) कार्यालयों द्वारा अंतिम प्रतिपूर्ति (द्वितीय किश्त) करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा।

3. जाँच दल के लिये सामान्य निर्देश-

1. अंकेक्षण दल अभिलेखों की जाँच करते समय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना प.21(9) शिक्षा-1/प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 29.03.11 (राज्य नियम) के प्रावधानान्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु बालकों के प्रवेश एवं प्रतिबालक प्रतिपूर्ति हेतु पुनर्भरण राशि का भुगतान संबंधित बीईईओ/डीईओ (प्राशि)/डीईओ(माशि) कार्यालयों द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में अंतरित की गई किश्तवार (प्रथम/द्वितीय) राशि की ऑडिट (अंकेक्षण) कार्य सम्पन्न करके जांच प्रतिवेदन तैयार करेंगे।
2. गैर सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2012-13 में प्रथम/द्वितीय किश्त का भुगतान राज्य सरकार के पत्रांक प.9(2) शिक्षा-5/2005 पार्ट दिनांक 04.02.2013 एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/आरटीई/यूनिट

कॉस्ट/18882/12-13 दिनांक 15.3.13 एवं पत्रांक 21 दिनांक 19.03.2013 तथा शैक्षिक सत्र 2013-14 में राज्य सरकार के पत्रांक-प.9(1)शिक्षा-5/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 11.11.2013 एवं शैक्षिक सत्र 2014-15 में राज्य सरकार का पत्रांक प.9 (1) शिक्षा-5/2010 पार्ट दिनांक 26.12.2014 के अनुसरण किया गया है।

3. शैक्षिक सत्र 2014-15 में प्रा/उप्रा गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन कार्य एवं पुनर्भरण का कार्य संबंधित जिले के बीईईओ/डीईओ(प्राशि) कार्यालयों द्वारा एवं मा/उमा गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन कार्य एवं पुनर्भरण का कार्य संबंधित जिले के डीईओ(माशि) कार्यालयों द्वारा किया गया है।
4. शैक्षिक सत्र 2012-13 एवं सत्र 2013-14 के लिए पुनर्भरण हेतु बीईईओ/डीईओ(प्राशि)/डीईओ(माशि) को बजट आवंटन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी किया गया है।
5. शैक्षिक सत्र 2014-15 के लिए पुनर्भरण हेतु बीईईओ/डीईओ(प्राशि) कार्यालयों को ऑनलाइन ऑनलाइन बजट आवंटन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर एवं डीईओ(माशि) कार्यालयों को ऑनलाइन बजट आवंटन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी किया गया है।
6. बीईईओ/डीईओ(प्राशि)/डीईओ(माशि) कार्यालयों में अभिलेखों को अंकेक्षण(ऑडिट) करते समय संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों के वांछित सभी अभिलेखों को अंकेक्षण(ऑडिट) करना सुनिश्चित करें।
7. शैक्षिक सत्र 2012-13 में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश/सत्यापन/पुनर्भरण कार्य मैन्युअल किया गया था तथा शैक्षिक सत्र 2013-14 से उपरोक्त कार्य आरटीई वेब पोर्टल dee.raj.nic.in/rte.raj.nic.in पर ऑनलाइल प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है।
8. शैक्षिक सत्र 2013-14 से प्रथम किश्त का बजट आरटीई वेब पोर्टल पर बीईईओ/डीईओ/(प्राशि)/डीईओ(माशि) कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन बजट डिमाण्ड जनरेट की जाती है, जिसके आधार पर प्राशि/माशि निदेशालय द्वारा ऑनलाइन बजट जारी किया जाता है तथा द्वितीय किश्त का बजट आवंटन प्रथम किश्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है।
9. आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों का प्रतिवर्ष सत्यापन दल द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। भौतिक सत्यापन दल द्वारा तैयार की जाने वाली सत्यापन/निरीक्षण रिपोर्ट में पुनर्भरण हेतु की गई अनुशंसा के आधार पर गैर सरकारी विद्यालयों को नियमानुसार पुनर्भरण किया जाता है।
10. उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त अंकेक्षण दल निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011, राज्य सरकार एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा समय-समय पर जारी आदेश-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार अंकेक्षण कार्य संपादित करेगा।

अतः उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि उन्होंने अंकेक्षण दल (ऑडिट पार्टी) का गठन कर अंकेक्षण कार्य (ऑडिट कार्य) प्रारम्भ कर दिया है तो उसकी सूचना अथवा अब तक अंकेक्षण दल (ऑडिट पार्टी) का गठन नहीं किया है तो दिनांक 20.02.2015 तक अंकेक्षण दल का गठन कर अंकेक्षण कार्य (ऑडिट) प्रारम्भ करवावें। अंकेक्षण दल गठन करने एवं अंकेक्षण कार्यक्रम की सूचना प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित करें।

निदेशक ● प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

3. राज्य के माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय/ वाचनालय हेतु 'अखण्ड ज्योति मासिक पत्रिका' क्रय करने की अनुशंसा।

● कार्यालय उप निदेशक समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● आदेश ● निर्देशानुसार राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों/वाचनालयों हेतु पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के लिए विभागीय बजट प्रावधान एवं छात्र कोष की उपलब्धता के आधार पर उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पत्रिकाओं को नियमानुसार क्रय करने की अनुशंसा की जाती है:-

क्र.स.	पत्रिका का नाम	प्रकाशक
1	''अखण्ड ज्योति मासिक पत्रिका''	गायत्री कुंज-शान्तिकुंज विस्तार-हरिद्वार मासिक 249411, उत्तराखण्ड

उप निदेशक ● समाज शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : उनि/सशि/पत्र-पत्रिका/राज्य निर्देश/एफ-2005/2010-11/222 दिनांक 24.11.14

4. शिविरा पंचांग वर्ष: 2015-16

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा)-प्रथम/द्वितीय ● विषय : शिविरा पंचांग वर्षः 2015-16 ● प्रसंग : शासन का पत्रांकः प.32(01) शिक्षा-1/2000 पार्ट, जयपुर, दिनांकः 01.04.15

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा शासन के अनुमोदन के क्रम में पत्र के संलग्न प्रेषित वर्षः 2015-16 के शिविरा पंचांग के अनुरूप अपने क्षेत्राधिकार की शालाओं में विद्यालय संचालन/विभागीय क्रियाकलापों एवं गतिविधियों का आयोजन/क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

ध्यान रहे, इस वर्ष 26 जून, 2015 से सत्र प्रारम्भ किया जा रहा है। 26 जून से 30 जून, 2015 की अवधि में संस्थाप्रधान व विद्यालय स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहकर विद्यार्थियों को प्रवेश संबंधी कार्य व विद्यालय की वार्षिक/मासिक कार्ययोजना तैयार करेंगे।

(सुवालाल) निदेशक ● माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22418/2015-16/47 दिनांक 02.04.2015

वर्ष 2015–16 हेतु शिविरा पंचांग

1. सत्र 2015–16 के लिए शिविरा पंचांग

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	सत्र 2015–16 हेतु शिविरा पंचांग
1	सत्रारम्भ	26 जून (सत्र 2015-16)
		1 अप्रैल (सत्र 2016-17)
2	प्रवेशोत्सव एवं नामांकन	26 जून से (सत्र 2015-16)
		फरवरी के अंतिम सप्ताह से (सत्र 2016-17)
3	विद्यालय कालांश	प्रथम 6 कालांश प्रत्येक 40 मिनट अंतिम 2 कालांश प्रत्येक 35 मिनट का।
4	**परख/परीक्षा**	सत्र2015-16 अगस्त प्रथम सप्ताह
	प्रथम परख	सत्र 2016-17 जुलाई द्वितीय सप्ताह
	द्वितीय परख	सितम्बर का तृतीय/चतुर्थ सप्ताह
	अर्द्धवार्षिक परीक्षा	नवम्बर चतुर्थ सप्ताह से
	तृतीय परख	जनवरी का द्वितीय सप्ताह
	वार्षिक परीक्षा	मार्च के प्रथम से द्वितीय सप्ताह के मध्य
	परीक्षा परिणाम घोषणा	मार्च का अन्तिम सप्ताह
5	**अवकाश** मध्यावधि अवकाश	दीपावली पर्व के आधार पर 6.11.2015 से 17.11.2015 तक रविवार को छोड़कर 10 दिवस
	शीतकालीन अवकाश	24.12.2015 से 10.1.2016 (18 दिवस)
	ग्रीष्मावकाश	17.05.2015 से 25.06.2015 (40 दिवस)
		13.05.2016 से 21.06.2016 (40 दिवस)

नोटः–

1. जून, 2015 तक राज्य सरकार द्वारा शिविरा पंचांग स्वीकृत किया जा चुका है। अतः सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा सत्र प्रारम्भ करने हेतु Transition Phase में जून–जुलाई 2015 तक की कुछ गतिविधियों को उक्तानुसार प्लान किया गया है।
2. मध्यावधि अवकाश के स्थान पर राजस्थान शिविरा पंचांग में स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों एवं दीपावली के पर्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के विद्यालयों में दीपावली अवकाश किया जावेगा।
3. प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को विवेकानन्द जयंती (केरियर डे) के रूप में प्रत्येक शाला में उत्सव के रूप में मनाया जायेगा।
4. सत्र प्रारम्भ होने से स्थानीय वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने तक 20 मिनट 'विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम' विद्यालयी कार्य दिवस को प्रसारित किया जायेगा। आकाशवाणी के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर समय का निर्धारण किया जायेगा।
5. इस वर्ष 26 जून,2015 से सत्र प्रारम्भ किया जा रहा है। 26 जून से 30 जून, 2015 की अवधि में संस्था प्रधान व विद्यालय स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहकर विद्यार्थियों का प्रवेश संबंधी कार्य व विद्यालय की वार्षिक/मासिक कार्ययोजना तैयार करेंगे।

(2) अवकाश विवरण

राज्य के विद्यार्थियों में शिविरा पंचांग में 68 अवकाशों के साथ-साथ संस्थाप्रधानों के द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किये जाने वाले 02 अवकाशों को मिलाकर कुल 70 अवकाश किये जा सकेंगे।

(3) शाला समय प्रबन्धन

(अ) कालांशवार समय विभाजन चक्र में 6 कालांश 40 मिनट के एवं अन्तिम दो कालांश 35 मिनट के रखे जायेंगे। प्रतिदिन कुल 8 कालांश लगेंगे। प्रथम दो कालांश पश्चात 10 मिनट का लघु विश्राम का प्रावधान किया गया है। प्रार्थना सभा हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि गतिविधियां आयोजित होंगी। 25 मिनट का मध्यान्तर अवकाश होने पर विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु कुल शाला समय 6 घंटे 15 मिनट होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाने का निर्णय लिये जाने के कारण इसे शिविरा पंचांग में जोड़ा गया है। (परिशिष्ट–1 संलग्न है)

(ब) अध्यापक एवं शाला का समस्त स्टाफ विद्यार्थियों के लिए निर्धारित शाला समय से 15 मिनट पूर्व शाला में उपस्थिति देंगे। इस अवधि में शिक्षक शाला के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों एवं अध्ययन-अध्यापन की दैनिक कार्य-योजना तैयार करेंगे।

(4) सत्र 2015–16 से राजकीय विद्यालयों हेतु समय

(अ) एक पारी में संचालित विद्यालयों का समय

क्र. सं.	अवधि	प्रस्तावित शाला समय
1	1 अप्रैल से 30 सितम्बर	प्रातः 7.15 बजे से 1.45 बजे तक (06.30 घण्टे)
2	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 8.15 बजे से दोपहर 2.45 बजे तक (6 घण्टे 30 मिनट)

(ब) दो पारी में संचालित विद्यालयों का समय

क्रं. सं.	अवधि	प्रस्तावित शाला का समय
1	1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 7.00 बजे से सायं 6:00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घण्टे)
2	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घण्टे)

नोटः–

(1) सामान्यतः विद्यालयों का संचालन एक पारी में ही किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा (यथास्थिति) राजस्थान, बीकानेर की लिखित अनुमति के पश्चात ही विद्यालय का संचालन दो पारियों में किया जायेगा।

(2) अध्यापकों एवं अन्य कार्मिकों के लिये विद्यालय समय बिन्दु संख्या 3(ब) के अनुसार होगा।

(3) उपर्युक्तानुसार समय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(5) उत्सव व त्यौंहार

उत्सव व त्यौंहारों का समावेश प्रत्येक माह के पंचांग में यथा स्थान पर किया जायेगा।

(6) ग्रीष्मकाल व शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु शिक्षकों, अन्य कार्मिकों व विद्यार्थियों के लिये विद्यालय समय तथा कालांशवार समय निम्नानुसार होगाः–

एक पारी में संचालित विद्यालय

क्र.	विवरण	ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन	शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन
1.	समयावधि	1 अप्रैल से 30 सितम्बर	1 अक्टूबर से 31 मार्च
2.	विद्यालय समय (शिक्षकों हेतु)	7.15 बजे से 1.45 बजे (कुल 6 घंटे 30 मिनिट)	8.15 बजे से 2.45 बजे (कुल 6 घंटे 30 मिनिट)
3.	विद्यालय समय (विद्यार्थियों हेतु)	7.30 बजे से 1.45 बजे (कुल 6 घंटे 15 मिनिट)	8.30 बजे से 2.45 बजे (कुल 6 घंटे 15 मिनिट)
4.	प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास	7.30 बजे से 8.00 बजे (30 मिनिट)	8.30 बजे से 9.00 बजे (30 मिनिट)
5.	प्रथम कालांश	8.00 बजे से 8.40 बजे (40 मिनिट)	9.00 बजे से 9.40 बजे (40 मिनिट)
6.	द्वितीय कालांश	8.40 बजे से 9.20 बजे (40 मिनिट)	9.40 बजे से 10.20 बजे (40 मिनिट)
7.	लघु विश्राम	9.20 बजे से 9.30 बजे (10 मिनिट)	10.20 बजे से 10.30 बजे (10 मिनिट)
8.	तृतीय कालांश	9.30 बजे से 10.10 बजे (40 मिनिट)	10.30 बजे से 11.10 बजे (40 मिनिट)
9.	चतुर्थ कालांश	10.10 से 10.50 बजे (40 मिनिट)	11.10 बजे से 11.50 बजे (40 मिनिट)
10.	मध्यान्तर	10.50 से 11.15 बजे तक (25 मिनिट)	11.50 से 12.15 बजे (25 मिनिट)
11.	पंचम कालांश	11.15 बजे से 11.55 बजे (40 मिनिट)	12.15 बजे से 12.55 बजे (40 मिनिट)
12.	षष्ठम कालांश	11.55 बजे से 12.35 बजे (40 मिनिट)	12.55 बजे से 1.35 बजे (40 मिनिट)
13.	सप्तम कालांश	12.35 बजे से 1.10 बजे (35 मिनिट)	1.35 बजे से 2.10 बजे (35 मिनिट)
14.	अष्टम कालांश	1.10 बजे से 1.45 बजे (35 मिनिट)	2.10 बजे से 2.45 बजे (35 मिनिट)

नोटः–

1. प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास के दौरान की जाने वाली गतिविधियांः– राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि।
2. शैक्षिक गुणवत्ता के लिये मुख्य विषयों के शिक्षण का कार्य यथासम्भव प्रथम 6 कालांशों में निर्धारित किया जावे।
3. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये सहशैक्षिक गतिविधियों यथा खेलकूद, वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबंध लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जावे।
4. अध्यापकों एवं अन्य कार्मिकों के लिये विद्यालय समय बिन्दु संख्या 3 (ब) के अनुसार होगा।
5. उपरोक्तानुसार समय सारिणी तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(7) वर्ष 2015–16 (1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016) में विद्यालयों में मनाये जाने वाले उत्सवों की सूची संलग्न है।

इस प्रकार शिविरा पंचांग को लागू करने से सत्र 2015–16 में राज्य के विद्यालयों का पंचांग लगभग सीबीएसई. विद्यालयों के पंचांग के अनुसार हो जावेगा एवं सत्र 2016–17 से शिविरा पंचांग पूर्णतः सीबीएसई. विद्यालयों के अनुरूप होगा।

परिशिष्ट–2

वर्षः 2015–16 (1 जुलाई–15 से 30 जून–16) में विद्यालयों में मनाये जाने वाले उत्सवों की सूची

क्र.सं.	माह	दिनांक एवं वार	उत्सव का विवरण	उत्सव/अवकाश–उत्सव
1	जुलाई–15	11/शनिवार	विश्व जनसंख्या दिवस	उत्सव
2		23/गुरुवार	लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक जयन्ती	उत्सव
3		31/शुक्रवार	गुरु पूर्णिमा	उत्सव
4	अगस्त–15	15/शनिवार	स्वतंत्रता दिवस	अवकाश–उत्सव अनिवार्य
5		29/शनिवार	संस्कृत दिवस	अवकाश–उत्सव (रक्षाबंधन–अवकाश)
6	सितम्बर–15	5/शुक्रवार	जन्माष्टमी (अवकाश)/शिक्षक दिवस	अवकाश–उत्सव, राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार समारोह
7		8/सोमवार	विश्व साक्षरता दिवस	उत्सव
8		14/रविवार	हिन्दी दिवस	उत्सव

9		23/मंगलवार	रामदेव जयन्ती/तेजा दशमी, किशोर जागृति दिवस	अवकाश-उत्सव
10	अक्टूबर-15	2/शुक्रवार	गांधी जयन्ती एवं शास्त्री जयन्ती	उत्सव
11		24/शनिवार	संयुक्त राष्ट्र दिवस	उत्सव
12	नवम्बर-15	11/बुधवार	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस	उत्सव
13		14/शनिवार	बाल दिवस	उत्सव
14		23/सोमवार	कालिदास जयन्ती	उत्सव
15		25/बुधवार	गुरुनानक जयन्ती	अवकाश-उत्सव
16	दिसम्बर-15	1/मंगलवार	विश्व एड्स दिवस एवं विश्व एकता दिवस	उत्सव
17		10/गुरुवार	मानव अधिकार दिवस	उत्सव
18	जनवरी-16	12/मंगलवार	स्वामी विवेकानन्द जयन्ती (राष्ट्रीय युवा दिवस)	उत्सव
19		15/शुक्रवार	मकर संक्रान्ति	उत्सव
20		16/शनिवार	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती	अवकाश-उत्सव
21		23/शनिवार	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती (देश प्रेम दिवस)	उत्सव
22		26/मंगलवार	गणतन्त्र दिवस	अवकाश-उत्सव अनिवार्य
23	फरवरी-16	12/शुक्रवार	बसंत पंचमी (सरस्वती जयन्ती)	उत्सव
24		28/रविवार	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	उत्सव
25	मार्च-16	4/शुक्रवार	स्वामी दयानन्द जयन्ती	उत्सव
26		7/सोमवार	महा शिवरात्रि	अवकाश-उत्सव
27		15/मंगलवार	विश्व उपभोक्ता दिवस	उत्सव
28		30/बुधवार	राजस्थान दिवस	उत्सव
29	अप्रैल-16	8/शुक्रवार	चेटीचण्ड	अवकाश-उत्सव
30		14/गुरुवार	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जयन्ती	अवकाश-उत्सव
31		15/शुक्रवार	रामनवमी	अवकाश-उत्सव
32		19/मंगलवार	महावीर जयन्ती/अहिंसा दिवस	अवकाश-उत्सव
33	मई-16	7/शनिवार	रवीन्द्र नाथ टैगोर जयन्ती	उत्सव
34	जून-16	7/मंगलवार	महाराणा प्रताप जयन्ती	अवकाश-उत्सव
35		28/मंगलवार	भामाशाह जयन्ती	राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह

नोटः- उत्सव के दिन रविवार/स्वीकृत अवकाश हो, तो उसे एक दिन पहले/बाद में मनाया जाये। उत्सव के दिन निर्धारित आठ कालांश में शिक्षण कार्य हो एवं प्रत्येक कालांश में पांच-पांच मिनट घटाकर शेष समय में उत्सव मनाया जाये। 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है एवं शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

5. राज्य के मा. एवं उ.मा. विद्यालयों के पुस्तकालयों/ वाचनालयों हेतु 'शैक्षिक मंथन' एवं 'समुत्कर्ष' मासिक पत्रिकाओं को नियमानुसार क्रय करने की सहमति।

● कार्यालय उप निदेशक समाज शिक्षा राजस्थान बीकानेर ● आदेश ● राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों/ वाचनालयों हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों की अभिरुचि एवं पुस्तकालय से सम्बद्धता के अनुरूप पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के लिए विद्यालय में उपलबध बजट प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को नियमानुसार क्रय करने की सहमति प्रदान की जाती हैः-

क्र.सं.	प्रत्रिका का नाम	प्रकाशक/पता
1.	'शैक्षिक मंथन' मासिक पत्रिका	82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग, गवर्मेन्ट प्रेस के सामने, जयपुर -302001
2.	'समुत्कर्ष' हिन्दी मासिक पत्रिका	'समुत्कर्ष' बी-7, हिरण मगरी सेक्टर-14, उदयपुर

उप निदेशक, समाज शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : उनि/सशि/पत्र-पत्रिका/राज्य निर्देश/एफ-2005/2014-15/230 दिनांक 08.03.15

6. राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2015

● राजस्थान सरकार ● कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग ● सं. एफ 2 (6) डीओपी/ए-II/84 जयपुर, दिनांक 24.3.2015 ● अधिसूचना ● भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः**-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2015 है। (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियमन 19-क का संशोधनः**-राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 19-क के उपनियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'वरिष्ठ अध्यापक' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-II के पद के पूर्व अभिव्यक्ति, 'वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)' अंतःस्थापित की जायेगी।

3. अनुसूची-I का संशोधनः- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में, शीर्ष 'अनुभाग च-सामान्य अध्यापक' के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 8(घ) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक 8(ङ) और उसकी प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

8(ङ)	वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. विज्ञान 5. तृतीय भाषा 6. सामाजिक विज्ञान।	50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा	**(i) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 1,2,3 और 5 पर के पदों के लिए:-** स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें संबंधित विषय वैकल्पिक विषय के रूप में हो; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। **(ii) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 4 पर के पदों के लिए:-** स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषय हों; भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो-बायोलोजी), जैव-प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नोलोजी) और जैव रसायन विज्ञान (बायो-केमिस्ट्री)	1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक 3. अंध विद्यालय/ मूक एवं बधिर विद्यालय में अध्यापक।	**(i) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 1,2,3 और 5 पर के पदों के लिए:-** स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें संबंधित विषय वैकल्पिक विषय के रूप में हो; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ में स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। **(ii) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 4 पर के पदों के लिए:-** स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषय हों; भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो-बायोलोजी), जैव-प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नोलोजी) और जैव रसायन विज्ञान (बायो-केमिस्ट्री)	1. संबंधित रेंज का संयुक्त/उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा (सदस्य सचिव) 2.निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा या उसका नाम निर्देशिती 3. उपसचिव शिक्षा	रेंजवार

			और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। **(iii) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 6 पर के पदों के लिए:-** स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषय हों: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा।		और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ में स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। **(iii) स्तंभ संख्यांक 2 में क्रम संख्यांक 6 पर के पदों के लिए:-** स्नातक या समतुल्य परीक्षा जिसमें वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषय हों: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री या डिप्लोमा; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ में स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।		

4. **अनुसूची-II का संशोधन:-** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-II में:-

(i) शीर्ष में विद्यमान अभिव्यक्ति 'वरिष्ठ अध्यापक' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति 'और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-II' के पूर्व अभिव्यक्ति 'वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)' अंतःस्थापित की जायेगी।

(ii) शीर्ष प्रश्नपत्र-I के अधीन विद्यमान अभिव्यक्ति 'वरिष्ठ अध्यापक' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति 'और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-II' के पूर्व अभिव्यक्ति 'वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)' अंतःस्थापित की जायेगी।

(iii) शीर्ष प्रश्नपत्र-II के अधीन विद्यमान उप-शीर्ष 'क. वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिए :-' के स्थान पर उप-शीर्ष 'क. वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पद के लिए:-' प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

7. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2015 के सम्बन्ध में। (प्रथम चरण दिनांक 11 मई 2015 से 16 मई 2015, द्वितीय चरण दिनांक 26 जून 2015 से 30 जून 2015)

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22492/प्रवेशोत्सव/2015–16 दिनांक : 23.04.2015 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) ● विषय : प्रवेशोत्सव–2015 के सम्बन्ध में। ●कक्षा 01 से 08 तक प्रवेश एवं आगामी कक्षाओं में अध्ययन निरन्तरता सुनिश्चित करना।

कार्यक्रम का उद्देश्य–

- कक्षा 1 में नवप्रवेशी बालकों को चिह्नित कर नामांकित करवाना।
- कक्षा 6, 9 एवं 11 में अध्ययन निरन्तर नहीं रख पाने वाले छात्र–छात्राओं पर विशेष ध्यान देना।
- ड्रॉप आउट हुए छात्र–छात्राओं को Back-to-school
- मौसमी पलायन करने वाले बालक–बालिकाओं के लिये सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संचालित गैर आवासीय विशेष शिक्षण शिविरों से उत्तीर्ण बच्चों को मुख्य धारा में प्रवेश दिलवाना।
- बाल श्रम में कार्यरत, ड्रॉप आउट/अनामांकित बालक–बालिकाओं को चिह्नित कर प्रवेश दिलवाना।
- केजीबीवी से उत्तीर्ण बालिकाओं हेतु शारदे छात्रावास अथवा अन्य विद्यालयों में उनके अध्ययन की निरन्तरता हेतु tracking प्लान बनाना।
- अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को उच्चतम कक्षा पूर्ण होने तक उसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन निरन्तरता हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना।

कार्यक्रम की रूपरेखा–

- फीडिंग स्कूलों/निवास स्थानों का एक कार्डशीट पर नजरीनक्शा तैयार करना जिसमें नामांकन लक्ष्य और विद्यालय की स्थिति अंकित हो।
- शहरी विद्यालयों के निकटस्थ फीडिंग स्कूल/कैचमेन्ट एरिया का निर्धारण।
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रवेश अभियान के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
- पोस्टर एवं हैण्ड आउट्स प्रिंट करवाकर दूरदराज की ढाणियों तक पहुँच।
- रैलियां आयोजित करना जिसमें बैनर एवं नारों के माध्यम से प्रचार–प्रसार, मोहल्ला/ग्रामवार टोलियां बनाकर लक्ष्य समूह से घर–घर सम्पर्क करना, पीले, नीले, कार्ड चिन्हित छात्र–छात्रा के अभिभावकों से प्रातः अथवा सायंकाल में सम्पर्क कर बच्चों को आगामी कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु निमन्त्रण पत्र देना।

कार्यक्रम क्रियान्विती–

- पहली कक्षा में प्रवेश लक्ष्य समूह के बच्चों की फीडिंग एरिया/कैचमेन्ट एरिया के ऑगनबाड़ी केन्द्रों से प्राप्त करना।
- सर्व शिक्षा अभियान से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूचियाँ प्राप्त करना।
- प्रवेश लेने वाले लक्ष्य समूह के बच्चों को विह्नित कर सूचियाँ तैयार करवाना।
- कक्षा 6 में प्रवेश हेतु बच्चों की सूचियाँ सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालयों से प्राप्त करना।
- कक्षा 9 में प्रवेश हेतु केजीबीबी तथा मेवात आवासीय व अन्य विद्यालयों से बच्चों की सूचियाँ प्राप्त करना।
- कक्षा 11 में प्रवेश हेतु सूचियाँ सम्बन्धित माध्यमिक विद्यालयों से प्राप्त करना।
- पंचायत एवं ब्लॉक स्तरीय समितियों की बैठकों में फीडिंग/कैचमेन्ट एरिया का निर्धारण करना।
- परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ ही लक्ष्य समूह के निर्धारण हेतु संस्था प्रधानों से क्रमशः कक्षा 5 उत्तीर्ण, कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं कक्षा 10 उत्तीर्ण बालक–बालिकाओं की सूचियां प्राप्त करना।
- सूचियों का validation एवं सूचियों के आधार पर सम्बन्धित विद्यालयों को लक्ष्य आवंटित करना।
- आवश्यकतानुसार कार्ड्स का मुद्रण करवाना और प्रवेशोत्सव से पूर्व विद्यालयों में पहुँच सुनिश्चित करना।
- नव प्रवेशी बालक–बालिकाओं का स्वागत कार्यक्रम आयोजित करना।
- नव प्रवेशी बालक–बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण और अन्य प्रोत्साहन सामग्री वितरित करवाना।
- प्रभावी मॉनिटरिंग द्वारा नामांकन में कम से कम 15 प्रतिशत वृद्धि करना।

विशेष आकर्षण

- राजकीय विद्यालय में प्रवेश उत्सव हेतु आमजन की सहभागिता।
- उच्च योग्यताधारी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य।
- उच्च स्तरीय भौतिक एवं शैक्षणिक सुविधाऐं उपलब्ध
- बालिका शिक्षा को बढाया देने हेतु विभिन्न छात्रवृति योजनाओ, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, निःशुल्क साईकिल वितरण योजना, ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना, लेपटॉप वितरण योजना के क्रियान्वयन से शिक्षा के लिए जुडाव
- आदर्श विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय, शारदे आवासीय विद्यालय एवं समन्वित विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार।
- गार्गी पुरस्कार एवं आवकी बेटी योजना के माध्यम से बालिका शिक्षा की दिशा में विशेष प्रयास।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2015

प्रथम चरण माह मई 2015 (11.05.2015 से 16.05.2015)

क्र. सं.	दिनांक	वार	कार्यक्रम
1.	11 मई 2015	सोमवार	विद्यालयों से लक्ष्य समूह की सूचियां प्राप्त करना एवं कार्ड तैयार करना। स्वयं प्रवेश लेने वाले बच्चों का प्रवेश करवाना, बालक–बालिकाओं एवं अध्यापकों की टोलियों का गठन कर उन अभिभावकों से विशेष रूप से सम्पर्क स्थापित करना जिनके बच्चे विद्यालय में अनामार्किंत है। उन्हें प्रवेश

			दिलाने हेतु प्रेरित करना साथ ही बालिका नामांकन/ बालिका प्रवेश हेतु विशेष ध्यान देना। एसएसए द्वारा किये गये सीटीएस सर्वे अनुसान विद्यालय जाने योग्य बच्चों की खोज करना।
2.	12 मई 2015	मंगलवार	स्थानीय जन प्रतिनिधियों/अभिभावकों एवं बच्चों के साथ रैली का आयोजन करना, जिसमें शिक्षा की महत्ता से सम्बन्धित बैनर, स्टीकर, नारे आदि का उपयोग करते हुए ढोल-नगाड़े एवं मंजीरे के साथ रैली निकालना। विद्यालय परिसर की साज-सज्जा, वृक्षा रोपण कार्य करवाना एवं घर-घर सम्पर्क द्वारा कार्ड वितरण करना।
3.	13 मई 2015	बुधवार	स्थानीय जनप्रतिनिधियों/अभिभावकों की उपस्थिति में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित करना एवं प्रार्थना सभा के आयोजन में ही नवीन प्रवेश लेने वाले बालक-बलिकाओं का माला एवं तिलक लगाकर स्वागत करना। मोहल्ला बैठकों द्वारा विद्यालयों से वंचित हुए बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करना तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि, सरपंच, वार्डपंच/ सदस्य एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को सम्बोधन कराना।
4.	14 मई 2015	गुरुवार	बाल सभा एवं ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अयोजन करना जो बच्चों को प्रवेश दिलाने में प्रेरक बने। विद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित हुए बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करने के साथ बच्चों की चित्रकला एवं सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। बच्चों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, बाल मेलों का आयोजन, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रदर्शन।
5.	15 मई 2015	शुक्रवार	प्रभात फेरी आयोजन तथा नव प्रवेशी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण।
6.	16 मई 2015	शनिवार	अध्यापकों की टोलियों द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश योग्य बालकों को शाला में प्रवेश हेतु आने वाली समस्याओं का पता लगाकर, वंचित रह गये बच्चों को प्रवेश देने के लिए विशेष प्रयास करना। समारोह आयोजित कर नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत, पहचान-पत्र, बैज इत्यादि सामग्री का जनप्रतिनिधियों/संस्थाप्रधानों द्वारा वितरण के साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक/प्रोत्साहन सामग्री का वितरण। पखवाडे के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार एवं पखवाड़े के अन्तर्गत किये गये कार्यों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

द्वितीय चरण माह जून 2015 (26.06.2015 से 30.06.2015)

क्र. सं.	दिनांक	वार	कार्यक्रम
1.	26 जून 2015	शुक्रवार	प्रथम चरण में शेष रहे हार्ड कोर बच्चों की सूचियां तैयार करना, कार्ड तैयार करना, घर-घर सम्पर्क हेतु योजना बनाना। लक्ष्य समूह से घर-घर सम्पर्क कर पुनः प्रवेश हेतु आमन्त्रित करना। स्थानीय जन प्रतिनिधियों/अभिभावकों एवं बच्चों के साथ रैली का अयोजन करना, जिसमें शिक्षा की महत्ता से सम्बन्धित बैनर, स्टीकर, नारे आदि का उपयोग करते हुए ढोल मंजीरे के साथ रैली निकालना। विद्यालय परिसर की साज-सज्जा, वृक्षा रोपण कार्य करवाना एवं घर-घर सम्पर्क द्वारा कार्ड वितरण करना।
2.	27 जून 2015	शनिवार	स्थानीय जनप्रतिनिधियों/अभिभावकों की उपस्थिति में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित करना एवं प्रार्थन सभा के आयोजन में ही नवीन प्रवेश लेने वाले बालक-बालिकाओं का माला एवं तिलक लगाकर स्वागत करना। मोहल्ला बैठकों द्वारा विद्यालयों से वंचित हुए बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करना तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड पंच/सदस्य एवं सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को सम्बोधन कराना।
3.	29 जून 2015	सोमवार	पुनः विद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित हुए बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित करना, पुनः ढोल-नगाड़े इत्यादि के साथ रैली/प्रभात फेरी का अयोजन। अभी भी वंचित रह गये बालक-बालिकाओं के घर-घर सम्पर्क कर प्रवेश हेतु प्रेरित करना।
4.	30 जून 2015	मंगलवार	अध्यापकों की टोलियों द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों से सम्पर्क कर प्रवेश योग्य बालकों को शाला में प्रवेश हेतु आने वाली समस्याओं का पता लगाकर, वंचित रह गये बच्चों को प्रवेश देने के लिए विशेष प्रयास करना। उक्त अवधि के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार एवं किये गये कार्यों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

अभिभावक सम्पर्क/जन सम्पर्क करने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं के जिन अभिभावकों से सम्पर्क किया जाना है उनकी सूची विद्यालय स्तर तक प्रत्येक शिक्षक के पास उपलब्ध हो। इस हेतु विद्यालय के आस-पास के क्षेत्र में शिक्षा से वंचित अनामांकित बच्चों के प्रवेश हेतु V.E.R. (Village Education Register) W.E.R. (Ward Education Register) का भी प्रयोग किया जा सकता है जिसे उस क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के नोडल प्रधानाध्यापक से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2015 प्रपत्र संख्या–1

ग्रामवार/विद्यालयवार सर्वेक्षित बालक/बालिकाओं के विवरण की सूची

ग्राम/विद्यालय का नाम.....ग्राम पंचायत/ नगरपालिका का नाम.....

क्र. सं.	नाम बालक/ बालिका	पिता का नाम	आयु/ जन्म तिथि	वार्ड/ गांव का नाम	आधर सर्वे सीटीएस सम्पर्क	पहचान विवरण नवीन/ ड्रॉप आउट	पूर्व स्कूल का विवरण	ड्रॉप आउट का कारण

हस्ताक्षर अध्यापक

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2015 प्रपत्र संख्या–2

विद्यालयवार जोड़े गये बालक–बालिका से संबंधित सूची

विद्यालय का नाम.....

क्र. सं.	नाम बालक/ बालिका	पिता का नाम	आयु/जन्म तिथि	वार्ड/ग्राम का नाम	निवास स्थान से विद्यालय की दूरी

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2015 प्रपत्र संख्या–3

प्रगति विवरण विद्यालय स्तर

विद्यालय का नाम.....

पंचायत/निकाय.....पंचायत समिति.....

दिनांक	कक्षा 1 में प्रवेश			कक्षा 6 में प्रवेश			कक्षा 9 में प्रवेश			कक्षा 11 में प्रवेश			योग नामांकन		
	उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि			उपलब्धि		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
11 मई 15															
12 मई 15															
13 मई 15															
14 मई 15															
15 मई 15															
16 मई 15															
योग–अ															
26 जून 15															
27 जून 15															
28 जून 15															
29 जून 15															
30 जून 15															
योग–ब															
महायोग अ+ब															

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2015 प्रपत्र संख्या–4

श्रेणीवार प्रवेशित बालक/बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण

अनु.जाति		अजजाति		अपिव		अल्पसंख्यक		विशेष योग्यजन		सामान्य		योग	
बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम–2015 प्रपत्र संख्या–5

श्रेणीवार प्रवेशित बालक/बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण

कक्षा	अनु.जाति		अजजाति		अपिव		अल्पसंख्यक		विशेष योग्यजन		सामान्य		योग	
	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात	नामांकन अभियान से पूर्व	नामांकन अभियान पश्चात
1														
6														
9														
11														
योग														

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

योग विद्या

सूर्य नमस्कार

□ डॉ. देवाराम काकड़

सूर्य नमस्कार को योगासनों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को सम्पूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुँचाने में समर्थ हैं। इसके अभ्यास से शरीर में आरोग्य, शक्ति एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साधक का शरीर नीरोग व स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। यह केवल योग-व्यायाम ही नहीं है बल्कि नर से नारायण बनने की पद्धति है। इसका अभ्यास बाल, युवा, वृद्ध सभी महिला-पुरुष कर सकते हैं।

ऋग्वेद में लिखा है-

'सूर्यो वै आत्मा जगतस्तस्थुश्च'

अर्थात् सूर्य सारे संसार की आत्मा है। सूर्य ही प्रत्यक्ष देवता है जिनसे आरोग्य प्राप्त होता है। इसीलिए हम स्वास्थ्य, सामर्थ्य और दीर्घायु के लिए सूर्य की पूजा करते है।

सूर्य नमस्कार की प्रारम्भिक स्थिति :

विधि : विश्राम की स्थिति से (1) सावधान की स्थिति में आना (2) पैरों के पंजे भी मिलाना (3) नमस्कारासन (नमस्कार की स्थिति में हाथों की भुजाओं को मोड़कर पारंपरिक भारतीय अभिवादन (प्रार्थना) जैसी मुद्रा बनाएँ और दृष्टि को सामने रखकर खड़े हो जावें। श्वास की क्रिया को सामान्य रखें।)

सूर्य नमस्कार मंत्र : (प्रारंभ में उच्चारण करना)

ध्येयः सदा सवितृ-मण्डल-मध्यवर्ती।
नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः।।
केयूरवान् मकर-कुण्डलवान् किरीटी।
हारी हिरणमय वपुर्धृत-शंख-चक्रः।।

अर्थात् जो सूर्य देवता सदा ब्रह्माण्ड के मध्य मे सुशोभित होकर नारायण स्वरूप सब पर कृपा करते हैं, उनका स्वरूप सिर पर मयूर पंख का मुकुट धारण किए हुए और सम्पूर्ण अन्दर और बाहर सोने के समान आभा प्रकट करते हुए तथा हाथों में शंख-चक्र धारण किए हुए हैं।

क्रमशः 1 मंत्र बोलकर 1 पूर्ण सूर्य नमस्कार किया जाता है अर्थात् 10 स्थितियाँ पूरी की जाकर फिर अगला मंत्र उच्चारित करना है। पूरे 13 सूर्य नमस्कार किये जाने अपेक्षित है तभी सर्वांग व सम्पूर्ण व्यायाम होता है।

सूर्य नमस्कार की कुल दस स्थितियाँ :

मंत्र-ॐ मित्राय नमः

• स्थिति 01

आसन-हस्तोत्तानासन

विधि-श्वास लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले जावें और सिर के साथ-साथ मेरुदण्ड को यथासंभव पीछे की ओर खींचे।

• स्थिति 02

आसन-पादहस्तासन

विधि-श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को पैरों के पास जमीन पर रखें और ललाट को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। यथासंभ इस स्थिति में रुकें।

• स्थिति 03

आसन-अश्वसंचालनासन

विधि-श्वास लेते हुए अपने बायें पैर को यथासंभव पीछे की ओर ले जायें। दायें पैर को दोनों हाथों के मध्य यथास्थिति में रखें। कमर को नीचे की ओर दबाते हुए छाती को आगे की ओर निकालें।

नोट- सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र में बायें पैर व द्वितीय चक्र में दायें पैर को पीछे ले जायें। इसी प्रकार क्रमशः बायें व दायें पैर से अभ्यास करें। 3 में जो पैर पीछे आएगा वही पैर 8 में आगे आएगा।

• स्थिति 04

आसन-दण्डासन

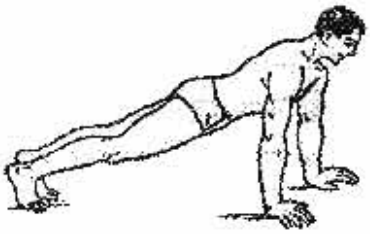

विधि-श्वास छोड़ते हुए दायें पैर को पीछे ले जाकर बायें पैर से मिला दें। घुटनों को तानकर सिर से पैरों तक शरीर को एक सरल रेखा के समान सीधा रखें। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए दो कदम आगे देखें।

• स्थिति 05

आसन-अष्टांग-नमस्कारासन

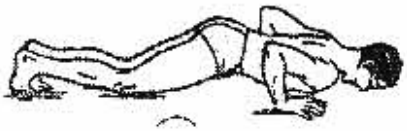

विधि-श्वास को छोड़े रखें यानि 'बलि कुम्भक' करें। फिर शरीर को जमीन के समानान्तर लाकर घुटने, पैर के अँगूठे, छाती, ललाट तथा हथेलियों को जमीन से स्पर्श कर दें।

• स्थिति 06

आसन-भुजंगासन

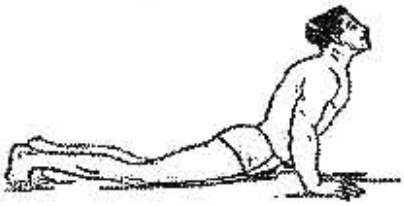

विधि–श्वास लेते हुए शरीर को आगे की ओर बढ़ाकर छाती को ऊपर उठायें ताकि आपके शरीर का वजन आपकी हथेलियों पर रहे और शरीर के अग्रभाग को ऊपर की ओर ले जाते हुए कमर व नाभि को हाथों के बीच में लाने का प्रयास करें।

• स्थिति 07

आसन–पर्वतासन

विधि–श्वास छोड़ते हुए नितम्ब का हिस्सा ऊपर उठाकर गर्दन को दोनों हाथों के मध्य लेकर आयें। एड़ियों व हथेलियों को जमीन पर रखें। हाथ सीधे व पीठ दबी हुई हो और सिर नीचे लटका हुआ होना चाहिए।

• स्थिति 08

आसन–अश्वसंचालनासन

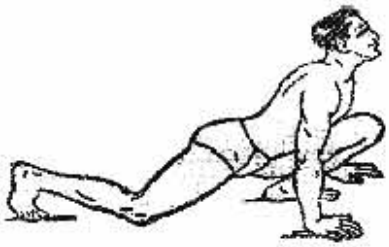

विधि–श्वास लेते हुए बायें पैर को दोनों हाथों के मध्य लाकर रखें।

नोट–यह मुद्रा की स्थिति क्रं. 03 के समान है। केवल पैर की स्थिति का अंतर है।

• स्थिति 09

आसन–पादहस्तासन

विधि–श्वास छोड़ते हुए दायें पैर को बायें पैर के पास दोनों हाथों के मध्य लाकर रखें।

नोट–यह मुद्रा स्थिति क्रं. 02 के समान है।

• स्थिति 10

आसन–नमस्कारासन

विधि–श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाकर नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जायें। पैरों को अपने यथास्थान पर ही रखें।

नोट–यह मुद्रा सूर्य नमस्कार की प्रारम्भिक स्थिति के समान है।

इन दसों स्थितियों के 12 चक्र और दोहराने हैं तब पूरे 13 सूर्य नमस्कार होते हैं। प्रत्येक चक्र से पहले क्रमशः (एक मंत्र) ॐ खगाय नमः, ॐ सूर्याय नमः, ॐ भावने नमः, ॐ खगाय नमः, ॐ पूष्णे नमः, ॐ हिरण्यगर्भाय नमः, ॐ मरीचये नमः, ॐ आदित्याय नमः, ॐ सवित्रे नमः, ॐ अर्काय नमः, ॐ भास्कराय नमः, ॐ श्री सवितृसूर्यनारायणाय नमः का उच्चारण करके 10 स्थितियाँ करनी है।

अंतिम मंत्र :

आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने।
आयुः प्रज्ञाबलंवीर्यम् तेजस्तेषां च जायते।।

अर्थात् सूर्य भगवान को जो नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य तथा तेज बढ़ता है।

अंत में नमस्कारासन से विश्राम की स्थिति में आने हेतु क्रमशः (i) हाथ खोलकर सीधे नीचे करना (ii) पैर के पंजे खोलना (iii) पैर खोलकर हाथ पीछे कर विश्राम की स्थिति में आना।

सूर्य नमस्कार के लाभ :

- नियमित अभ्यास से विटामिन–डी मिलता हैं जिससे हड्डियां मजबूत होती है।
- आँखों की रोशनी एवं मन की एकाग्रता बढ़ती है।
- शरीर में खून का प्रवाह तेज होता हैं जिससे ब्लड प्रेशर की बीमारी में आराम मिलता है।
- सूर्य नमस्कार का प्रभाव दिमाग पर पड़ता है और दिमाग ठंडा रहता है।
- उदर के पास की वसा को घटाकर शरीर का वजन कम करता है।
- बालों की समस्याओं में मददगार हैं जैसे–सफेद होने, झड़ने व रूसी से बचाता है।
- त्वचा रोग होने की संभावना समाप्त हो जाती है। कमर लचीली व रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है।
- हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती हैं और पाचन क्रिया में सुधार होता है।
- यह शरीर के सभी अंग, मांसपेशियों व नसों को क्रियाशील करता है।
- शरीर के सभी संस्थान, रक्त संचरण, श्वास, पाचन, उत्सर्जन, नाड़ी तथा ग्रंथियों को क्रियाशील एवं सशक्त करता हैं।
- पाचन सम्बन्धी अपच, कब्ज, गैस तथा भूख न लगने जैसी समस्याओं के समाधान में बहुत ही उपयोगी भूमिका निभाता है।
- वात, पित तथा कफ को संतुलित करने में मदद करता है।
- नियमित अभ्यास करने वाले व्यक्ति को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, कब्ज जैसी समस्याओं के होने की आशंका बेहद कम हो जाती है।

सावधानी

- सूर्य नमस्कार गतिशील आसन माना जाता है। इसका अभ्यास आसनों के अभ्यास से पूर्व करना चाहिए। इससे शरीर सक्रिय हो जाता हैं, नींद, आलस्य व थकावट दूर हो जाती है।
- क्षमता से अधिक चक्रों का अभ्यास या शरीर पर अनावश्यक दबाव डालने का प्रयास न करें। रोग से ग्रस्त व्यक्ति योग्य मार्गदर्शन में ही अभ्यास करें।
- श्वास–प्रश्वास एवं शरीर के दबाव बिन्दु पर एकाग्रता बनाए रखें।
- पादहस्तासन का अभ्यास सायटिका, स्लिपडिस्क तथा स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी कदापि न करें।
- महिलाएं मासिक धर्म एवं गर्भाधारण के दिनों में इसका अभ्यास न करें।
- उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगी को इसका अभ्यास योग्य मार्गदर्शन में ही करना चाहिए।
- नौ वर्ष से कम आयु के बच्चे सूर्य नमस्कार का अभ्यास न करें।
- सूर्य नमस्कार अभ्यास हेतु प्रातःकाल का समय अति उत्तम हैं।

–मुख्य प्रबंधक, देवेन्द्र योग संस्थान
नोखा रोड, भीनासर, बीकानेर
मो. 9928575639

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस

योग गीत

योग मार्ग पर आकर सबको स्वस्थ करेंगे हम।
योग मार्ग बतलाकर सबको सुखी करेंगे हम।।
स्वस्थ करेंगे हम भ्राताओ, सुखी बनेंगे हम।।हम.।।

बजता था भारत को जिस पर योगी हुए महान,
राम, कृष्ण, हनुमान, भीष्म और महावीर भगवान,
बुद्ध, विवेक, दयानन्द, नानक बना हुआ है क्रम।।
योग मार्ग पर.....

केन्द्र-बिन्दु बन षट्दर्शन का योग बना पर आया,
मुनि पतंजलि ने सूत्रों में, सुन्दर पाठ पढ़ाया,
जग हितार्थ सब मत पन्थों का करें समन्वय हम।।
योग मार्ग पर.....

यम नियमों के पालन से ही बने समाज महान,
आसन-प्राणायाम व्यक्ति को करते हैं बलवान,
आत्मयोग का साधन प्रत्याहार सनातन क्रम।।
योग मार्ग पर.....

ध्यान, धारणा और समाधि आठ अंग ये सारे,
सत के दोष मिटाकर मन के विकारों को मारें,
जरा व्याधि और जनम मरण के मिट जावें सब भ्रम।।
योग मार्ग पर.....

संकलन : सुमित्रा राठौड़
उनसिंह सर्किल, बाड़मेर
मो. 8559885631

शिविरा पंचांग

मई, 2015					
रवि	31	3	10	17	24
सोम		4	11	18	25
मंगल		5	12	19	26
बुध		6	13	20	27
गुरु		7	14	21	28
शुक्र	1	8	15	22	29
शनि	2	9	16	23	30

जून, 2015					
रवि		7	14	21	28
सोम	1	8	15	22	29
मंगल	2	9	16	23	30
बुध	3	10	17	24	
गुरु	4	11	18	25	
शुक्र	5	12	19	26	
शनि	6	13	20	27	

मई,2015

कार्य दिवस 14, रविवार–5, अवकाश 12, उत्सव–2

07 मई–रवीन्द्र नाथ टैगोर जयन्ती (उत्सव), 09 मई–सभी कक्षाओं के परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा परीक्षा परिणामों की प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को समीक्षा हेतु प्रेषित करना। संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर सत्रपर्यन्त हुए कार्यों की समीक्षा करना एवं आगामी सत्र की विद्यालय योजना हेतु विचार-विमर्श कर निर्णय लेना तथा योजना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। मामाशाह योजना का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना। सत्र 2014-15 के दौरान विभिन्न छात्रवृत्तियों में मिले भत्ता, इनके विरुद्ध व्यय, भत्ता एवं लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना एवं आगामी छात्रवृत्ति के लिए अनुमानित राशि की मांग, प्रतीक प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिभा विकास के आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित करना। 11 मई–नवीन सत्र 2015-16 की प्रवेश प्रक्रिया एवं शिक्षण कार्य आरंभ, सभी कक्षाओं में परीक्षार्थियों को आगामी कक्षा में प्रवेश देय, परन्तु कक्षा 10 में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण तथा कक्षा 12 में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषणा के सात दिवस में अथवा 15 जुलाई, 2015 जो भी बाद में हो, के अनुसार प्रवेश देय। 11-16 मई–केवीबीबी तथा मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के प्रवेश हेतु अभियान चलाना, आवश्यकतानुसार मोटिवेशन कैम्पों का आयोजन। 13-15 मई–पूरक परीक्षा कक्षा 01 से 09 व 11, 16 मई–पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रगति-पत्र वितरण। 17 मई से 30 जून–ग्रीष्मावकाश। 20 मई–महाराणा प्रताप जयन्ती (अवकाश-उत्सव) नोट– 1. संस्था प्रधान ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय से बाहर हो, तो वह विद्यार्थियों को टी.सी. जारी करने हेतु मुख्यालय पर रहने वाले वरिष्ठतम शिक्षक को टी.सी. पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करावें तथा इसका अनुमोदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से कराकर संबंधित को पाबन्द करें, ताकि विद्यार्थियों को टी.सी. प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। 2. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन। 3. परीक्षा परिणामों की घोषणा के पश्चात विद्यालय परिसर में शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं का चिह्नीकरण करना एवं चिह्नित बालक-बालिकाओं का प्रपत्र भरकर उन्हें ऑनलाइन एन्ट्री करवाना। 4. प्रशिक्षकों (केआरपी, आरपी) के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। 5. कल्प विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा कल्प मासिक मॉनिटरिंग प्रपत्र प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में प्रेषित करना तथा कम्प्यूटर व अन्य उपकरणों के खराब होने की सूचना एस.एस.एम. द्वारा वेब पोर्टल पर देकना। 6. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा-द्वितीय स्तर (कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)

जून, 2015 : कार्य दिवस 0, रविवार 04, अवकाश 26, उत्सव 01

01-30 जून : ग्रीष्मावकाश, 3-5 जून : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तर की पूर्व तैयारी। 6-8 जून : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का राज्य स्तर पर आयोजन। 28 जून। मामाशाह जयन्ती (राज्य स्तरीय मामाशाह सम्मान समारोह)

नोट:- सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन।

यह सर्व सत्य है कि बच्चे देश की धरोहर ही नहीं बल्कि देश के भविष्य है। वे विश्वास और सच्चाई के प्रतीक हैं। वे सुनहरे कल की कहानी लिखने वाले नौजवान बनेंगे। इसी कल्याणमयी भावना की दृष्टि से उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां कुछ अलग हैं। वास्तव में कुछ होना चाहिए वैसी स्थिति सब जगह नजर नहीं आती है। आज देश में बड़ी संख्या में बच्चे मूलभूत अधिकारों से वंचित है। उनका विकास बाधित हो रहा है अर्थात उनके अधिकारों का हनन होना एक बड़ी समस्या आज भी मुँह बायें खड़ी है। बालकों के अधिकारों के सन्दर्भ में ज्ञातव्य है कि संयुक्त राज्य का 1959 के घोषणापत्र के अनुसार बालकों को रंगभेद, धर्म-जाति, लिंगभेद, राष्ट्रीयता वर्ग भेद से परे समान रूप से अधिकार पाने के अवसर प्रदान किये गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 21,23 एवं 24 द्वारा बालकों को उनके अधिकार और उनके सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इन अनुच्छेदों में उन्हें बालश्रम की भट्टी से दूर रखने का प्रावधान भी है। इसके अलावा डारेक्टिव प्रिन्सीपल्स की धारा 39(ई) धारा 39 (एफ) और धारा 45 क्रमशः बालकों को श्रमिक बनाने से रोकती है। बालकों के विकास का रास्ता खोलती है तथा उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने के अवसर उपलब्ध कराती है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार स्पष्ट है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने अथवा खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जायेगा या अन्य किसी परिसंकट मय नियोजन में नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य कम आयु के बालकों का स्वास्थ्य या संरक्षण है। वैसे भी ऐसा कर्म अनैतिकता का लक्षण है। इतना होने पर भी भारत में बेरोजगारी, गरीबी, अधिक जनसंख्या, अशिक्षा, अज्ञान के कारण करोड़ों बच्चों से उनके अधिकार छिन रहे हैं। उनसे उनका बचपन छिन रहा है, उन से जीने की उमंग भरी इच्छा छीनी जा रही है। इन सब के मूल में बालश्रम ही है। जिसका समयानुसार उन्मूलन होना अनिवार्य है। जो आज के वक्त की माँग है। बालश्रम एक अभिशाप है, यह एक नासूर है, जिसने देश के नौनिहालों को बड़ी संख्या में ग्रसित कर रखा है। सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में सब से अधिक

बाल श्रम

बाल श्रमिकों की कहानी : कवियों की जुबानी

❒ संग्राम सिंह सोढ़ा

बाल श्रमिक भारत में है। यह सत्य है कि जिस उम्र में बालक को स्नेह, प्रेम, शिक्षा और सुसंस्कार मिलते हों उस उम्र में वह कारखानों, खदानों, होटलों और उद्योगों में काम करेगा तो उसकी कच्ची उम्र पर विपरीत असर पड़ेगा। अमूमन उसका विकास अवरूद्ध हो जाएगा। अगर वह बचपन के सहज-सुलभ पुरस्कारों से वंचित हो गया तो वृद्धावस्था में किन यादों के सहारे जिएगा? उसके भविष्य का क्या हाल होगा?

स्वतंत्र भारत में संविधान ने बड़ों को, छोटों को, महिलाओं को और बच्चों को अधिकार प्रदान किए हैं। जो जागरुक हैं, समझदार हैं, उन्हें यदि उनके अधिकार नहीं मिल पाते है तो वे संघर्ष के माध्यम से अपना हक अर्जित कर ही लेते हैं। बच्चों को अपने अधिकार नहीं मिलते हैं तो उनकी आवाज को उठाने का जिम्मा बाल साहित्यकारों के अलावा शिक्षकों, समाज चिंतकों एवं मीडिया का भी बनता है।

हमारे देश के हिन्दी बाल कवियों ने बालक के हृदय में करुणा और संवेदना को जाग्रत करने की मुहिम को वाणी देकर बाल श्रमिको की व्यथा को उजागर करने का प्रयास किया है। यहाँ कुछ बाल कवियों की जुबानी के उदाहरण सहित पंक्तियों का अध्ययन करना समीचीन होगा। बाल कवियों में नरेशचन्द्र सैनिक के अलावा भालचन्द्र सेठिया, मानवती आर्या, वीरेन्द्र आस्तिक, इंदिरा नुपर, डॉ. जगदीश व्योम, डॉ. बानो सरताज, रुपनारायण काबरा, शिव मृदुल और डॉ. दाऊदयाल गुप्ता आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

इन कवियों के स्वर सर्वथा नवीन हैं और सहज संवेदनाओं और अनुभूतियों की अविरल धारा में प्रवाहित हुए हैं। इनके काव्य की भावधारा अत्यंत ही मार्मिक है। ये जागरण के स्वर है। इन कवियों की कविताओं का अंकुरण बालमन की पीड़ा पर केन्द्रित करुणा-क्रंदन, रोदन, अतृप्ति, आकुलता आदि मनोभावों की भूमि से जुड़े है। उन्होंने कोमल मन की मार्मिकता एवं मानव संबंधों को यथार्थ परक कुशलता से चित्रित करने का प्रयास किया है। जो पठनीय है।

अब चलते है, बाल श्रमिकों की कहानी सुनने को, कवियों के दरबार में, कवियों के पास धन उनकी कविता होती है। वैसे भी कविता मानवीय संवेदना की प्रक्रिया है जो कवि की चेतना का परिचय देती है। श्री भालचंद सेठिया कवि ने विशेष रूप से खतरे के कामों जैसे शिवकाशी के आतिशबाजी तथा माचिस उद्योग के अलावा भदोही मिर्जापुर कालीन उद्योग के साथ फीरोजाबाद के चूड़ी कारखाने और ईंट-भट्ठों में लगे बाल श्रमिकों पर ध्यान देने की चिंता दर्शाते हुए यों परिचय दिया है:-

गली-गली में कूड़ा बीनें, बोरा भी जो बनते हैं।
बदमाशों के गैंग ले गए, तो चोरी भी करते हैं।
कट्टे बम के झूम-झूमकर हत्यायें ये करते हैं।
हो अनाथ जो गली-गली में, भीख माँगते फिरते हैं।
या खतरे के कामों में विवश हो, नौकरी भी करते हैं।
इन पर ध्यान देगा कौन?

कवयित्री मानवती आर्या देश की समृद्धि भी व्यर्थ डींग हाँकने वाले भारत के कर्णधारों को इनकी ओर ध्यान खींचने के लिए हमें उन बाल-श्रमिकों से परिचित करा रही हैं। असलियत में जिनको दिन निकलते ही बस्ता लेकर स्कूल जाना चाहिए। लेकिन वे कंधे पर थैला लटका कर कूड़ा बीनने निकल पड़ते है यथा-

कूड़े के ढेरों पर, बच्चे ही बच्चे
देश के भविष्य के चित्र है ये सच्चे
मलिन गात, नंगे-पाँव पेट-पीठ चिपके
बचपन में ये बूढ़े बने, बच्चे किसके?
शिक्षा की बात दूर, जीवन है दूभर
रोटी की खोज में भटक रहे दर-दर।
देश की समृद्धि की, व्यर्थ डींग हाँकते
भारत के कर्णधार, क्यों न इधर झाँकते?

अक्षरतः अधिकांश छोटे बच्चों को होटलों में काम पर रखा जाता है। जो बेचारे दौड़-दौड़ कर बिना आवाज उठाए देर रात काम में लगे रहते हैं। मानवती आर्या पिता की मृत्यु के बाद बाल श्रमिक बन कर घर का बोझ उठाने वाले 'छोटू' का वर्णन करती कहती हैं-

छोटू ने तब पढ़ना छोड़ा,

सुख सपनों से मुँह मोड़ा।
बना बालपन में मजदूर,
बर्तन मलने को मजबूर
बेचारा होटल में जाकर,
लगा कमाने बनकर चाकर।
सोलह घण्टे मेहनत करता,
मालिक के थप्पड़ से डरता।
खाना पाता जो बच पाता,
काफी रात गए घर आता।

अपनी संवेदना द्वारा मानवती आर्या ने अपने काव्य में बाल श्रम की पीड़ा को बखूबी से उद्धृत किया है जो हमें विचारने को मजबूर करता है। वह एक ऐसे देहाती चरवाहा 'मंगरु' से मिलाती है जो ढोर चराने जाता है। उसकी विवशता को यों कलमबद्ध करती है-

मंगरु है चरवाहा, ढोर चराने जाता है।
सांझ ढले वह चरागाह से,
लौट गाँव में आता है,
दिन भर ढोर चराता है वह,
स्कूल नहीं जा पाता है वह।

कवि वीरेन्द्र आस्तिक बालश्रम से जुड़ी कविता 'ये बच्चे' में कई-कई मंजिला इमारतें बनाने वालों के जमीन पर रेंगते बच्चों का रेखाचित्र यों इंगित करते हुए कह उठते हैं:-

किस मिट्टी के, ये बच्चे
एक हँसी पर, सौ-सौ अभाव मरते हैं
बालू पर लोट रहे, गिट्टी से खेल रहे
कंक्रीट के पौधे, हर मौसम झेल रहे
मां-बापू मंजिलें गढ़ें,
बच्चे भू पर रेत-घरौंदे रचते हैं।

निःसंदेह बच्चों के द्वारा भावी देशोन्नति की बातें गढ़ी जा सकेंगी। कवयित्री इंदिरा नुपर गलियों में घूम-फिर कर आजीविका कमाने वाले बच्चों के भविष्य की चिंता दर्शाती हुई साक्षरता पर बल देने को कह उठती है-

गलियों में बच्चों को देखो,
सर्दी-गर्मी-कष्ट झेल कर।
जीवन की जर्जर गाड़ी को,
चला रहे हैं स्वयं ठेलकर।
कैसे पढ़े बनें ये साक्षर
कैसे हो विकास इनका?
इन बच्चों को कौन संभाले?
इनके माता-पिता असमर्थ।
भावी देशोन्नति की बातें
इन्हें संभाले बिना व्यर्थ।
संयोग से ये बेचारे जब अपने जैसे दूसरे बच्चों को बस्ता हाथ में लिए स्कूल जाते हुए देखते है, अन्य बच्चों को खाली समय में अपने माता-पिता के साथ हंसते-खेलते देखते हैं तो उनका मन रोने लगता है। मन तड़प उठता है, वह अपने मन की इच्छा प्रकट किए बिना रह पाता है। इसी मनोदशा के सन्दर्भ में इन्दिरा नुपर की यह कविता बालक के अधिकार माँगने को भली भांति चित्रित करती है। उसकी इच्छा मुक्ति को दर्शाती है:

मेरा भी तो मन है उड़ूं, पंख तोलूं,
मुझे भी तो जीवन को जीने का हक है।
कि आकाश छूने की मेरी तमन्ना है
मुझे भी सुगंधों को पीने का हक है।
मेरे पंख न काटो, न मुझ को मिटाओ
कि बनकर चिरैया, चटकने दो मुझको।

कवि नरेशचंद्र सैनिक की जुबानी में बाल श्रमिक अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए रूंआसे नजर आते है। उनकी करुणामयी पुकार उनके हृदय से उठ कर सहृदयों के मन पर जाकर चोट करती हुई नजर आती है। दीन-दशा दुर्बलता की दूसरी दशा है। वह विवशता पर वार करती है। कवि के शब्दों में-

भाई-चार, बहनें तीन हैं,
मुश्किल से हो रहा गुजारा।
बाल श्रमिक हैं हम भारत के,
काला है दुर्भाग्य हमारा।

इसी सन्दर्भ में अनुरूप कवि डॉ. जगदीश व्योम ने बाल मन की भावनाओं के साथ बाल श्रमिक के सपने देखने और सपने टूटने का मर्मस्पर्शी वर्णन अपनी कविता 'मेरा भी तो मन करता है' में प्रयास करते नजर आते हैं जो दृष्टव्य है यथा:-

मेरा भी तो मन करता है, मैं भी पढ़ने जाऊं।
अच्छे कपड़े पहन, पीठ पर बस्ता भी लटकाऊं।
क्यों अम्मा ओरों के घर, झाड़ू-पोंछा करती है?
बर्तन मलती, कपड़े धोती, पानी भी भरती है,
अम्मा कहती रोज बीनकर कूड़ा -कचरा लाओ
लेकिन मेरा मन कहता है, अम्मा मुझे पढ़ाओं
कल्लन कल बोला बच्चू! मत देखो ऐसे सपने
दूर बहुत चाँद, हाथ है छोटे अपने।।

साहित्य मनीषी डॉ. बानो सरताज ने इसी शृंखला के अन्तर्गत अपनी कविता 'कोई मुझ को अपना ले ना' में भी एक ऐसे ही एक बालक के सपने का उल्लेख करते हुए स्वरांजलि दी है। जिसे यहां प्रस्तुत करना उचित है-

मैं हूँ बच्चा इक छोटा सा,
मेरा सपना भी छोटा सा
मैं चाहता हूँ पढ़ना-लिखना,
मैं चाहता हूँ शाला जाना
मेरी मां है ना हैं बाबा
कोई मुझको अपना ले ना।

मानव जीवन एक सतत् प्रयत्नशील जीवन है। वह प्रगतिशील जीवन है। वह कुछ कर गुजरने की अभिलाषा रखता है। बाल श्रमिक भी आगे बढ़ने के लिए बैचेन है। अवसर की प्रतीक्षा ताक रहे हैं, अवसर उपलब्ध कराने की गुहार लगा रहे हैं, ताकि वे अपना जीवन सफल बनाने में कामयाब हो जाएं। इसी भावधारा की भूमि में कवि 'शिव मृदूल' भी अपनी कविता द्वारा नई चेतना की आवाज को बुलंद करने से नहीं चूके है:-

हमें खेलने जाने दो तुम,
सेहत सुघड़ बनाने दो तुम।
कॉपी-स्लेट किताबें लाओ,
विद्यालय में नाम लिखाओ।
हम को भी कुछ पढ़ने दो तुम,
जग में आगे बढ़ने दो तुम।
नई चेतना लाने दो तुम,
जीवन सफल बनाने दो तुम।

इन उपेक्षित बाल-श्रमिकों की अपने अधिकारों के प्रति जायज मांग कवि की वाणी में फरियाद के तौर पर गूंज उठती है:-

हम को दो अधिकार हमारा,
भोजन, वस्त्र और घर प्यारा।
पढ़े, बढ़ें, अच्छे गुण सीखें,
फिरें न बनकर हम आवारा।।

इन बाल श्रमिकों को वह सच्चा जागरुक नागरिक वह सहृदयी इंसान जो किसी स्वार्थ, किसी लोभ के अधीन होकर नहीं बल्कि अपना निज कर्तव्य समझ कर उनके अधिकार देने के लिए उठ खड़ा हो, वही दिला सकता है। सुप्रसिद्ध कवि डॉ. जगदीश शर्मा की चर्चित कविता 'बच्चे के अधिकार उन्हें दो' इन सब का प्रतिनिधित्व करने को पर्याप्त लगती है। उन्होंने सम्पूर्ण पक्षों को उजागर करते हुए अपनी बड़ी सारगर्भित वाणी दी है यथा-

बचपन जिसका रौंदा जाता,
वे बच्चे दुखियारे हैं।
लदे हुए रहते बोझे से,
फिरते मारे-मारे हैं।।
होटल, ढाबे, घर, दुकान,
सबमें बच्चे खप रहे सदा,
चिंदी-चिंदी कचरा चुनकर,

जीवन भर तप रहे सदा।
खतरनाक उद्योग चलाते,
जोखिम भरे काम करते,
भीख माँगते, जेब काटते, अपराधों में पग धरते।
छूट चुके घर मजबूरी से, उनके यहां सहारे हैं?
तड़प रहे, पिस रहे, घुट रहे किंतु नहीं वे हारे हैं।

कवि शर्मा इतना ही नहीं, संविधान के रखवालों से अपेक्षित आह्वान के साथ इस अनर्थ से निजात पाने हेतु कानून को कठोरता से लागू करने की मांग को दोहराते हुए बोल उठते हैं-

संविधान के ओ रखवालो! क्यों अनर्थ हो रहा है यहाँ?
कहो! बालश्रम उन्मूलन कानून, धरा रह गया कहाँ?
अब कठोरता से ही लागू वह कानून किया जाए,
जो शोषण करते है उनको दंड कठोर दिया जाए।
मिटे बंधुआ प्रथा, विवशता, बच्चे सभी दुलारे हैं,

वैद्य श्री रामदत्त शास्त्री (सीकर) की कविता 'स्वतंत्र भारत में लुहार बाला' रचना पठनीय है। जिसमें स्वतंत्र भारत में एक लुहार बाला कड़ी मेहनत से अपना जीवन गुजार रही है। उनकी उपेक्षा में-

इस लुहार बाला को देखो,
यह स्वतंत्र मतवाली है।
पहन घाघरा, ओढ़नी,
प्रतिदिन घन घमकाती है।

कविवर अर्पित शिकारी मासूम बच्चे की पीड़ा के सन्दर्भ में कहते हैं कि 'एक रोटी कोई नहीं दे सका, उस मासूम को।' और रतनलाल उपाध्याय 'रत्नेश' 'बचपन बचाओ' आन्दोलन को समर्थन देते हुए कहते हैं कि-

'अनमोल है ये बचपन, प्यारे इसे बचाओ।
इनका शिक्षा ग्रहण का, वक्त है यही बताओ।'

किसी एक कवि ने आर्थिक विषमता, अभाव-उत्पीड़न एवं रुढ़ियों से ग्रस्त जीवन का विरोध करते हुए धनबल अर्थात पूंजीवाद से श्रम का शोषण न होने की हिदायत के भाव यों प्रकट किए हैं जो अनुकरणीय हैं-

धन बल से हो जहां न जन-श्रम शोषण,
पूरित भव जीवन के निखिल प्रयोजन।

कवि शिवमंगल सिंह 'सुमन' ने अपनी एक प्रसिद्ध कविता 'विद्रोह करो, विद्रोह करो' में राष्ट्रीय भावना जगाने हेतु उचित ही कहा है:-

जिसने निज स्वार्थ सदा साधा,
जिसने सीमाओं में बांधा,
आओं उससे उसकी निर्मित
जगती के अणु-अणु कण-कण से,
विद्रोह करो, विद्रोह करो।'
मनमानी सहना हमें नहीं,
पशु बनकर रहना हमें नहीं,
विधि के माथे पर पर भाग्य पटक,
बस नियति नहीं की उलझन से,
विद्रोह करो, विद्रोह करो।'

बाल-क्रांति के कविवर शिव-मृदुल के इस आह्वान के साथ बालश्रमिकों की कहानी को विराम दिया जाता है-

माता-पिता अभिभावक गुन लो।
अपनी एक शिकायत सुन लो।
रोको, बहुत जरूरी, रोको।
बाल श्रमिक मजदूरी रोको।।
रोको, रोको, रोको।

अन्त में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की भावना से ओतप्रोत कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां प्रासंगिक हैं:-

'निर्धन हो धनवान, परिश्रम उनका धन हो,
निर्बल हो बलवान, सत्यमय उनका मन हो।
हों स्वाधीन गुलाम, हृदय में अपनापन हो,
इसी आन पर कर्मवीर तेरा जीवन हो।

-सोढ़ाण लोक साहित्य सदन
चक सचियापुरा, पो. बज्जू (बीकानेर)
मो. 9983181510

शिक्षा

प्राइमरी शिक्षा का स्तर उन्नत करना होगा

❒ रूपनारायण काबरा

एजूकेशन फॉर ऑल (ईएफए) के तहत यूनेस्को की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में चार साल तक स्कूल जाने के बावजूद 90 फीसदी बच्चे जो गरीब हैं कुछ नहीं सीख पाते। 30 फीसदी बच्चे पाँच-छह साल की स्कूली पढ़ाई के बावजूद सामान्य जोड़-बाकी भी नहीं जानते।

जहां तक ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का प्रश्न है, रिपोर्ट बताती हैं कि अभी यह काम पूरा होने में 66 वर्ष और लग सकते हैं। देश का मध्यम वर्ग अपने बच्चों को जिन सैंट्रल बोर्ड स्कूलों में पढ़ाकर संतुष्ट है, वे पूरी तरह निजी हाथों में हैं, लिहाजा देश के 85 फीसदी बच्चों के लिये उनकी कोई उपयोगिता नहीं है।

सरकारी नियंत्रण में चलने वाली प्राइमरी शिक्षा की गुणवत्ता देश के लिये गहरी चिन्ता का विषय होनी चाहिये, लेकिन केन्द्र और राज्यों में सरकारों की खींचतान के बीच इसे अब एजेंडा से बाहर ही मान लिया गया है। केन्द्र द्वारा 'राइट टू एजूकेशन' का एलान करने के बाद तो बुनियादी शिक्षा पूरी तरह यतीम हो चुकी है। केन्द्र सरकार को सिर्फ स्कूलों में भर्ती के आंकड़ों से मतलब है और राज्य सरकारें सोचती हैं कि इस मामले में ज्यादा मशक्कत करने से उनका वोट बैंक तो बढ़ने वाला नहीं हैं, उल्टे शिक्षक यूनियनों के नाराज होने का खतरा अलग है।

बचपन से ही रोजी-रोटी में मां-बाप का हाथ बँटाने को मजबूर गरीब बच्चों को स्कूल तक खींच कर लाने के लिये बनाई गई मिड-डे-मील योजना अपने आप में एक राष्ट्रव्यापी स्कैंडल बनकर रह गई है। कभी इसमें खाना खाकर बच्चों के बीमार होने की खबर आती है तो कभी शिक्षक पढ़ाई-लिखाई का स्तर गिरने का ठीकरा खाना पकाने और परोसने की अतिरिक्त जिम्मेदारी पर थोपते नजर आते हैं। यूनेस्को की यह रिपोर्ट ऐसी ही बीमारियों का सम्मिलित नतीजा है। असल सवाल यह है कि हम इससे मिलने वाली चेतावनी की तरफ ध्यान दें या इसे महज एक बाहरी रिपोर्ट मानकर ठंडे बस्ते में डाल देंगे। भारत में बुनियादी शिक्षा का एक पहलू यह भी है कि इसके तहत प्रति बच्चा खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है।

भारत में राज्यों के बीच भी इस खर्च को लेकर जबरदस्त असमानता देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर बिहार में इस काम पर आने वाला खर्च केरल के छठे हिस्से के बराबर है। साफ है कि राज्य इस मामले में अपने हिस्से आने वाला खर्च करने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। इसके चलते केन्द्र को भी अपने हिस्से की राशि खर्च न करने का बहाना मिल जाता है।

यूनेस्को की रिपोर्ट सुझाती है कि वर्ष 2015 ई. और इसके बाद की योजनाओं में कुल सरकारी खर्च का 20 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने की कोशिश होनी चाहिए। प्राइमरी शिक्षा की गुणवत्ता को एजेंडे पर लाने के साथ ही भारत को खर्च बढ़ाने के इस सुझाव पर भी गंभीरता से गौर करना होगा क्योंकि प्राइमरी शिक्षा का स्तर ऊँचा किए बगैर विकास के रास्ते पर हम ज्यादा दूर नहीं जा पायेंगे।

-ए-438, किशोर कुटीर, वैशाली नगर, जयपुर-302021
मो. 8233360830

बाल श्रम संविधान

बाल सहभागिता कानून

❒ डॉ. मुकेश चौबीसा

बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। वे कल के नागरिक है। अतः उन्हें सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित करना एवं सामाजिक मूल्यों से अवगत कराना अत्यन्त जरूरी है। कोठारी आयोग ने भी विद्यालय स्तर पर सहभागिता व समुन्नयन की सोच पैदा करने की अवधारणा पर बल दिया। बाल सहभागिता से मिल-जुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है वहीं कार्यों के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है। हमारे देश में कई प्रकार की ज्वलन्त समस्याएं है जिनमें से एक बाल श्रम है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक के कारखाने, खान या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नियोजन का प्रतिषेध करता है। बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1953 और राज बाल संरक्षण अधिनियम 2012 एक निश्चित आयु से कम के बालको के नियोजन का प्रतिषेध करते है हमारे देश में बाल श्रम नहीं होने देने, बालकों को शारीरिक व मानसिक शोषण रोकने तथा उनके अधिकारों एवं विकास के अवसरों के संरक्षण के लिये राजस्थान बाल सहभागिता दिशा-निर्देश 2014 को राज्यसरकार ने 14 नवम्बर 2014 को प्रभावी किया है।

बालकों में बाल अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, बाल सहभागिता को बढ़ावा देना, उन्हें सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित कर चेन्जमेकर (प्रेरक) के रूप में तैयार करना ही राजस्थान बाल सहभागिता कानून का उद्देश्य है।

राजस्थान बाल सहभागिता दिशा-निर्देश 2014 की आवश्यकता एवं उद्देश्य-

1. संयुक्त राष्ट्र संघ 0 से 18 वर्ष के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार अधिनियम, 1989 लागू किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्तर के बच्चों के संरक्षण एवं उनकी सहभागिता को अधिकार के रूप में निर्धारित किया गया है।
2. राज्य के विभिन्न संस्थाओं यथा विद्यालयों/छात्रावासों/गृहों में अध्ययनरत /आवासरत बच्चों तथा पारिवारिक देखरेख में मौजूद बच्चों के संरक्षण एवं सर्वांगीण विकास के लिये किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर बच्चों के संरक्षण, उनके लिये समुचित व्यवस्था बाल उत्पीड़न की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश तथा बाल सहभागिता इत्यादि हेतु आवश्यक प्रावधान किये गये है।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत भी बच्चों के साथ मारपीट/हिंसा एवं मानसिक प्रताड़ना को प्रतिबंधित करते हुए बच्चे के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ सतत् मूल्यांकन में बच्चे का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए किये गये प्रयासों को भी सम्मिलित करने पर जोर दिया गया है।
4. राष्ट्रीय बाल नीति 2013 एवं राज्य बाल नीति 2008 में भी प्रत्येक स्तर पर बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनकी सहभागिता के संबंध में आवश्यक उपबंध किये है।
5. राजस्थान बाल उत्पीड़न रोकथाम दिशा-निर्देश 2013 में भी प्रत्येक स्तर पर बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न व्यवस्थायें स्थापित की जानी है, जिनमें प्रत्येक विद्यालय/ छात्रावास/गृह को बाल संरक्षण नीति लागू की जानी मुख्य है।

बाल सहभागिता दिशा-निर्देश के तहत कार्य-

1. चाईल्ड राईट्स क्लब बच्चों की आवाज के रूप में कार्य करेंगे।
2. बच्चों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक करना।
3. सभी स्तर पर बच्चों के प्रति सकारात्मक अनुशासन एवं सहभागी माहौल तैयार करना।
4. बालक बालिकाओं में परस्पर संवेदनशीलता एवं समुदाय में बालिकाओं की महत्ता को विकसित करना।
5. बच्चों को लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं सामाजिक मूल्यों से अवगत कराना।
6. बच्चों में विभिन्न विषयों पर वैज्ञानिक तर्क आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना।
7. विद्यालय में संरक्षणात्मक वातावरण निर्माण करने में योगदान देना, जिससे कि प्रत्येक स्तर पर बच्चे के प्रति हिंसा/उत्पीड़न की रोकथाम हो सके।
8. बच्चों को विभिन्न सामाजिक कार्य/गतिविधियों यथा पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण एवं एन.सी.सी. आदि गतिविधियों में सम्मिलित करना तथा इस संबंध में प्रोत्साहन देना।
9. बच्चों में कन्या भ्रूण हत्या, बालविवाह, बाल यौन हिंसा, बाल श्रम इत्यादि सामाजिक विषयों के प्रति जागरूकता लाते हुए उन्हें इससे सुरक्षित रहने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
10. बच्चों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण,जीवन-कौशल एवं साफ-सफाई के बारे में अवगत कराना।
11. बच्चों के साथ विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर नारे लेखन, निबंध प्रतियोगिता, निबंध तथा अन्ताक्षरी कार्यक्रम आयोजित करना।
12. बच्चों की प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना।
13. बच्चों को खेलकूद, नाटक, संगीत इत्यादि मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां करवाना एवं सतत् जुड़ाव सुनिश्चित करना।
14. बच्चे के साथ दुर्व्यवहार/उत्पीड़न के

मामलों की पहचान कर सक्षम स्तर को अवगत कराना।

15. बच्चों को बाल संरक्षण हेतु स्थापित व्यवस्थाओं, सुरक्षा उपायों, उनसे जुड़े हुए कानूनों/योजनाओं/कार्यक्रमों एवं चाईल्ड लाईन 1098 के बारे में अवगत कराया।
16. इन क्लब के सदस्यों तथा अन्य बच्चों का पुलिस तथा अन्य विभागों के साथ संवाद स्थापित कराया जायेगा ताकि बच्चे भयमुक्त हो सके तथा पुलिस के बच्चों के प्रति और अधिक संवेदनशील बन सके।
17. उक्त संस्थाओं में प्रभावी संचालन में बच्चों की प्रभावी सहभागिता एवं स्टाफ एवं बच्चों के मध्य सतत् संवाद सुनिश्चित करना।
18. उक्त संस्थाओं में बच्चों के सुझावों/शिकायतों हेतु सुझाव/शिकायत पेटी की स्थापना एवं संचालन को सुनिश्चित करना।
19. बच्चों की समस्याओं/कठिनाइयों को दूर करने में सहायोग करना।
20. बच्चों से जुड़े दिवसों यथा-राष्ट्रीय बालिका दिवस (24 जनवरी),विश्व बालश्रम विरोधी दिवस (12 जून), शिक्षक दिवस (5 सितंबर), बाल दिवस (14 नवंबर), अन्तर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस (20 नवंबर) सहित अन्य महत्वपूर्ण दिवस पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करना।

निश्चित रूप से राज. बाल सहभागिता दिशा-निर्देश 2014 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, उनके शैक्षणिक विकास के साथ-साथ सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में उनके समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम है। किशोरों के सही मार्गदर्शन से ही स्वस्थ समाज की रचना सम्भव है। राष्ट्र के उत्थान हेतु बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति अवगत कराना परम आवश्यक है अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम सब जागरूक होकर बच्चों के उत्थान के लिए प्रयास करें तभी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी की कामना (भारत को जगद्गुरु पद पर आसीन करना) पूर्ण हो सकेगी।

-अध्यापक, रा.उ.प्रा.वि. बोवस,
पं.सं. सराडा (उदयपुर)
मो. 9461016905

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस

नशा मुक्ति को समर्पित शिक्षक- लादूलाल सेन

❒ दिनेश विजयवर्गीय

मन की चंचलता से दूर जब कभी व्यक्ति के अन्तर्मन पर किसी के प्रति सहानुभूति व संवेदना से भरा सकारात्मक सोच उपजता है, तो वही उसे समाज सेवा के सुनहरे पलों को पल्लवित करता हुआ सहज गति प्रदान करता है।

समाज सेवा के प्रति ऐसे ही सहानुभूति भरे सोच से सरोबार है शिक्षक लादू लाल सेन। बूंदी जिले के देई कस्बे के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सेन जो अपनी अन्तर प्रेरणा से प्रेरित हो एक ओर समाज को नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं वहीं विभिन्न माध्यमों से इसके लिये प्रचार-प्रसार कर अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान के प्रति उनकी सफलता व प्रयासों से प्रभावित हो जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस पर उन्हें जिला स्तरीय सम्मान पेश किया गया।

सेन का नशा मुक्ति अभियान जुलाई 2011 से अपने ही क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। जो अपने समर्पण भाव से जल्द ही जिले के विभिन्न स्थानों में कल-कल बहते झरने की तरह गति पकड़ता गया। और लोगों के बीच समय के साथ विश्वास बढ़ता गया।

शिक्षक लादू लाल सेन कहते है कि तम्बाकू सेवन से देश में लाखों लोग मुँह के केंसर से असमय ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। समाज के विभिन्न रोग, अपराध, महिला उत्पीड़न व दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण व्यक्ति के नशा करने की आदत ही है। उन्होंने अपने क्षेत्र में नशे के कारण हुई मौतों से समाज को जागृत करने के लिये सोच बनाया और संकल्प किया कि समाज को नशा मुक्ति के लिये जो कुछ अपनी क्षमताओं से प्रयास कर सकते है वे करेंगे।

अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जन सहयोग के प्रति वे आश्वस्त थे कि देर-सबेर लोग उनके अभियान से जुड़कर समाज की इस बुराई को त्यागने में उनके सहयोगी बनेंगे। दूसरे लिये सेन ने ''दुर्व्यसन मुक्ति मंच'' की स्थापना की। इस तरह उन्होंने स्वस्थ-सुखी देशवासियों की कल्पना की और इसकी सफलता के लिये पूरे समर्पित भाव से जुड़ गये। उन्होंने तीन वर्ष में लगभग तीन सौ लोगों को गुटखा, तम्बाकू, शराब, धूम्रपान व स्मेक जैसे दुर्व्यसनों से मुक्त कराया। उनकी प्रशंसनीय सेवा के लिये पूर्व में भी उपखण्ड स्तर पर उन्हें सम्मानित किया जा चुका है।

जन जागरण के क्षेत्र में स्कूली बच्चों की अच्छी भूमिका रहती है। अतः शिक्षक सेन द्वारा नशा मुक्ति के लिये विद्यालयों में प्रतिवर्ष विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को नशा मुक्ति ज्ञान परीक्षा आयोजित कराई जाती है। इससे बच्चों को अपने भावी जीवन में नशा मुक्ति हेतु प्रेरणा मिलती है। अब तक जिले के एस सौ सत्तर विद्यालयों के छः हजार छात्र-छात्राओं ने परीक्षा में भाग लेकर नशा मुक्ति जीवन जीने का संकल्प किया। बच्चों के प्रभावी व बेहतर लेखन को वरीयतानुसार पुरस्कृत किया जाता है।

गांव के मेलों में गरीब एवं दलित बस्तियों में लोगों को नशा मुक्ति के लिये समय-समय पर 'नशा मुक्ति अभिप्रेरणा' शिविर आयोजित किया जाता है।

दुर्व्यसन मुक्ति मंच द्वारा नशा मुक्ति अभियान को सहयोग करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं तथा नशा मुक्त हुए व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। योगिक क्रियाओं द्वारा व्यसन को मन से दूर करने के लिये संकल्पित किया जाता है। इच्छा सलाह कर निःशुल्क दवा दी जाती है।

आज शिक्षक सेन इस अभियान में अकेले नहीं है। कई प्रबुद्धजन उनसे जुड़ने लगे हैं। उनकी सोच है कि हर अच्छे समाज सेवा से जुड़े कार्य संचालित करने में वे भले ही शुरुआती दिनों में उतनी सफलता न मिली हो लेकिन जब अच्छाई का उजाला फैलने लगता है तो बुराइयों का अंधेरा भी धीरे-धीरे हटने लगता है।

शिक्षक लादू लाल सेन यह बात अपने अनुभव से बेहतर ढंग से जानते हैं कि सेवा से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। प्रेम से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं होती और सहानुभूति से बढ़कर कोई सौंदर्य नहीं होता।

-215, मार्ग 4, रजत कॉलोनी, बूंदी
मो. 9413128514

लेखा स्तम्भ

अर्द्ध वेतन अवकाश, रूपान्तरित अवकाश एवं अदेय अवकाश

"राजस्थान सेवा नियम-1951" के नियम-93 के अन्तर्गत

1. अर्द्ध वेतन अवकाश नियम-93(1) :

एक राज्य कर्मचारी को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिन का अर्द्ध वेतन अवकाश अर्जित होगा। कर्मचारी द्वारा अर्जित अर्द्ध वेतन अवकाश के उपभोग हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र अथवा निजी कारणों के आधार पर आवेदन किए जाने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकता है।

2. रूपान्तरित अवकाश नियम-93(2) :

(अ) स्थायी सेवा के एक राज्य कर्मचारी को देय अर्द्ध वेतन अवकाशों की आधी संख्या तक रूपान्तरित (कम्यूटेड) अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जो उसकी स्वयं की बीमारी के आधार पर देय होगा तथा जिसके लिए कर्मचारी को एक प्राधिकृत चिकित्सक से रोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। रूपान्तरित अवकाश स्वीकृति की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

(क) जब किसी कर्मचारी को रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत किया जाये, तो उसके एवज में दुगुनी संख्या में अर्द्ध वेतन अवकाश, अवकाश लेखों में घटाए जाएंगे।

(ख) अवकाश स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि अवकाशों की समाप्ति पर उस कर्मचारी के सेवा पर वापिस उपस्थित होने की पूर्ण सम्भावनाएं हैं।

(ब) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर रूपान्तरित अवकाश स्वीकृति बाबत महत्वपूर्ण तथ्य :-

- अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर कर्मचारी का चिकित्सा आधार पर रूपान्तरित अवकाश स्वीकृत कर सकता है। प्राधिकृत चिकित्सक शब्द में किसी राजकीय चिकित्सालय/औषधालय में नियुक्त चिकित्सक, वैद्य या हकीम सम्मिलित माना जायेगा।
- जहां कर्मचारी बीमार पड़ता है, यदि वहाँ कोई प्राधिकृत चिकित्सक नहीं हो अर्थात् कोई राजकीय चिकित्सालय, औषधालय नहीं हो या उनमें चिकित्सक नहीं हो, तो उस स्थान पर स्थित पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश दिया जा सकता है, किन्तु ऐसे प्रमाण पत्र में चिकित्सक का पंजीयन क्रमांक अवश्य होना चाहिये।
- एक राज्य कर्मचारी जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश स्वीकृत कराया है, अपने कर्त्तव्य पर उस समय तक उपस्थित नहीं हो सकता, जब तक वह स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं कर देता है।

(स) चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी :-

(क) चिकित्सा विभाग के आदेश क्रमांक: प.16(25)एम/ग्रुप-1/94 दि: 8.1.98 द्वारा विभिन्न अवधि के लिये चिकित्सा अवकाश हेतु चिकित्सा अधिकारी निम्न प्रकार प्राधिकृत किये गये हैं :-

(i) किसी बहिरंग रोगी को अधिकतम 15 दिन की अवधि हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा।

(ii) 30 दिवस तक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/कनिष्ठ विशेषज्ञ/सहायक आचार्य एवं इसके ऊपर के अधिकारी देने के लिये सक्षम होंगे। इसमें मूल अवधि भी सम्मिलित होगी।

(iii) 45 दिवस तक वरिष्ठ विशेषज्ञ/ पी.एम.ओ./एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर एवं क्र.सं.(ii)में वर्णित अधिकारी यदि प्रमाण-पत्र सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो। इसमें मूल अवधि भी सम्मिलित होगी।

(iv) 45 दिवस से अधिक अवधि हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र केवल मेडिकल बोर्ड देगा।

(अ) अनुमोदित निजी चिकित्सालय के चिकित्सक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार अधिकृत हैं :-

- 15 दिवस के लिये-चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा
- 30 दिवस तक-वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा
- 45 दिवस तक- वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ द्वारा
- 45 दिवस से अधिक- मेडिकल बोर्ड द्वारा

(ख) होम्योपैथिक चिकित्सक 15 दिवस के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र दे सकते हैं।

(ग) चिकित्सा प्रमाण हेतु सक्षम आयुर्वेद अधिकारी :-

(i) किसी बहिरंग रोगी के लिए चिकित्सक 15 दिन की अवधि हेतु सक्षम हैं।

(ii) 15 दिवस के पश्चात् पुन: 7-7 दिन की अवधि के लिये विभागीय चिकित्सक सक्षम होगा।

(iii) 29 दिवस से 45 दिन तक की अवधि के लिए रोग प्रमाण-पत्र "अ" श्रेणी चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक/जिला आयुर्वेद अधिकारी/सहायक निदेशक /समकक्ष अधिकारी एवं अन्य उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा, जिसमें मूल अवधि भी सम्मिलित होगी।

(iv) 45 दिवस से अधिक अवधि के लिये चिकित्सा प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य परीक्षण समिति (आयुर्वेद) द्वारा दिया जा सकेगा।उक्त स्वास्थ्य परीक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(अ) जिला आयुर्वेद अधिकारी/सहायक निदेशक/प्रभारी रसायन शालाएँ/समकक्ष अधिकारी एवं अन्य उच्च आयुर्वेद अधिकारी (ब) संबंधित जिले में स्थित 'अ' श्रेणी चिकित्सालय का वरिष्ठ चिकित्सक - संयोजक

(स) दो चिकित्सक (अध्यक्ष की सहमति से), आवश्यकता होने पर महिला चिकित्सक-सदस्य

(v) अन्तरंग रोगी के सम्बन्ध में 30 दिन से अधिक के चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु आयुर्वेद 'अ' श्रेणी चिकित्सालय के प्रभारी के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

(vi) राज्य के बाहर के मामले में सम्बन्धित चिकित्सालय संस्थान के चिकित्सक का प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(घ) विशिष्ठ प्रावधान:- एक समय में देय अर्द्ध-वेतन अवकाशों में से 180 दिन तक के अर्द्ध-वेतन अवकाशों को प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के बिना ऐसे रूपान्तरित अवकाशों के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, जहाँ ऐसा अवकाश किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए चाहा जाये तथा अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी ऐसे पाठ्यक्रम/अध्ययन को सार्वजनिक हित में प्रमाणित कर दे।

(3) अदेय अवकाश नियम-93(3) :

सेवा-निवृत्ति से पूर्व के अवकाशों के मामलों को छोड़कर अदेय अवकाश (LEAVE NOT DUE) स्थायी सेवा के राज्य कर्मचारी को निम्नांकित शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है :-

(क) अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसा कर्मचारी अदेय अवकाश की समाप्ति के बाद सेवा पर वापिस उपस्थित हो जायेगा।

(ख) अदेय अवकाशों की संख्या उस अनुमानित संख्या से अधिक नहीं होगी, जो एक कर्मचारी ऐसे अवकाश समाप्ति पश्चात् वापिस आकर उतनी ही संख्या में अर्द्ध-वेतन अवकाश अर्जित कर सके।

(ग) सम्पूर्ण सेवा काल में 360 दिन से अधिक का अदेय अवकाश नहीं दिया जायेगा, जिसमें से एक समय में 90 दिन से अधिक नहीं होगा तथा 180 दिन तक का अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र (बीमारी) के आधार पर अदेय अवकाश प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को एक प्राधिकृत चिकित्सक से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(घ) अदेय अवकाश स्वीकृत किये जाने पर वह कर्मचारी के अर्द्ध-वेतन अवकाशों के खाते में नामे (डेबिट) लिखा जायेगा तथा उसका समायोजन ऐसे कर्मचारी द्वारा भविष्य में अर्जित किये जाने वाले अर्द्ध-वेतन अवकाशों से किया जावेगा।

4. एक अस्थाई राज्य कर्मचारी, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अन्तर्गत बनाये गये नियुक्ति सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अथवा जहाँ ऐसे नियम नहीं हों, वहाँ राज्य सरकार के सक्षम आदेशों के अन्तर्गत अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया हो और जो उस पद की शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव इत्यादि की पात्रता पूर्ण कर लेता हो, उसे तीन वर्ष की सेवा

अवधि पूर्ण करने पर 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-93 के उपनियम (2) तथा (3) में वर्णित रूपान्तरित अवकाश स्वीकार किये जा सकेंगे।

5. जब किसी कर्मचारी को इस नियम के उपनियम (2) अथवा (3) के अन्तर्गत रूपान्तरित अवकाश अथवा अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया हो और ऐसे कर्मचारी की या तो सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गयी हो अथवा {राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 35 के अन्तर्गत} असमर्थता के आधार पर सेवानिवृत कर दिया गया हो अथवा {राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 53 के अनुसार} अनिवार्य रूप से सेवा निवृत कर दिया गया हो, तो उससे अवकाश वेतन सम्बन्धी कोई वसूली, यदि बनती हो, तो नहीं की जायेगी। अन्य समस्त मामलों में, जैसे त्याग-पत्र देने, स्वेच्छा से सेवा-निवृति प्राप्त करने, सेवा से निष्कासित करने अथवा बर्खास्त करने आदि मामलों में अवकाश-वेतन की वसूली यदि नियमों के अनुसार बनती हो, तो अवश्य की जायेगी।

संकलन:- **सुभाष माचरा**
शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी
निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
मो. 9414000470

आत्मविश्वास

विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करें

❒ **भँवर सिंह**

व्यक्ति किसी भी समाज का हो उसे जीवनयापन के लिए रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता पड़ती है। आज प्रगतिशील और प्रतिस्पर्धा के समय में व्यक्तिगत अपेक्षायें अत्यधिक बढ़ी हैं। आज का नवयुवक येन-केन प्रकारेण अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है। वास्तव में व्यक्तिगत अपेक्षाओं में वृद्धि के कारण समाज में विघटन और अशान्ति का माहौल पनपता जा रहा है। समाज में शैक्षिक प्रतिभा की कोई कमी नहीं है केवल विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। जिस समाज का युवक सुशिक्षित, चरित्रवान और आत्मविश्वासी है उसे लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वास्तव में आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो रोजगारोन्मुखी हो और प्लेसमेंट की दृष्टि से सर्वगुण सम्पन्न हो ताकि युवकों को शिक्षा प्राप्त करने के बाद दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो समाज को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर नागरिक दे ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज और परिवार पर एक बोझ बनकर न रह सके। पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं तथा सुन रहे हैं कि कई कला विषय के स्नातक अपने प्रयास और आत्मविश्वास के बल पर एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त करके मल्टीनेशनल में अच्छे प्लेसमेंट पर कार्य कर रहे हैं। शायद ऐसी सुविधा आने वाले समय में नहीं होगी। क्योंकि अब इस दिशा में कॉमर्स, बी.बी.ए., अभियांत्रिकी आदि विषयों के स्नातक ही जा पायेंगे। वास्तव में एक बुद्धिमान जाग्रत व्यक्ति सुअवसर का फायदा उठाने में नहीं चूकता। अतः हमें जाग्रत भी रहना होगा, क्योंकि प्रकृति प्रत्येक जीवन को उसके जीवन में उठने और कायापलट करने हेतु कुछ ही अवसर देता है। मेरा तो प्रकृति में पूर्ण विश्वास है क्योंकि इसने मेरा आत्मविश्वास पैदा किया है। ध्यान रहे हमारा प्रारम्भिक लक्ष्य डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बहुत सुन्दर लिखा है- समाज इज ब्यूटीफुल। इस में काफी गहराई है। गाँधीजी ने बिना किसी हथियार के एक असम्भव कार्य को सम्भव बनाया था। सब जानते हैं। व्यक्ति के लिए कोई काम असंभव नहीं है बस आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है।

-शा.शि., रा.उ.मा.वि. सबलपुरा (सीकर)
मो. 9414901203

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

सद्भाव एवं सहिष्णुता का प्रतीक : अजमेर

□ स्नेहलता पारीक

अजमेर का सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। अरावली की पहाड़ियों से घिरे वर्तमान शहर अजमेर की स्थापना सातवीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के प्रथम पुत्र अजयराज चौहान द्वारा की गई थी। प्रारम्भ में यह अजयमेरू कहलाता था। अजमेर की उपयुक्त भौगोलिक एवं अन्य अनुकूलताओं के कारण यह प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

यहाँ हिन्दुओं की प्रसिद्ध तीर्थस्थली पुष्करराज, मुस्लिमों के ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ति की दरगाह, सोनी जी की नसियां, नारेली तीर्थ, सिंधियों की दरबारें, सांईबाबा का मंदिर, गुरुद्वारा सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती का निर्वाण भी अजमेर में ही हुआ है।

अजमेर प्रारम्भ से ही शिक्षा एवं व्यापार का प्रमुख केन्द्र रहा है। सन् 1875 में अजमेर को रेलमार्ग से जोड़ा गया। शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर को शैक्षिक राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यहाँ लगभग तीन हजार वर्ष पुरानी सीसा खान है। यहाँ का तारागढ़ का किला भारत का पहला पहाड़ी दुर्ग है। अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा की दरगाह और पुष्कर स्थित प्रजापति ब्रह्मा का मंदिर विश्व विख्यात है। मुगलकाल में अजमेर सबसे बड़ा सूबा था। यहाँ का ब्रिटिश कालीन मेयो कॉलेज भारत का 'ईटन' कहा जाता है। यहाँ गौरी कुण्ड से लेकर अजयपाल की घाटी व नाग पहाड़ का पर्वतीय क्षेत्र प्राचीन तपो भूमि रहा है। यहाँ राजस्थान राजस्व मण्डल, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आयुर्वेदिक निदेशालय, मेयो कॉलेज, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, रीजनल कॉलेज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय स्थापित हैं। अजमेर में प्रमुख दर्शनीय स्थलों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक, महाराज दाहरसेन स्मारक, तीर्थ नगरी पुष्कर, दरगाह

शरीफ, आनासागर झील, फॉयसागर झील, सोनी जी की नसियां, तारागढ़, नारेली तीर्थ, सुभाष उद्यान, राजकीय संग्रहालय इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं।

अजमेर राजस्थान का हृदय है। यह 25.38डिग्री से 26.58 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 73.54 डिग्री से 75.22 डिग्री पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है। इसके पश्चिम-उत्तर में नागौर जिला, उत्तर पूर्व में जयपुर, पूर्व

दक्षिण में टोंक, दक्षिण में भीलवाड़ा और दक्षिण पश्चिम में पाली जिला है।

समाज एवं संस्कृति : यहाँ मिले जुले जाति वर्ग का समाज है। मुगल साम्राज्य के दौरान यहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ी। साम्प्रदायिकता और सहिष्णुता यहाँ की उल्लेखनीय सामाजिक विशेषता है। यहाँ ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, पुष्कर में ब्रह्माजी का मंदिर, सोनी जी की अनुपम नसियां, गुरुद्वारे और चर्च इस विशेषता के प्रमाण हैं। इसी तरह पुष्कर का कार्तिक मेला, ख्वाजा का उर्स एवं चामुण्डा माता आदि के मेले यहाँ के सांस्कृतिक वैभव के अंग हैं।

साहित्य : आचार्य भरत ने अपनी रचना 'नाट्य शास्त्र' के कुछ अध्याय पुष्कर में लिखे थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के एक अन्य दरबारी कवि जयानक का संस्कृत महाकाव्य पृथ्वीराज विजय का भी अजमेर से संबंध है। ब्रजभाषा में रचित अनेक काव्य ग्रंथ सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य का गौरव हैं। यहाँ के आधुनिककालीन साहित्यकारों में हरिभाऊ उपाध्याय, जनार्दन राय दिनकर, ईश्वरचंद्र, मनोहर वर्मा, प्रकाश जैन, डॉ. रामगोपाल गोयल, गोपाल गर्ग, राम जैसवाल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में अजमेर का योगदान : भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में अजमेर के देशभक्त नेताओं का सक्रिय का योगदान रहा। सन् 1923 में यहाँ महात्मा गांधी भी आये थे और उन्होंने लोगों में चेतना फैलाने के लिए पैदल यात्रा अजमेर में की थी। स्थानीय नेताओं ने असहयोग आन्दोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहाँ समाचार पत्रों के माध्यम से भी आम जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया। इसके बाद केसरी, नवजीवन, नवज्योति, त्यागभूमि आदि पत्र पत्रिकाओं में राष्ट्रीय पत्रकारिता के अनूठे आदर्शों को राजस्थान में स्थापित किया गया।

अजमेर में पर्यटन व दर्शनीय स्थल : अजमेर में दो तरह के सैलानी आते हैं। तीर्थयात्रा

या जियारत करने वाले और घूमने वाले। यहाँ ख्वाजा साहब की दरगाह, मीरां साहब की दरगाह, दादाबाड़ी, सांईबाबा का मंदिर, ढाई दिन का झोपड़ा, तारागढ़, बारहदरी, अजयपाल की घाटी , हैप्पी वैली, सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक, सिन्धुपति दाहरसेन स्मारक, सोनी जी की नसियां, नारेली तीर्थ, फॉयसागर आदि स्थल दर्शनीय हैं। ऐसे ही यहाँ पहाड़ी पर्यटन का भी आनन्द लिया जा सकता है। सैर सपाटे के लिए यहाँ अगस्त से फरवरी तक मौसम अनुकूल रहता है। पर्यटकों को पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए होटल और धर्मशालाओं की यहाँ कमी नहीं है। अजमेर में अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल दर्शनीय हैं।

कृषि : यहाँ दो फसलें होती हैं। खरीफ और रबी। रबी की फसल अच्छी वर्षा तथा सिंचाई की व्यवस्था पर निर्भर करती है। यहाँ की प्रमुख फसल है–मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, तिल, मूंग, मोठ व उड़द। सर्दी की फसल में गेंहू, चना व जौ का उत्पादन होता है।

खनिज : लोहा, तांबा, सीसा, अभ्रक, मैग्नीज, कार्बोनेट आदि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। अजमेर में लोहाखान नामक बस्ती इस बात की साक्षी है कि यहाँ प्राचीनकाल में लोहा निकाला जाता था। घूघरा घाटी, किशनपुरा और काबरा पहाड़ (पुष्कर) में भी लोहे की खदानें थी। अजमेर शहर में तारागढ़ किले के परकोटे वाली पहाड़ी में चांदी व अभ्रक की खदानें रही हैं।

कहा जाता है कि राजस्थान के अजमेर जिले की समृद्ध संस्कृति परस्पर मनोभावों के परिक्रमण, रीति–रिवाजों के संतुलन से युक्त मनोरंजन के समान है। जो जन–जन के मनों को जोड़ने तथा भेदभावों की दिवारों को तोड़ने का कार्य करती है। अजमेर संस्कृति व साहित्य के रूप में परिपूरित शहर है जो बहुत ही सुंदर व अपने गौरवशाली इतिहास से परिपूर्ण है। हमें इसकी सांस्कृतिक विशेषता व इसके इतिहास को संरक्षित रखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा पहचाना जा सके। वर्तमान में इसे स्मार्ट सिटि के रूप में विकसित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है निश्चय ही राजस्थान में अजमेर शहर का सांस्कृतिक स्वरूप विशिष्ट स्थान रखता है।

–व.अ., रा.बा.उ.मा.वि. फॉयसागर, अजमेर
मो. 9414550515

ब्रह्मा मन्दिर पुष्कर के बारे में पौराणिक कथाएँ

विद्वानों के अनुसार पुष्कर का अर्थ है ऐसा तालाब जिसका निर्माण फूल से हुआ। पद्म पुराण के अनुसार पुष्कर सरोवर का निर्माण उस समय हुआ जब यज्ञ के स्थान को सुनिश्चित करते समय ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे पानी की तीन बूंदे पृथ्वी पर गिर गयी, जिसमें एक बूंद पुष्कर में गिर गयी। इसी बूंद से पुष्कर सरोवर का निर्माण हुआ।

पुष्कर तीर्थों का मुख माना जाता है। जिस प्रकार प्रयाग को ''तीर्थराज'' कहा जाता है, उसी प्रकार से इस तीर्थ को ''पुष्करराज'' कहा जाता है। पुष्कर की गणना पंचतीर्थों व पंच सरोवरों में की जाती है। पुष्कर सरोवर तीन हैं–

1. ज्येष्ठ (प्रधान) पुष्कर
2. मध्य (बूढ़ा) पुष्कर
3. कनिष्क पुष्कर

ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्माजी, मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्क पुष्कर के देवता रुद्र हैं। पुष्कर का मुख्य मन्दिर ब्रह्माजी का मन्दिर है। जो कि पुष्कर सरोवर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। एक मन्दिर में हाथी पर बैठे कुबेर तथा नारद की मूर्तियां हैं।

ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लिखित है कि अपने मानस पुत्र नारद द्वारा सृष्टिकर्म करने से इन्कार किए जाने पर ब्रह्मा ने उन्हें रोषपूर्वक शाप दे दिया कि–''तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, अतः मेरे शाप से तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और गन्धर्व योनि को प्राप्त करके कामिनियों के वशीभूत हो जाओगे।'' तब नारद ने दुःखी पिता ब्रह्मा को शाप दिया–''तात! आपने बिना किसी कारण के सोचे–विचारे मुझे शाप दिया है। अतः मैं भी आपको शाप देता हूँ कि तीन कल्पों तक लोक में आपकी पूजा नहीं होगी और आपके मंत्र, श्लोक कवच आदि का लोप हो जाएगा'' तभी से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। मात्र पुष्कर क्षेत्र में ही वर्ष में एक बार उनकी पूजा–अर्चना होती है।

भगवान ब्रह्मा ने जगत भलाई के लिए यज्ञ करना चाहा। जिसके लिए उन्हें शुभ मुहूर्त का इंतजार था। जब वो शुभ मुहूर्त आया तो उनकी पत्नी मां सरस्वती ने उन्हें इंतजार करने को कहा। सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के अभाव में पूर्ण नहीं हो सकता। अतः यज्ञ के कार्य में विलंब होने लगा। क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने ग्वालिन गायत्री नाम की स्त्री से विवाह कर लिया और उन्हें अपने साथ यज्ञ में बैठाया ताकि समय रहते शुभ मुहूर्त में यज्ञ का कार्य पूर्ण हो सके। सरस्वती जी ने जब अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को बैठे देखा तो वे क्रोध से भर गई और ब्रह्मा जी को शाप देते हुए कहा कि आपकी धरती पर कहीं भी कभी पूजा नहीं होगी। जब उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो देवी–देवताओं ने मां सरस्वती को विनय की कि ब्रह्मा जी को इतना कठोर दंड न दें। देवी–देवताओं की बात का मान रखते हुए मां सरस्वती ने कहा कि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर होगा जो पुष्कर में स्थित होगा और वो केवल यहीं पर पूजे जाएंगे। उसी दिन से पुष्कर धाम ब्रह्मा जी का घर बन गया।

–विजय शंकर आचार्य
संयुक्त निदेशक (कार्मिक), निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

शाला प्रांगण से

गत माह में राज्य के अनेक विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। माह अप्रैल-मई 2015 में कक्षा 01 से 09 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाएं होने के कारण अध्यापक पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने, पुनरावृति करवाने एवं विद्यार्थियों के शंका समाधान में भी व्यस्त रहे। कुछ विद्यालयों से प्राप्त गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं निम्नानुसार हैः-

अजमेर-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कायड, अजमेर में 13 अप्रैल 2015 को शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री नरेशपाल गंगवार मुख्यमंत्री महोदया की मुख्य सलाहाकार समिति सदस्य श्रीमती उर्वशी साहनी एवं जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर द्वारा निरीक्षण किया गया। इन्होंने विभिन्न कक्षाओं एवं आईसीटी सैटेलाईट कक्षाओं का निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछे। विद्यालय की शैक्षिक, सहशैक्षिक गतिविधियों तथा विद्यालय की साफ सफाई से संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण दल ने श्री गगांराम लीलानी, प्रधानाचार्य के प्रयासों की सराहना की। श्री पवन कुमार शर्मा, व.अ विज्ञान द्वारा बनाए गये विडियो लैसन, पावर पॉइन्ट प्रैजेन्टेशन, नोट्स आदि का अवलोकन किया तथा इनके द्वारा किये गये प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका लाभ यदि अन्य विद्यालयों को मिलता है तो ये अधिक उपयोगी होंगे। विद्यालय में रीडिंग कैम्पेन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कक्षा 01 से 05 में ग्रेड अनुसार करवाये जा रहे शिक्षण कार्य की भी तारीफ की। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहान देने के लिए निर्धन छात्राओं को विद्यालय गणवेश, बैग, ज्योमेट्री बॉक्स आदि प्रदान किये जाते है। इस संस्थान द्वारा विद्यालय में शौचालय का निर्माण किये जाने के प्रयास को निरीक्षण दल ने सराहनीय बताया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेन्दरिया, अजमेर में दिनांक 13 अप्रैल 2015 को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गयी। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच, ग्राम सेवक एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। संरपच द्वारा विद्यार्थियों को बाबा साहेब की जीवनी एवं समाज के लिए उनके योगदान के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के साथ होने वाले भेद भाव का विरोध किया एवं इस वर्ग के शैक्षिक उत्थान एवं सामाजिक समानता दिलाने के अथक प्रयास किये। राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय, कानाखेड़ी श्रीनगर, अजमेर में बाल विवाह की रोक थाम के लिए विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसके तहत कक्षा 05 से 09 के विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी लगाई। गांववासियों में चेतना जाग्रत करने के लिए छात्र शेर सिंह कक्षा 07 एवं छात्र दिनेश, महेन्द्र कक्षा 06 ने एक नाटक का मंचन किया।

बीकानेर-राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तेलीवाड़ा,बीकानेर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थानीय इकाई द्वारा दिनांक 23 मार्च 2015 से 27 मार्च 2015 तक कम्प्यूटर जाग्रति कार्यशाला का आयोजन किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजन के लिए विद्यालय में 04 कम्प्यूटर सैट की व्यवस्था की गई । इस कार्यशाला में श्री अशोक आचार्य एवं उनके सहयोगियों ने छात्राओं को कम्प्यूटर की प्रारंभिक जानकारी दी। कार्यशाला में विद्यालय की 30 छात्राओं ने भाग लिया। इन छात्राओं को ल्युसेन्ट पब्लिशर पटना द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'ल्युसेन्ट कम्प्यूटर' निःशुल्क वितरित की गई। कार्यशाला के समापन पर छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये।

जैसलमेर-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बडली चारणा, जैसलमेर में दिनांक 16 मार्च 2015 से 22 मार्च 2015 तक ''राष्ट्रीय स्वच्छता एवं जागरूकता सप्ताह'' का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस श्रीमती पूर्णिमा शर्मा, प्रधानाध्यापिका ने हरी झण्डी दिखाकर स्वच्छता रैली को रवाना किया। रैली के दौरान अध्यापकों के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने गांव की गलियों में ग्राम वासियों से संपर्क कर अपने घर गली एवं गांव को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। इसी विद्यालय में विद्यार्थियों में जिम्मेवारी के अहसास एवं नेतृत्व गुण के विकास के लिए बाल संसद का गठन किया गया। छात्र विक्रम बाल संसद के प्रधानमंत्री बने एवं इनके नेतृत्व में अलग अलग छात्र प्रतिनिधियों को विभिन्न मंत्रालय सौंपे गये। दिनांक 18 मार्च 2015 को ''ग्राम्य जीवन एवं स्वच्छता'' विषय पर वाद विवाद, ''ग्राम्य परिवेश विषय'' पर चित्रकला एवं 'स्वच्छता का जीवन में महत्व' विषय पर निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वाद विवाद में छात्र इकबाल कक्षा 09, चित्रकला में छात्रा कुसुम कक्षा 08 एवं निबंध में छात्र विक्रम कक्षा 08 प्रथम रहे। दिनांक 19 मार्च 2015 को विद्यार्थियों ने 04 दलों में विद्यालय के बाहरी, भीतरी परिसर एवं आंगनवाड़ी परिसर की साफ सफाई की। इस सप्ताह के प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के संबंध में अध्यापक बंधुओं द्वारा विचार व्यकत किये गये।

पाली-राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नं 3 सोजतनगर पाली में 30 मार्च 2015 को राजस्थान दिवस की 66वीं वर्षगांठ मनायी गयी। कार्यक्रम में रंगोली, चित्रकला, मेंहन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने एकल गीत, सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किये। श्री ओमप्रकाश पोहीला विद्यालय प्रभारी ने राजस्थान की धरोहरों की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के वीर एवं वीरांगनाओं ने अपनी जन्मभूमि के लिए कुरबानी दी। उन्होंने यह भी बताया कि कला से संस्कृति हो या व्यापार, खेल हो या खेती राजस्थानियों ने हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन युद्ध में मौहम्मद गौरी को पराजित किया। जोधपुर नरेश के 12 वर्षीय पुत्र ने औरंगजेब के शेर का जबड़ा फाड़ दिया। पन्नाधाय का बलिदान किसी से छिपा नहीं है। महाराणा प्रताप आजादी के लिए लड़ते रहे लेकिन मुगलों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। जैसलमेर की पहचान एटमी भूमि के रूप में हुई है। सिविल सेवा परीक्षा 2013 में जयपुर के गौरव अग्रवाल ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर राजस्थान का मान बढ़ाया एवं सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर श्री मोतीलाल जोशी अध्यापक ने राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों एवं लोकनृत्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीकानेर के संदीप आचार्य 22 साल की उम्र में इंडियन आइडल बने थे। वहीं सा रे गा मा पा में अजमल हुसैन लिटिल चैंप बने। इस अवसर पर समस्त स्टाफ एवं छात्र-छात्राओं ने विद्यालय परिसर की साफ सफाई की एवं स्वच्छ राजस्थान का आह्वान किया। विद्यार्थियों ने पौधारोपण भी किया एवं श्रमदान कर विद्यालय में 25 फुट लम्बी कच्ची सड़क का निर्माण किया।

-सुनीता चावला
सहायक निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर
मो. 9414425863

पुस्तक समीक्षा

देवां री घाटी

राजस्थानी अनुवाद : नीरज दइया प्रकाशक : साहित्य अकादमी, दिल्ली संस्करण : 2013 पृष्ठ संख्या : 136 मूल्य : ₹ 150.00

'देवां री घाटी' भोलाभाई पटेल के गुजराती यात्रा-संस्मरणों की साहित्य अकादेमी से पुरस्कृत पुस्तक 'देवोनी घाटी' का राजस्थानी अनुवाद है। डॉ. नीरज दइया ने हिंदी और राजस्थानी भाषा में विविध विधाओं में लेखन किया है वहीं अनुवाद के माध्यम से परस्पर भाषाओं को जोड़ा भी है। यह पुस्तक साहित्य अकादेमी की अनुवाद योजना के अंतर्गत प्रकाशित हुई है। उल्लेखनीय है कि साहित्य अकादेमी ने पिछले कुछ वर्षों में अनुवाद के क्षेत्र में उम्दा कार्य किया है।

आधुनिक साहित्य में गुजराती के भोलाभाई पटेल एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में पहचाने जाते हैं। गुजराती भाषा के माध्यम से उन्होंने भारतीय साहित्य में अपना मुकाम हासिल किया है। आलोचना, यात्रा-संस्मरण और निबंध विधा को समृद्ध कर भोलाभाई ने भारतीय भाषाओं के मध्य गुजराती का यशवर्द्धन किया है। पटेल की 'देवोनी घाटी' के अलावा पूर्वोत्तर, देवात्मा हिमालय, विदिशा, कंचनजंघा, शालभंजिका, अधुना, पूर्वापर अर अज्ञेय: एक अध्ययन जैसी कृतियां खूब चर्चित रही हैं। ऐसे समर्थ गद्यकार की पुस्तक का राजस्थानी में आना बहुत हर्ष का विषय है। कितना अच्छा रहता यदि यह पुस्तक अपने प्रकाशन के वर्ष से एक वर्ष पहले अर्थात् भोलाभाई पटेल के रहते प्रकाशित होती। रचनाएं ही हैं जो लेखक को सदा सदा के लिए जिंदा रखती हैं। देह के बाद भी उनके शब्द बार-बार जीवन पा कर हमारे पाठ में सजीव होने का अहसास देते रहते हैं।

यात्रा-संस्मरण आधुनिक साहित्य की विधा है, जो गत वर्षों में खूब फली-फूली है। संपूर्ण दुनियां की विविधरूपा संस्कृति और परिवेश से साक्षात्कार कराने के लिए यह विधा बेहद महत्वपूर्ण है। भारत जैसे बहुरंगी संस्कृति और अलग-अलग रंगों-वर्णों के देस के अंतस को जानने-समझने के लिए यात्रा-संस्मरण कीमिया साधन माना जा सकता है। अनूदित पुस्तक 'देवां री घाटी' इस बात की साक्षी है। इस पुस्तक में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि प्रांतों की यात्राओं का ऐसा सरस वर्णन हुआ है कि पाठक को इसके पाठ में लेखक के साथ-साथ घूमने का आनंद आता है। यात्रा-संस्मरण की इस पुस्तक में लेखक डायरी और पत्र जैसी विधाओं के मनभावन प्रयोग से जैसे नए रंग भरता है जिससे इसका पाठ पाठक के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। इस यात्रा में लेखक सिर्फ सूचनाओं तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल आदि की रोचक और मोहक बातों से संस्मरण में सतरंगी आभा रचता है। भारतीय भाषाओं के प्रख्यात लेखकों और साहित्य के जो उदाहरण पुस्तक में आए हैं ये एकदम अनोट हैं और साहित्य-रसिक पाठकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी।

वैसे तो सौंदर्य नजरों में हुआ करता है परंतु देश के उत्तरार्द्ध में बसे हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता संपूर्ण जगत में विख्यात है। यहा के पर्वतों की चोटियां, घाटियां, नदियां, पेड़ और मनमोहक हरियाली के दृश्य लेखक की कलम से वर्णित जैसे अक्षरों में आकार रूपवान हो उठे हैं। पुस्तक के पहले अध्याय 'सिमला-डायरी' में 21 जून 1987 से 26 जून 1987 के मध्य हिमाचल की राजस्थानी शिमला प्रवास का वर्णन है। शिमला के परिवेश को लेखक इस प्रकार शब्द देता है- 'ठीक इणी खिण अगूंण दिस भाखरां मांय सूं सूरज उगाळी दीसै। उण दिस उजास पसरग्यो, पण सिमला नगर चिण नरम भाखर माथै है वौ तौ छियां मांय है, दीसै ई कोनी। फगत डूंगर ई डूंगर दीसै। उतराधै रूंखां लद्योड़ी घाटी है, बिचाळै-बिचाळै मकांन। हवा री सूंसाट बेसी सुणीजण लागगी। उण लांबी-चौड़ी खुल्ली छात रै बीचोबीच बैठक है। अठै तीनूं दिसावां मांय पसरी घाटियां रो फूटरापौ अेकदम दीठ नैं बांध लेवै।' (पृ. 13)

दूसरे अध्याय 'देवां री घाटी' में 27 जून 1987 से 3 जुलाई 1987 के मध्य मनाली, विपासा, कुल्लू, चण्डीगढ़ आदि की यात्राओं का वर्णन हुआ है। यह वर्णन भी कोरा वर्णन नहीं है। भोलाभाई जगह-जगह प्रकृति के रूप-रंगों से साम्य रखने वाली हिन्दी-गुजराती-संस्कृत की कविताओं का स्मरण करते कराते चलते हैं। कुल्लू में घूमते हुए उन्हें अज्ञेय जी की स्मृति आती है जिसे वे इन शब्दों में प्रकट करते हैं- 'कुल्लू बाबत पैलपोत आलेख म्हैं हिन्दी साहित्यकार अज्ञेय जी री बांच्यौ, इणी खातर आज घूमती वेळा उणां री ओळूं लगोलग आवै। आपरै लेखन रै कांम पेटै वै कीं टैम मनाली रा अेकांतवास मांय रैया। वै कठै रैया होवैला? (पृ.38)

तीसरे अध्याय 'केरल सूं कागद' में भारत रै दक्षिण प्रदेश केरल में साहित्य अकादेमी द्वारा आयोजित तीन सप्ताह की अनुवाद-कार्यशाला के प्रवास का संस्मरण पत्र-शैली में लिखा है। इस में तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी, सुचीन्द्रम आदि के यात्रा-संस्मरण में केरल की संस्कृति मूर्त हुई है। कन्याकुमारी में जहां लेखक स्वामी विवेकानंद को याद करता है और साथ ही जैसे इस धरती के गर्वित इतिहास के पन्ने भी पलटकर दिखा देता है। इसमें एक जगह अनुवाद की मुश्किलों के बारे में विचार करते हुए लेखक लिखता है-'आं दिनां देस री अेकता अर अखंडतारी चरचा होवै, पण अनेकता आपणै देस अर संस्कृति री खासियत है। अनेकता बचाय'र अेकता किण भांत राखीवै? ज्यूंकै आपणै देस मांय कितरी भासावां बोलीवै? अबै सगळी भासावां रै आपै री रुखाळी कर'र आपसरी में किण भांत रो वैवार करियो जाय सकै? जुदा-जुदा भासा भासी अेक दूजै नैं कींकर ओळखै? अर पछै देस रै टाळ दुनियां री बात ई करणी पड़ै, तौ कैवण री मतळब भासा री दुविधा खास रूप सूं होवै। उण दुविधा नैं मेटण रौ लूंठो साधन है भासांतर-अनुवाद (पृ. 88)

अंतिम अध्याय 'कुडल संगमदेव' में कर्नाटक के मैसूर, श्रीरंगपटनम्, हंपी आदि जगहों का वर्णन किया है। हम जानते हैं कि यह अंचल धर्म की दृष्टि से उज्ज्वल अतीत का मालिक है, अस्तु लेखक इस यात्रा-संस्मरण में शास्त्र और लोक में मौजूद कथाओं की सुंदर प्रस्तुति संचित की है। अेक बानगी देखिए- 'अठै रै लोगां री अैड़ी धारणा है कै जांनकी री

सोय मांय निकळ्योड़ा राम-लिछमण-हड़मान इणी छेत्र मांय सुग्रीव सूं मिल्या हा। रामायण रै घटना-स्थळां बाबत पुरातत्वविद् भलां ई सोध करता रैवो, पण लोकचेतना मांय रूढ़ आं घटना-स्थळां माथै फूा'र अेक भांत रै रोमांच रो अणभव होयां बिना नीं रैवै।' (पृ. 129)

गुजराती भाषा की तासीर राजस्थानी से बहुत मेल खाती है। शायद यही कारण है कि पुस्तक पढ़ते हुए यात्रा-संस्मरण मूल रूप से राजस्थानी में ही रचे हुए प्रतीत होते हैं। अेक अनुवादक के रूप में नीरज दइया की यह बड़ी सफलता है। पुस्तक की भाषा सहज-सरल है परंतु राम, जानकी जैसे शब्दों पर अनुस्वार प्रयोग खटकने वाले हैं। यह भाषा के मानकीकरण का मुद्दा है। फिलहाल महत्वपूर्ण प्रकाशन के अनुवादक और अकादेमी को बधाई दी जानी अपेक्षित है।

–मदन गोपाल लढ़ा
144, लढ़ा निवास महाजन, बीकानेर

छूटे हुए संदर्भ

लेखक : नवनीत पाण्डेय प्रकाशक : बोधि प्रकाशन, जयपुर संस्करण : दिसम्बर, 2013 पृष्ठ संख्या : 96 मूल्य : ₹ 70.00

73 कविताएं है। अर्थात् 7 और 3 दोनों को जोड़ें तो 10 मान निकाले तो एक। दूसरे शब्दों में कहूं तो नवनीत अपनी सभी कविताओं में अपने ही से लड़ते नजर आते हैं। अपने होने की सार्थकता तलाशते हैं। इस चहदोचहद में नवनीत माँ बनते हैं, पिता खोजते पिता में आकार लेते हैं मोमबत्ती की तरह जलते हैं और पिघल-पिघल कर मोम बनते हैं, मोम से प्रेम की आकृति बनाना चाहते हैं, आकृति हाथ से फिसल-फिसल जाती है देह विदेह होती है पर वैदेही नहीं बन पाती जिसकी तलाश शब्दों से परे जाकर करता है कवि–

"अनावश्यक हैं शब्द
व्यक्त करने के लिए प्रेम
शब्दों को हरे है प्रेम
शब्दों से परे है प्रेम"

नवनीत आत्मगतता और वस्तुगतता के बीच अन्तर को जानना चाहते हैं। कविताएं इस हेतु सेतु का कार्य करती हैं। बकौल पोलिश कवयित्री मिस्साव शिम्बोर्स्का "कवि मूलतः एक अहमन्य व्यक्ति होता है क्योंकि उसे लगता रहता है कि उसके पास दूसरों को बताने के लिए बहुत कुछ है। सृजन के लिए यह विश्वास आवश्यक है।" नवनीत विश्वास को रचते हैं और 'इतना लिखा है' सोचते हैं। संसार जैसा है उसकी ही पहचान करना चाहते हैं और हर छोटे-छोटे क्षणों को अनुभव करते हैं; अनुभव को शब्द देते हैं। देखें–

"न आने के बावजूद
वह है हर पल साथ
किसी भी बात पर,वह आ जाती है याद
उसकी कोई बात सच है
अनुपस्थिति दर्ज भर कर देने से
कोई अनुपस्थित नहीं हो जाता"
(अनुपस्थित से पृ. 25)

बेहतर जीवन की तलाश में यह रिश्तों के बीच सूखती जा रही संवेदना; संवेदना के अभाव में संवादहीनता और संवादहीनता के कारण हरेपन की अभिलाषा नवनीत की कविता में है। 'वह आती है को देखिए–'

वह आती है / जैसे बारिश
चली भी जाती है / छोड़कर
अपना सारा गीलापन मुझमें
कुछ उगने लगता है भीतर और
हरियाने लगता हूं मैं
चाहता हूं / वह फिर आए
फिर-फिर आए
मुझे हरियाए।"

आशा है, सम्भावना है जिन्दगी की, इसलिए प्रतीक्षा भी है। उनके अन्दर एक कविता, अधूरी सी पकती है, किन्तु मूल्यों के लिए जगी और उसमें पगी कविता। स्मृति की मासूमियत का संवेदनात्मक गरिमा के साथ प्रयोग करते हुए नवनीत अपने द्वन्द्व को रूपाकार करते हैं। आज नजरअन्दाज हो गए मानवीयता के बिन्दु कतरा-कतरा जिन्दगी में फंसे हैं। इन्हें निकालकर नवनीत पुनः हरा करना चाहते हैं। यही उनकी चहदोचहद है। मंजिल तलाशते नवनीत कविता में एक साथ पाठक भी है और कवि भी; श्रोता भी है, वक्ता भी; प्रास्निक भी खुद ही है और उत्तर भी स्वयं खोजते हैं।

"लोग तो लागि है कविता बनावत
मोहि तो मेरे कवित बनावत।"

घनानंद के कथन की तरह नवनीत भी कविता में 'शब्द से बनते हैं, रचे जाते हैं बुने जाते हैं। और कहते हैं–

"मेरा ईश्वर!
शब्द है जो रचते हैं मुझे, लिखते है मुझे
मेरा आवरण, अन्तःकरण मेरा संघर्ष, समर्पण
जिज्ञासाओं के दर्पण
करते स्तब्ध बार बार
शब्द बार बार....."

गुसेप अंगारेत्ती इटालियन कवि हैं। वे कहते हैं:–

"अन्तहीन समय
मेरा उपयोग करता है
जैसे
एक सरसराहट"

समय में बनते हैं अंगारेत्ती। नवनीत बनते हैं शब्द में रहते समय से, शब्द में बसे संघर्ष से। शब्द में बसी जिज्ञासाओं से। अर्थ संवेद्य बिम्ब रचते हैं। छोटे-छोटे अनुभवों को लयाकार करते हुए सच जानने की कोशिश करते हैं। नवनीत के शब्द भीतरी सोच में पगे नए होने की चेष्टा में मौजूदा काल में ही रहते हैं। आगे बढ़ने की चेष्टा में एकार्थी रहते हुए प्रतिक्रियात्मक ही रहते हैं। यहीं सम्भावनाएं हैं। और वे कर भी सकते हैं। कविता के सलीके को जानते भी हैं समझते भी हैं। उनका रचाव यहीं से आगे जाएगा और जा सकता है उसका द्वार भी यही है।

नवनीत की रचनाएं छूटे हुए सन्दर्भों को रचने हेतु शब्द-शब्द चलकर पर्तदार सच को खोलना चाहते हैं। वर्तमान जीवन में भूमण्डलीकरण के कारण उत्पन्न पहचान का संकट चिन्ता से चिन्तन तक पहुँचता है। बचपन को छीनता Reach to young का सिद्धान्त, अखबार बनती जीवन की मामूली से मामूली घटना आवश्यकता के बिना खरीद को मजबूर करता बाजार अस्तित्व के लिए चुनौती है। इस चुनौती से वे संवादात्मकता बनाम संबोधनात्मकता के दायरे में दो चार होते हैं। उनकी रचनाएं खोज, बैचेनी व गुस्से के त्रिकोण में प्रतिक्रिया बनकर आती हैं। आवश्यकता यहाँ से आगे चलेंगे क्योंकि उनमें सामर्थ्य है। नवनीत हमारे समय के सम्भावना शील रचनाकार हैं। उनसे हमारी अपेक्षाएं भी कुछ ज्यादा हैं उनसे चाहते अधिक हैं।

–डॉ. उमाकांत
सरला सदन, बेलवेल, बीकानेर

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

चतुर्दिक समाचार

त्वचा से बनाई भूख नियंत्रित करने वाली कोशिकाएं

वाशिंगटन– अमेरिकी वैज्ञानिकों ने त्वचा की कोशिकाओं से भूख को नियंत्रित करने वाले न्यूरॉन यानी मस्तिष्क कोशिकाएं बनाने में कामयाबी हासिल की है। दावा है कि इससे भविष्य में मोटापे को रोकने वाली दवा बनाना संभव होगा।

न्यूयॉर्क स्टेम सेल फाउंडेशन के वरिष्ठ शोधकर्ता डाइटर इगली ने यह अध्ययन किया है। इस शोध के लिए त्वचा की कोशिकाओं को पहले प्रेरित स्टेम सेल यानी आईपीएस में बदला गया। फिर आईपीएस को हाईपोथैलेमिक न्यूयॉन में तब्दील किया गया। वहीं न्यूरॉन भूख, हाइपरटेंशन, नींद, मूड और भावनात्मक विचारों को नियंत्रित करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 30 दिन का वक्त लगा। डाइटर के मुताबिक प्राकृतिक स्टेम सेल की तरह प्रेरित स्टेम सेल में भी किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका में परिवर्तित की क्षमता होती है।

देर तक गाने सुनना बना सकता है बहरा

लंदन– यदि आप तेज आवाज में गाने सुनना पसंद करते हैं तो, अगले दस या 20 साल बाद आप चाह कर भी संगीत कभी नहीं सुन पायेंगे। संगीत के मुरीद और प्रेमियों के लिए यह खबर संभवतः चौंकाने वाली है। पर विश्व स्वास्थ्य संस्थान (डब्ल्यूएचओ) ने एक चेतावनी जारी की है कि एक घण्टे से ज्यादा तेज आवाज में संगीत सुनने वालों की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। यह आपको बहरा बना देती है।

डब्ल्यूएचओं के आंकड़ों के अनुसार ज्यादा देर तक और उच्च ध्वनि में संगीत सुनने वाले दुनियाभर के 1.1 अरब लोगों पर बधिरता का खतरा मंडरा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने ऑडियों प्लेयर्स, कॉलेजों में और सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले कंसर्ट तथा बार में बजने वाले तेज संगीत को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया है।

एक इंजेक्शन से थम जाएगा खून का बहना

वॉशिंगटन– दुर्घटनाग्रस्त होने पर या कुछ महत्वपूर्ण नसों के कट जाने पर शरीर से भारी मात्रा में खून निकल जाता है, जिसमें मौत का खतरा रहता है। ऐसे में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ऐसी दवा विकसित की है, जिसका एक टीका खून का बहाव रोकने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इंजेक्शन लगाने के कुछ क्षणों के भीतर ही दवा अपना काम शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में रक्तस्राव वाले स्थान पर खून का थक्का जमा देती है। इसे पॉलीस्टैट इंजेक्शन का नाम दिया गया है।

पॉलीस्टैट विकसित करने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के वैज्ञानिकों ने इसका पहला प्रयोग चूहों पर किया और इसे 100 प्रतिशत कारगर पाया। हालांकि इंसानों पर इसका प्रयोग पांच सालों बाद किया जाना है। शोध के प्रमुख लेखक और यूनिवर्सिटी में आपातकालीन विभाग के असिसटेंट प्रोफेसर डॉ. नाथन वाइट ने कहा कि ज्यादा खून बहने से जान जाने का खतरा रहता है। विकसित की गई दवा के जरिये रक्तस्राव को तुरंत रोका जा सकता है।

बैक्टीरिया से बनेंगे बायो-कम्प्यूटर

लंदन– लीड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया से बायो-कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। ये बैक्टीरिया लोहा खाते हैं। जैसे-जैसे लोहे को पचाने लगते हैं, ये चुंबक के समान बर्ताव करने लगते हैं। ये बैक्टीरिया कम्प्यूटर की हार्ड ड्राइव में लगे चुंबक की तरह काम करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनका इस्तेमाल तेज स्पीड वाली हार्ड ड्राइव बनाने के लिए किया जा सकेगा। प्रमुख शोधकर्ता डॉ. साराह स्टैनिलेंड ने बताया इन बैक्टीरिया से बनने वाले कंप्यूटर तेज होंगे। इन बैक्टीरिया से इलेक्ट्रिक तार भी बनाए जा सकते हैं।

जिसके लिए लगा होगा उसे ही जगाएगा अलार्म

न्यूयॉर्क– अक्सर महिलाएं अलार्म घड़ी से चिढ़ती हैं क्योंकि रोज सुबह उनके पति को उठाने के लिए बजती है, तो साथ ही उनकी भी नींद भी खराब कर देती है। पर वैज्ञानिकों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए अलार्म घड़ी बना ली है।

यह उपकरण उसी व्यक्ति को रोशनी और आवाज के जरिए जगाएगा, जिसके लिए अलार्म सेट किया होगा। वहीं पास में लेटा साथी बेखबर चैन की नींद सोता रहेगा। फिर यह अलार्म कमरे में सोने वाले दूसरे साथी के लिए बाद में बजेगा। उपकरण केंद्रित रोशनी डालती है, जिससे सोए शख्स को सूर्योदय जैसा अहसास होता है। इससे निकलने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे भी केंद्रित होती हैं। इस अलार्म घड़ी को 'वेक' नाम दिया गया है। लॉस ऐंजिलिस की कंपनी लुसेरा लैब्स ने इसे बनाया है। इसकी कीमत 15 हजार रूपये है।

आंख में दवा डालते है अंधेरे में भी दिखेगा

वॉशिंगटन– अमेरिकी शोधकर्ताओं ने आंखों के लिए ऐसा ड्रॉप बनाया है, जिसे डालते ही इंसान अंधेरे में भी देखने लगेगा। कैलिफोर्निया के जैव वैज्ञानिकों के समूह साइंस फॉर द मॉसेज ने इसे बनाया है। मानव पर इसका परीक्षण सफल रहा है और कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा।

मुर्गे का मांस लैब में तैयार हो सकेगा

तेल अविव– इजरायली वैज्ञानिक लैब में मुर्गे का मांस बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। उन्हें उम्मीद है कि स्टेम सेल की मदद से साल के अंत तक वे दुनिया का पहला 'टेस्ट ट्यूब चिकेन' पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे।

दो साल पहले वैज्ञानिकों को लैब में तैयार कृत्रिम गोमांस से हैमबर्गर बनाने में सफलता मिल चुकी है। 'डेली सेल' के मुताबिक तेल अविव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मुर्गे के बारीक रेशों को मिलाकर मांस का टुकड़ा तैयार नहीं करना चाहते। वे पूरा का पूरा चिकन उत्पादित करने की कोशिकाओं में जुटे हैं। इस बाबत प्रो. अमित गेफेन के नेतृत्व में उन्होंने चिकन के शरीर से प्राप्त ऊतकों से स्टेम कोशिकाएं निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं। स्टेम कोशिकाएं शरीर की मास्टर कोशिकाएं होती है। इनके किसी भी अंग हड्डी मांस पेशी और ऊतक में विकसित होने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है।

चूरू

रा.मा.वि., जीनरासर तह. सुजानगढ़ को श्री छोटुराम भामूं द्वारा एक स्पीकर बड़ा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के बच्चों को 1,151 रुपये नकद, 20 बस्ते व अन्य इनाम बांटे, 40 कि.ग्रा लाडू कुल लागत 11,000 रुपये, श्री आजाद खान (राशन डीलर) से 51 कि.ग्रा. लाडू कुल लागत 4,100 रुपये, श्रीमती सुमित्रा जी (सरपंच) से 20 कि.ग्रा. लाडू, श्री परमाराम कुल्हरी (प्र.अ.) से नकद 2,100 रुपये, श्री जयप्रकाश शर्मा (क.लि.) से नकद 3,100 रुपये, सर्वश्री हीराराम नाई (व.अ.), हेमाराम बिजारणिया, पुखराज भार्गव (अध्यापक) से प्रत्येक से 500-500 रुपये नकद, श्री ओमाराम भामू (वार्ड पंच) से 2,100 रुपये नकद, अन्य अभिभावकों से 100-50 रुपये के रूप में कुल 1800 रुपये नकद प्राप्त हुए। **रा.मा.वि. काकलासर तह. सरदारशहर** में श्री मुकनाराम, किशनलाल, हड़मानाराम व दिलीप कुमार बैदा द्वारा विद्यालय के मुख्य दरवाजे का निर्माण करवाया गया लागत 60,000 रुपये, श्री रामकरण बैदा से एक वाटर कूलर लागत-42,000 रुपये, श्री रामदेव बोहरा जी द्वारा 7,000 रुपये की लागत से प्लास्टिक की पानी की टंकी श्री बनवारी लाल शर्मा (से.नि.अ.) से एक लेक्चर स्टेण्ड लागत-5,000 रुपये,

जयपुर

रा.बा.मा.विद्यालय सुदरपुरा ढाढा (कोटपूतली) में श्री बनवारी लाल जांगिड़ द्वारा विद्यालय परिसर में एक कक्षा-कक्ष (16×15) का निर्माण कराया जिसकी लागत 1,00,000 रुपये।

झुंझुनूं

रा.उ.मा.वि. हंसासर को श्रीचन्द (शा.शि.) से पानी की टंकी (क्षमता-11,500 लीटर) लागत- 1,19,000 रुपये, श्री दयानन्द सिंह बाबल द्वारा बरामदे में बोर्ड लागत-2500 रुपये। **शहीद महीपाल सिंह रा.उ.मा.वि., गोवला** से श्रीशंकर लाल अग्रवाल द्वारा समस्त विद्यार्थियों को 120 दीवार घड़ी एवं मिठाई वितरण लागत-21,000 रुपये, श्री सुरेश कुमार शर्मा से 21 स्टूल टेबल सैट लागत-21,000 रुपये। **रा.मा.वि. सूरजगढ़ मण्डी** को श्री मातादीन सैनी (से.नि.व्याख्याता) से एक अलमारी लोहे की (दस खाने वाली) लागत-11,600 रुपये। **रा.मा.वि. रायपुर अहिरान** में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा विद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वारा का निर्माण करवाया गया जिसकी लागत-6,00,000 रुपये। **रा.मा.वि. मालसर** में श्री हनुमान सिंह (पूर्व B.D.O.) द्वारा बरामदा (जीना) का निर्माण करवाकर विद्यालय में सुपुर्द किया जिसकी लागत 2,00,000 रुपये।

जैसलमेर

रा.मा.वि., नेहड़ाई को श्री अर्जुन सुथार से एक कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रिन्टर लागत 51,000 रुपये, श्रीमति जतु कंवर (सरपंच) से

हमारे भामाशाह

विद्यालयों में उदारमना दानदाताओं के द्वारा लाखों रूपयों का सहयोग कर निर्माण एवं संसाधन जुटाने के महान कार्य किये जाते रहते हैं। भामाशाह जयन्ती के अवसर पर विभाग भी इन विभूतियों को सम्मानित करता है। इस कॉलम में प्रति माह आदरजोग भामाशाहों के अवदान का वर्णन कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें।

-वरिष्ठ संपादक

रिवाल्विंग कुर्सी-1, प्रधानाध्यापक मेज-1, विजिटिंग कुर्सियां-8, लागत-30,000 रुपये, श्री प्रेमराज बिंजाणी से संगीत सेट एम्पलीफायर मय माईक लागत- 25,500 रुपये, श्री चेतराम कस्वां से वाटर प्यूरीफायर टंकी निर्माण लागत-25,000 रुपये, श्री कालूसिंह भाटी से तीन दरियां लागत 21,000 रुपये, श्री देवकृष्ण पंवार से टेबल स्टूल सेट-16 लागत-21,000 रुपये, श्री इकबाल-बलकरण सिंह से टेबल स्टूल सेट-12 लागत 15,000 रुपये, श्री भैंरुलाल बिंजाणी से एक अलमारी लागत 11,500 रुपये। सर्वश्री तुलछाराम, डूंगर सिंह, मेहर चन्द गोस्वामी, द्वारा एक वाटर कूलर तथा प्रत्येक से 11,000-11,000 रुपये, सर्वश्री लीला सिंह, ज्ञानचन्द, साँवल, इन्द्रपाल, छगनलाल सुथार, शीशपाल, खेतसिंह, रेवन्त सिंह, दुर्गसिंह, उगाराम (अ.) परमानन्द भादू से प्रत्येक से टेबल स्टूल 8 सैट तथा प्रत्येक से 11,000-11,000 रुपये, श्री डॉ. भँवरलाल सांवल से नकद 11,000 रुपये, सिंगाणी से एक अलमारी रुपये श्री पुखराज-संतोषदास से टेबल स्टूल 8 सैट लागत-10,000 रुपये, सर्वश्री नवलकिशोर मोहता, भगवान दास मोहता, जगदीश जी, खेताराम जी, मुकेश कुमार, रामेश्वर विश्नोई द्वारा 3 अलमारी तथा प्रत्येक से 5,100-5,100 रुपये प्राप्त हुए, सर्वश्री अशोक कुमार, महेन्द्र सहारण,कुलवंत सिहाग, मगाराम कस्वां, हनुमान-पालाराम कस्वां, श्री कृष्ण धत्तरवाल, दुर्गसिंह, राजाराम भादू, मदनलाल, झालाराम गोदारा से प्रत्येक से टेबल-स्टूल सैट-04 तथा प्रत्येक से 5,000 - 5000 रुपये प्राप्त हुए, सर्वश्री त्रिलोकराम चौधरी, श्योलाल चौधरी से बुक सेल्फ तथा प्रत्येक 5,000 रुपये प्राप्त हुए। सर्वश्री सुंदर विश्नोई, रणजीत प्रजापत मेजर सिंह प्रजापत, मिस्त्री सिंह, छोटू सिंह, हुकम सिंह, तनेराव सिंह से टेबल-स्टूल सैट हेतु प्रत्येक से 2,500-2,500 प्राप्त हुए। सर्वश्री गुरुबचन सिंह, त्रिलोकचन्द, कृष्णलाल चौधरी, हेमाराम से प्रत्येक से टेबल-स्टूल सैट हेतु 2,100-2,100 रुपये प्राप्त हुए। सर्वश्री डालचन्द चौधरी, बलदेव सिंह, महावीर कस्वां, दिलीप सिंह सहारण, नन्दराम चौधरी, पृथ्वी चौधरी, पांधी खाँ से टेबल-स्टूल सैट हेतु प्रत्येक से 1,100 रुपये प्राप्त हुए। सर्वश्री चौथाराम, रावताराम, बिरधाराम, उगाराम, शंकररुराम, हदाराम, सांवलाराम, चानणाराम, प्रागाराम, सोनाराम, इन्द्रसिंह, अर्जुन सिंह, तख्त सिंह, बख्तावर सिंह, अर्जुन सिंह, लाल सिंह, आदूराम, प्रेमसिंह, शंकर, सिंह, लूण सिंह, आसू सिंह, आम्ब सिंह से टेबल-स्टूल सैट हेतु 1,000-1,000 रुपये प्राप्त हुए। **रा.आदर्श मा.वि डेढ़ा (सम)** में श्रीमती ललीता देवी (सरपंच) द्वारा प्याऊ का निर्माण (6×8) का कमरा, वाटर कूलर, 1,000 ली. पानी की टंकी, वाटर पम्प व पानी की फीटिंग लागत- 1,64,800 रुपये, नभ डूंगर सेवा एवं विकास समिति डेढ़ा से एच पी का लेजर प्रिन्टर लागत-15,700 रुपये, श्री प्रताबा राम सुथार से लेक्चर स्टैण्ड लागत 4500 रुपये, जनसहयोग से 40 मेज स्टूल का निर्माण लागत 61,225 रुपये, सातदान दाता के सहयोग से 11 प्लास्टिक कुर्सी लागत-5,500 रुपये, श्री भीमसेन सुथार व नरेश सुथार (जेइएन) से 15 सिलिंग पंखे बजाज लागत-16,500 रुपये, श्री अल्लाबराय खां द्वारा शाला परिवार को विशेष दाल बाटी भोज हेतु 15,000 रुपये, श्री रमेश सुथार से 2 गैस भट्टी लागत-7500 रुपये, श्रीमती ललिता देवी (सरपंच डेढ़ा) से एलजी की एलईडी 32 इंच लागत-27,900 रुपये, ग्राम पंचायत द्वारा चारदीवारी व गेट निर्माण लागत 2,50,000 रुपये, श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा विद्युत फीटिंग कार्य लागत-3,005 रुपये, श्री अल्लाबराय खां से माइक सैट आहूजा लागत-18,000 रुपये।

प्रतिध्वनि

उद्यमेन हि सिद्धयन्ति...

भारतीय दर्शन और संस्कृति में मनुष्य योनि चौरासी लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है इसका तात्पर्य है कि इस भूमण्डल पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म और विशालतम प्राणियों में मानव को विवेकवान व विकल्प संकल्प सिद्धियुक्त सर्वोत्कृष्ट प्राणी के रूप में प्रतिपादित किया गया है।

विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुदित भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ कृति व भगवान श्रीकृष्ण के मुखारविन्द से उच्चरित ज्ञान, भक्ति व कर्मयोग की समन्वित भावधारा श्रीमद्भगवद्गीता में मानव को कर्तव्य पथ पर निष्काम भाव से निरन्तर बढ़ने का संदेश दिया गया है।

सृष्टि में पशु और अन्यान्य जीवों व मनुष्यों में एक आधारभूत अन्तर यह है कि मनुष्य के पास विवेक तो है ही साथ ही जीवन में कर्म करने, क्षेत्र चयन करने, परिश्रम व मेहनत के प्रकार या तरीके चयन करने के अनेक विकल्प है, मनुष्य स्वयं ही स्वयं का नियंता है; जबकि पशु व अन्यान्य जीवों के पास विकल्प भी नहीं है साथ ही उनका नियंता भी वे स्वयं न होकर मनुष्य ही है। जिस प्रकार अवसर तलाश के विकल्प मनुष्य के पास है वैसे ही जीवनोद्देश्य परोपकार/परअपकार, नि:स्वार्थ कर्म/स्वार्थसिद्धी, कर्मठता/ अकर्मण्यता, सदाचारयुक्त / व्यसनयुक्त जीवनयापन आदि का निर्णय,विवेक का प्रयोग करते हुए कर सकता है किसी एक विकल्प को चुनने का अधिकार व आजादी मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त अतिरिक्त उपहार है शेष प्राणियों को ये विकल्प उपलब्ध नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य नर से नारायण बन सकता है वह अपनी हर एक मनोकामना पूरी कर सकता है फिर चाहे आकाश में उड़ने की हो या धरती पर शीघ्रातिशीघ्र दूरी तय करने की हो, दूरस्थ बैठे अपने आत्मीय से बात करने की हो, उसके साक्षात् दर्शन करने की हो या विश्व में घटित किसी भी घटना की जानकारी जुटाने की। हर प्रकार की मनोकामना मनुष्य अपनी युक्ति से पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पशु व अन्यान्य जीव यदि सपने देखते भी हैं तो उन सपनों को साकार करने का विकल्प, साधन व सामर्थ्य उसके पास नहीं है परन्तु मनुष्य के पास सपनों को साकार करने का विकल्प, साधन व सामर्थ्य सुलभ है या यों कहें कि वह साधन व सामर्थ्य जुटा सकता है। जहाँ साधन भौतिक बल है तो सामर्थ्य आत्मिक, मानसिक व अधिभौतिक बल है। दुनियाँ के समस्त सफल व्यक्तियों के जीवन को पढ़ने से स्वत: ही पता चलता है कि अत्यल्प साधनों के बावजूद मन में संकल्पितलक्ष्य के प्रति अक्षय एकनिष्ठा, अथक परिश्रम, अनुभव एवं धीरता के कारण उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की। मित्रों! अपेक्षित परिश्रम व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है, हाँ अन्य साथीगण या परिजन भौतिक संसाधन जुटाने में कुछ मदद अवश्य कर सकते है किन्तु उन समस्त उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति व संकल्प पूर्ति हेतु अपेक्षित उपक्रम यथा समय नियोजन, कार्ययोजना, क्रियान्विति इत्यादि हेतु मानसिक, शारीरिक परिश्रम सफलताकांक्षी व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है। राजस्थानी कवि श्री कल्याण सिंह राजावत ने ठीक ही कहा है–

''मुसाफिर चाल्याँ मंजिळां मिळसी...।''

इसी प्रकार राजस्थानी में एक कहावत भी है–''आप मर्‌यां बिना सुरग नहीं मिळे।''कर्म की महत्ता को संस्कृत काव्य में भी प्रतिपादित किया गया है–

''उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे:।
न हि सुप्तस्यसिंहस्य, प्रविशन्ति मुखे मृगा:।।''

अर्थात् उद्यम से ही सफलता प्राप्त होती है। मनोकामना मात्र से ही कार्य सम्पन्न नहीं होते। जिस प्रकार वनराज की इच्छा मात्र या सोचने मात्र से ही हरिण स्वयं शिकार हेतु उपस्थित होकर मुख में प्रविष्ट नहीं हो जाता है अपितु क्षुधाशान्त हेतु हरिण का शिकार करने के लिए मृगराज को भी अनेक उपक्रम करने पड़ते है उसी प्रकार सफलता की सिद्धि हेतु परिश्रम परमावश्यक है।

सम्यक दिशा में किया गया सकारात्मक परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, परिश्रम से निखार अवश्य आता है। विपरीत परिस्थितियों में साहस व धैर्य के साथ अनथक परिश्रम करने व कष्ट सहने वालों को अवश्य ही सफलता मिलती है। कविवर रामधारीसिंह 'दिनकर' ने अपनी कविता 'श्रीकृष्ण का दूत कार्य' में कहा है– ''जो लाक्षागृह में जलते है वे ही सूरमा निकलते है।''

परिश्रम निश्चित कालखण्ड के लिए नहीं किया जाना चाहिए। परिश्रम में निरन्तरता व अभ्यास की सतत् आवश्यकता रहती है। निरन्तरता के कारण ही कछुआ मन्दगति के बावजूद दौड़ प्रतिस्पर्धा में खरहा को हरा देता है। क्योंकि वह अनथक, निरन्तर अनवरत प्रयासरत रहता है। वह धीमी चाल के बावजूद हीन भावना को नहीं आने देता है और न ही आत्मविश्वास कमजोर होने देता है। कभी कभार लम्बे समय तक परिश्रम करने पर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होता तब व्यक्ति के जीवन में निराशा घर करने लगती है और वह परिश्रम करना छोड़ देता है। पुरूषार्थ विमुख हो जाता है। मित्रों! एक लकड़हारा मोटे पेड़ के तने को कुल्हाडी लेकर काटना प्रारम्भ करता है काफी देर तक उस तने के न कटने पर निराश होकर छोड़ देता है। तब दूसरा लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर उसी स्थान से तने को काटने हेतु प्रहार लगाना प्रारम्भ करता है कुछ ही देर बाद वह भी थककर प्रयास करना छोड़ देता है, तत्पश्चात तीसरा लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर प्रयत्न करता है, कुछ ही देर में तना कटकर अलग हो जाता है और लकड़हारा प्रसन्न हो जाता है। इस घटना का गहनतापूर्वक विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उस तने को काटने का सामर्थ्य प्रथम दोनों लकड़हारों में भी था किन्तु उन्होंने वांछित धैर्य नहीं रखा। किसी बड़े लक्ष्य के लिए बड़ा पराक्रम और उसी अनुपात में धैर्य भी आवश्यक होता है। तीसरे ने थोड़ी ही देर में तने को काट डाला इसका अर्थ यह नहीं है कि उक्त कार्य हेतु अल्प परिश्रम ही पर्याप्त था। हमें यह समझना होगा कि प्रथम दोनों लकड़ाहारों की कुल्हाड़ी के प्रहार व्यर्थ नहीं गये क्योंकि उन्होंने उक्त तने को कमजोर करने में अपनी यथोचित भूमिका निश्चित रूप से सिद्ध की है, थोड़ा धैर्य रखते तो सफलता का सेहरा उन्हीं के सिर बन्धता। किन्तु धैर्य के अभाव में निराश होना पड़ा।

मित्रों! जीवन–समर में कोई भी कार्य हो, जीवन की कोई भी समस्या हो, हरेक कार्य, लक्ष्य, उद्देश्य में सफलता प्राप्ति हेतु पूर्ण मनोयोगपूर्वक निरन्तर परिश्रम करते हुए धैर्य रखना भी आवश्यक है। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है–''किसी कमरे में छाये गहन अन्धकार से घबराकर उसकी चर्चा करते हुए बाहर निकल आना समाधान नहीं है। समाधान तो उसमें मात्र एक दीपक जलाने से मिलेगा।''

अत: चौरासी लाख योनियों में भटकते–भटकते मोक्ष प्राप्ति, सत्कर्म, परोपकार व ईश्वर वन्दना के लिए सर्वाधिक अवसरयुक्त मानवयोनि में जन्म की सार्थकता सिद्ध करनी है तो निष्काम भाव से कर्मरत रहकर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना होगा। मायावी संसार–चक्र में भटक कर ''आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास'' की दुर्घटना से बचने हेतु पग–पग सचेत रहने के साथ सन्मार्ग पर चलने हेतु सचेष्ट रहकर शिक्षा तंत्र से जुड़कर मानवनिर्माण द्वारा राष्ट्रनिर्माण के पवित्र कार्य की उपादेयता व उसी में जीवन समर्पण कर सफलता के सौपान पर उत्तरोत्तर बढ़ने के उदाहरण प्रस्तुत कर यह स्थापित करें कि–''उद्यमेन हि सिद्धयन्ति...।''

–सन्तोष कुमार, व.सं.
principalsk55@gmail.com

शिविरा पत्रिका (मासिक) : मई–जून 2015 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे–97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर–302 004 फोन : 0141–2600850 से मुद्रित। © वरिष्ठ सम्पादक : सन्तोष कुमार, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

डाक पंजीयन संख्या Jaipur city/409/2014-16 शिक्षा पत्रिका (मासिक) • मई-जून, 2015 समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66
प्रकाशन तिथि : 1 मई, 2015 पृष्ठ 52 • प्रेषण : हर माह की 6, 6 तारीख

हमारी सांस्कृतिक धरोहर

पुष्कर का ब्रह्मा मन्दिर

पूरे भारत में ही नहीं अपितु संसारभर में जगत्पिता ब्रह्मा का एक मात्र मन्दिर पुष्कर में स्थित है। इस मन्दिर का निर्माण ग्वालियर के महाजन गोकुलप्राक् ने अजमेर में 14वीं शताब्दी में करवाया था। यह मन्दिर पुष्कर सरोवर जिसे 'पुष्कर झील' कहा जाता है से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि पुष्कर सरोवर में स्नान करने के बाद ही बद्रीनारायण, जगन्नाथ, रामेश्वरम्, द्वारिका की यात्रा पूर्ण होती है। यह मन्दिर संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। चाँदी के सिक्कों द्वारा इसकी साज-सज्जा की गई है। मन्दिर में चतुर्मुख ब्रह्माजी के दाहिनी ओर सावित्री एवं बायीं ओर गायत्री माता का मन्दिर है। पास में ही एक ओर सनकादि की मूर्तियां है तथा एक छोटे से मन्दिर में नारदजी की मूर्ति भी है। इसके अलावा मन्दिर की दीवारों पर दानदाताओं के नाम लिखे हैं। मन्दिर के फर्श पर एक रजत कछुआ है। ज्ञान की देवी सरस्वती के वाहन मोर के चित्र भी मन्दिर की शोभा को बढ़ाते हैं। इस मन्दिर की लाट लाल रंग की है तथा इसमें ब्रह्मा के वाहन हंस की आकृतियाँ हैं।

संकलन : विजय शंकर आचार्य, संयुक्त निदेशक (कार्मिक), निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

चित्र समाचार

जयपुर

(बाएं) माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. वासुदेव देवनानी राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को 'शिक्षा–संवाद' कार्यक्रम में उद्बोधन देते हुए। (दाएं) गरिमामय मंच द्वारा 'शिक्षा–संवाद' कार्यक्रम के फोल्डर का लोकार्पण।

जयपुर

(बाएं) पुरस्कृत शिक्षक फोरम, राजस्थान द्वारा 28 अप्रैल को 'नामांकन व शिक्षा गुणवत्ता' पर शिक्षक संवाद कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन करते माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. श्री वासुदेव देवनानी। (दाएं) कार्यक्रम को संबोधित करते माननीय शिक्षा राज्यमंत्री एवं मंच पर आसीन अतिथिगण।

बूंदी

सीकर

(बाएं) 'नशा मुक्ति अभियान' में सक्रिय, सफल प्रयासों हेतु जिला प्रशासन बूंदी द्वारा सम्मानित वेई कस्बे के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक श्री लाबूलाल सेन। (दाएं) रा.उ.मा.वि. सबलपुरा, सीकर में दस लाख रुपये लागत से बॉस्केटबॉल मैदान बनवाने पर भामाशाह श्री दिलीप सिंह शेखावत का अभिनन्दन।

शिविरा, मई–जून, 2015
चित्र समाचार

बीकानेर

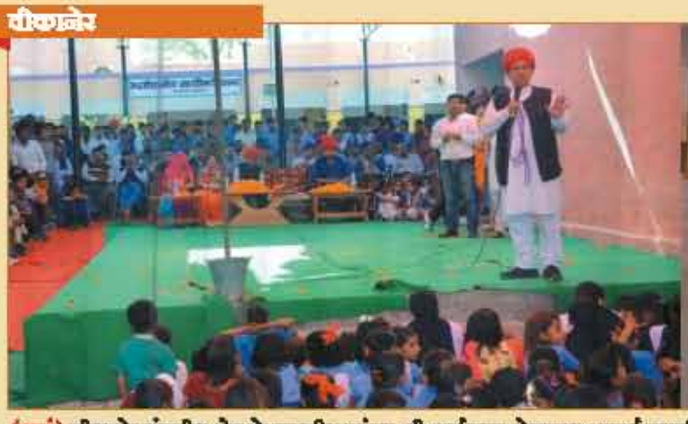

(बाएं) बीकानेर संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री अर्जुनराम मेघवाल आदर्श राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लालमदेसर में शाला के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए। (बाएं) विद्यालय परिसर में विशेष रूप से बने स्तम्भ जिन पर राष्ट्रीय प्रतीक एवं राष्ट्रीय खेल जैसी विद्यार्थी उपयोगी नवाचारी जानकारी सुसज्जित है।

अजमेर

(बाएं) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालपुरा, अजमेर में जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कक्षा–9 की छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम का दृश्य। (बाएं) सर्व शिक्षा अभियान, अजमेर के सौजन्य से राज्य स्तरीय मीना सम्मेलन चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त चित्र।

बीकानेर

अलवर

(बाएं) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, तेलीवाड़ा, बीकानेर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 23 से 27 मार्च तक आयोजित कम्प्यूटर जागृति कार्यशाला में भाग लेती विद्यालय की छात्राएं। (बाएं) रामगोपाल खन्ना राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्कीम नं. 2, अलवर को 50 सीट लोहे के स्टूल एवं मेज भेंट करते दानदाता श्री ओमप्रकाश गुप्ता।